





भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड Export Credit Guarantee Corporation of India Limited



निगम के 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट का फ़ोकस जोखिम प्रबंधन है ।

जोखिम प्रबंधन उन जोखिमों के पहचान की प्रक्रिया है जिनका सामना किसी संगठन को अपने कारोबार प्रक्रियाओं, विश्लेषणों, उनके मापन व परिमाणन, जोखिमों को कम करने के उपायों के मूल्याकंन व कार्यान्वयन तथा समय समय पर संपूर्ण प्रक्रिया को मॉनिटर करने व उसकी समीक्षा करने के दौरान करना पड़ता है । यह निर्णायकों को सूचक विकल्प चुनने में सहायक होते हैं ताकि वे अपनी प्राथमिकताओं की पहचान कर सकें व परचालन व नीतिगत स्तर पर सर्वीचित प्रक्रिया को चुन सकें ।

निर्यात सौदों में शामिल ऋण जोखिमों में राजनीतिक व वाणिज्यिक जोखिम शामिल हैं जिनकी पात्रता तथा उनको कम करने के लिस अपनास गस उपायों का निर्धारण आवश्यक है । जोखिम कम करने के उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है तथा उनकी नियमित रूप से समीक्षा व मॉनिटर की जाने की आवश्यकता है ।

The focus of the 56th Annual Report of the Corporation is Risk Management.

Risk Management is the process of identifying the risks that an enterprise faces in its business activities, analysing, measuring and quantifying them, evaluating and implementing risk mitigation measures and of monitoring and reviewing the entire process periodically. It enables decision makers to make informed choices, to identify priorities and to select the most appropriate action, at both the operational and strategic levels.

In export transactions the credit risks involved are political and commercial risks that need to be qualified and suitable measures adopted to mitigate the same. It is also necessary to implement the risk mitigation measures meticulously and these are required to be constantly reviewed and monitored.



निर्यात ऋण बीमा व व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना।

Vision

To excel in providing export credit insurance and trade related services.



मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्त्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

Mission

To support the Indian Export Industry by providing cost effective insurance and trade related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilisation of available resources.



पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंज़िल, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 CIN: U74999MH1957GOI010918 Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021 CIN: U74999MH1957GOI010918

> कंपनी सचिव COMPANY SECRETARY

श्रीमती स्मिता वी. पंडित Ms. Smita V. Pandit

नियुक्त बीमांकिक APPOINTED ACTUARY श्री मयूर अंकोलेकर Shri Mayur Ankolekar

संयुक्त लेखा परीक्षक JOINT STATUTORY AUDITORS मेसर्स **पी. एम. दलवी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू M/s. **P. M. Dalvi & Co.** Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 102065W

मेसर्स **आरएसवीए एंड कंपनी** सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू M/s. **RSVA & Co.** Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 110504W

बैंकर्स BANKERS

कॉर्पोरेशन बैंक आई Corporation Bank IDB

आई डी बी आई बैंक IDBI Bank

विषय सूची / CONTENTS विवरण पृष्ठ संख्या क्र.सं. Sr. No. Particulars Page No. निदेशक मंडल 1 Board of Directors 04 वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग 2 Senior Management 05 निष्पादन विशेषताएँ - पिछला दशक 3 Performance Highlights - The Past Decade 06 अध्यक्ष का संदेश 4 09 Chairman's Message निदेशकों की रिपोर्ट 5 17 Directors' Report. प्रबंधन परिचर्चा एवं परिचालनों की समीक्षा 6 Management Discussion & Review of Operations कंपनी शासन 7 Corporate Governance 51 वित्तीय विवरणः 8 **Financial Statements:** राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और तूलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet..... 61 वित्तीय विवरण अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15) 68 Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15) महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ (अनुसूची 16) 85 Significant Accounting Policies (Schedule 16)..... लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची 17) 96 Notes to Accounts (Schedule 17)..... प्रमुख विश्लेषणात्मक अनुपात 122 Key Analytical Ratios..... प्राप्ति और अदायगी लेखा 129 Receipts & Payments Account. वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट 9 132 Management Report on Financial Statements..... लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 10 137 Auditors' Report नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 11 Comments of CAG 12 सेवा तंत्र Service Network

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



Shri N. Shankar Chairman-cum-Managing Director



श्री अरविंद मेहता संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय Shri Arvind Mehta Joint Secretary Ministry of Commerce & Industry



श्री टी.सी.ए. रंगनाथन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया (29.11.2013 तक) Shri T.C.A. Ranganathan Chairman and Managing Director Exim Bank of India (Upto - 29.11.2013)



श्री रफ़ीक अहमद मक्का अध्यक्ष भारतीय निर्यात संगठन महासंघ Shri Rafeeque Ahmed Mecca President Federation of Indian Export Organisation

> **श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे** वित्त एवं लेखा और विधि एवं सचिवालय प्रमुख टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड



श्री पी.के. मिश्रा संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय **Shri P.K. Mishra** Joint Secretary Ministry of Finance



श्री यदूवेन्द्र माथुर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया **Shri Yaduvendra Mathur** Chairman and Managing Director Exim Bank of India (From - 13.05.2014)



श्री वसंत मेहता मेसर्स वी. रमेशचंद्र एण्ड कं. **Shri Vasant Mehta** M/s V. Rameshchandra & Co.



श्री जी. गोपालकृष्ण कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक (21.04.2014 तक) **Shri G. Gopalakrishna** Executive Director, Reserve Bank of India (Upto - 21.04.2014)



श्री ए.के. रॉय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय साधारण बीमा निगम **Shri A. K. Roy** Chairman-cum-Managing Director General Insurance Corporation of India



श्री हरी एस. भारतीया सह अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मेसर्स जुबिलेंट लाइफ साइंसेस लिमिटेड Shri Hari S. Bhartia Co-Chairman and MD M/s Jubilant Life Sciences Ltd.



श्री चंदन सिन्हा कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक (19.06.2014 से) Shri Chandan Sinha Executive Director Reserve Bank of India (From - 19.06.2014)



श्री के.आर. कामत अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक **Shri K. R. Kamath** Chairman and Managing Director Punjab National Bank



श्री ओंकार एस.कंवर अध्यक्ष मेसर्स अपोलो टायर्स लि. Shri Onkar Kanwar Chairman M/s. Apollo Tyres Ltd.



Shri Ajay Murlidhar Ponkshe Head - Finance & Accounts and Legal & Secretariat Tata International Ltd.

वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग / SENIOR MANAGEMENT



बाएं से दाएं / From left to right

श्री अशोक फडतरे, म.प्र. Shri Ashok Phadtare, GM श्री रोहित पांड्या, म.प्र. Shri Rohit Pandya, GM श्री संदीप मुखर्जी, म.प्र. Shri Sandeep Mukherjee, GM श्रीमती पद्मावती आर. , म.प्र. Ms. Padmavathy R. , GM

श्री एन.शंकर, अ.प्र.नि. Shri N. Shankar, CMD

श्रीमती गीता मुरलीधर, का.नि. Ms. Geetha Muralidhar, ED श्री मनोज कुमार, म.प्र. Shri Manoj Kumar, GM श्री धर्मराजन वी. , म.प्र. Shri Dharmarajan V. , GM श्री एम.सेंथिलनाथन, म.प्र. Shri M. Senthilnathan, GM

उप महा प्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

- 1. श्री सुनील जोशी
- 2. श्रीमती तापसी सेन डे
- 3. सुश्री ज़रीना शेख
- 4. श्री सी.एन.ए अन्बरसन
- 5. श्री पी.के.कामत
- 6. श्री पी.एल.ठाकूर
- 7. श्री आर.मोहन
- 8. श्री दीपक पी.तुंगारे
- 9. श्रीमती वसंता श्रीनिवास
- 10. श्री निर्दोष चोपड़ा

- 11. श्री एम.रामकृष्णन
- 12. श्री बलबीर सिंह मान
- 13. श्री राजीव मानवी
- 14. श्री शिवाजी नार्वेकर
- 15. श्री उदय शेट्टी
- 16. श्री आर.सत्यनारायणन
- 17. श्रीमती स्मिता वी.पंडीत
- 18. श्री पी.एस.मुरली
- 19. श्री डी.वी.एस.साईरामन
 - 20. श्री ईशनाथ झा

- 1. Shri Sunil Joshi
- 2. Ms. Tapasi Sen De
- 3. Ms. Zarina Shaikh
- 4. Shri C.N.A. Anbarasan
- 5. Shri P.K. Kamat
- 6. Shri P.L. Thakur
- 7. Shri R. Mohan
- 8. Shri Deepak P. Tungare
- 9. Ms. Vasantha Srinivas
- 10. Shri Nirdosh Chopra

- 11. Shri M. Ramakrishnan
- 12. Shri Balbir Singh Maan
- 13. Shri Rajiv Manavi
- 14. Shri Shivaji Narvekar
- 15. Shri Uday Shetty
- 16. Shri R. Sathyanarayanan
- 17. Ms. Smita V. Pandit
- 18. Shri P.S. Murali
- 19. Shri D.V.S. Sairaman
- 20. Shri Ishnath Jha

निष्पादन विशेषताएँ - पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़) / (₹ crores)

									(* 47 (, (< CLOLE
বর্ষ / YEAR	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
संरक्षित कारोबार मूल्य VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ* Short Term Policies *	131,343.62	126,100.41	119,621.00	93,127.40	85,686.85	68,870.85	52,766.57	50,505.03	37,590.19	35,987.0
अल्पावधि ईसीआईबी ** Short Term ECIB **	138,149.89	133,250.78	120,118.65	331,758.29	271,273.95	261,731.51	182,766.16	375,260.82	396,865.33	311,913.7
मध्यम और दीर्घावधि सुरक्षाएँ Medium & Long Term Covers	9,762.82	10,160.31	6,886.48	7,002.65	6,767.51	4,855.11	4,344.09	3,074.95	3,427.36	3,022.5
कुल / Total	279,254.33	269,511.50	246,626.13	431,888.34	363,728.31	335,457.47	239,876.82	428,840.80	437,882.88	350,923.2
प्रीमियम आय PREMIUM INCOME	·									
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	388.57	360.68	355.89	333.66	289.43	246.71	205.38	192.82	163.27	151.0
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	869.68	751.72	601.82	510.57	486.78	464.18	429.76	396.69	388.42	344.24
मध्यम और दीर्घावधि सुरक्षाएँ Medium & Long Term Covers	45.48	44.85	47.12	41.23	36.79	33.79	33.23	28.15	25.79	20.2
कुल / Total	1,303.73	1,157.25	1,004.83	885.46	813.00	744.68	668.37	617.66	577.48	515.5
प्रदत्त दावे CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	109.29	113.69	87.03	160.90	270.02	217.23	134.15	125.92	118.89	90.78
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	639.55	396.61	626.00	459.63	371.70	234.19	285.86	245.14	257.28	257.72
मध्यम और दीर्घावधि सुरक्षाएँ Medium & Long Term Covers	148.65	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	10.42	3.78
कुल / Total	897.49	548.50	713.03	620.53	641.72	451.42	420.01	372.26	386.59	352.2
की गई वसूलियाँ RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	5.76	7.40	6.31	9.27	16.33	56.97	8.46	5.11	3.78	13.4
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	144.53	104.71	152.59	110.65	110.87	151.29	133.88	151.72	107.56	58.5
मध्यम और दीर्घावधि सुरक्षाएँ Medium & Long Term Covers	8.02	8.42	9.74	16.14	6.40	0.32	14.71	53.37	13.91	14.4
कुल / Total	158.31	120.53	168.64	136.06	133.60	208.58	157.05	210.20	125.25	86.4

नोट / Note :

घोषणा आधारित पॉलिसीयों व जोखिम आधारित पॉलिसीयों के अंतर्गत जोखिम शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14, 2012-13 एवं 2011-12 के लिए जोखिम आधारित पॉलिसीयों के अंतर्गत संरक्षित कारोबार का मूल्य प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित कुल हानि सीमा पर आधारित अनुमानित मूल्य है तथा वह वर्ष 2010-11 तक के लिए निर्यात व्यापार का अनुमान है। **

वित्तीय वर्ष 2013-14, 2012-13 एवं 2011-12 के लिए निगम द्वारा सुरक्षा प्राप्त बैंकों द्वारा स्वीकृत सीमाओं के अंतर्गत औसत बकाया दर्शाता है तथा यह सीमा 2010-11 तक स्वीकृत है।

Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FYs 2013-14, 2012-13 & 2011-12 is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Corporation for the FYs 2013-14, 2012-13 & 2011-12 and the limits sanctioned till FY 2010-11.



जोखिमों की पहचान

उधार शर्तों पर निर्यात सौदों के मामले में, निर्यातक राजनीतिक व वाणिज्यिक जोखिमों का सामना करता है । निर्यातक को मुद्रा संबंधी जोखिमों से भी जूझना पड़ता है । इसके अतिरिक्त इसमें समुद्री जोखिम जैसे मार्ग में माल की क्षति / चोरी आदि भी बने रहते हैं ।

MITIGATION MONITORING

Identification of Risks

In case of export transactions on credit terms, the exporter faces Political and Commercial Risks. The exporter also faces Currency Risk. Further, there are Marine Risks such as damage / pilferage to goods in transit, etc.

अध्यक्ष का संदेश Chairman's Message



अध्यक्ष का संदेश / CHAIRMAN'S MESSAGE

देवियों एवं सज्जनों,

- मैं कंपनी की 56 वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ।
- वर्ष 2013-14 के लेखों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशक की वार्षिक रिपोर्ट प्रचालित की जा चुकी है। मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़ा हुआ मानता हूँ।
- पिछले एक वर्ष में वैश्विक संभावनाओं में सुधार हुआ है लेकिन 3. उन्नत अर्थ व्यवस्थाओं में सुधार के मार्ग के अभी भी धूमिल रहने की आशा है। ऐसी आशा की जाती है कि विश्व का उत्पादन 2014 में 4% तक पहुँच जाएगा। उज्ञत अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधि स्थिर हो चुकी है और उभरते बाज़ारों / विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संबंधित देशों में नीतियों द्वारा समर्थित एवं नए आत्मविश्वास के साथ आर्थिक गतिविधि ने गति पकडी है। यूरोपीय नीति निर्माताओं की कडी कार्रवाई से आत्मविश्वास और वित्तीय स्थितियों में सुधार होने में मदद मिली है। प्रमुख उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में नीतियों के सरल होने से आंतरिक मांग बढी है। अमेरिका में ऋण वृद्धि की दर धीरे धीरे बढ रही है और बैंक की अत्यधिक सख्ती से ऋण मंजूर करने की स्थितियों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। यूरोपीय क्षेत्र में, व्यापारिक गतिविधि और ऋण के बीच स्थिर, अनुकूल फीडबैक अभी भी लंबी दुरी तय की जाना है।

भविष्य में कई प्रमुख उच्चत अर्थ व्यवस्थाओं में के लिए न्यून ब्याज दरों के बने रहने व तदुपरांत उसका धीरे धीरे गतिशील बैंक ऋण में परिवर्तित होने का अनुमान है बशर्ते कि वित्तीय स्थिरता जोखिम में लगातार कमी होना जारी रहे । यह प्रक्रिया अमेरिका की तुलना में यूरो क्षेत्र में अधिक समय लेगी। अनेक एशियाई और लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में ऋण का विस्तार अधिक तीव्र गति से जारी है और ऋण एवं सकल देशीय उत्पाद के अनुपात में वृद्धि देखी गई है। उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधियों ने जोर पकड़ा है हालांकि पुराने खतरे अभी भी बरकरार हैं और नए जोखिम दिखाई पड़ रहे हैं। उच्चत अर्थव्यवस्थाओं में उचित व्यापक आर्थिक नीति सतत धीमी है लेकिन राजकोषीय समायोजन, जो आर्थिक गतिविधि की क्षति को सीमित करने वाले उपायों के लिए बना है और अनुकूल मौद्रिक नीति जिसका उेश्य आंतरिक मांग को सहायता देना है जारी है।

उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मध्यावधि में नीतियाँ कुछ सख्त प्रतीत हो रही हैं। वैश्विक संभावनाओं में सुधार के साथ उभरते बाज़ारों व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख स्थूल आर्थिक नीतिगत मुख्य चुनौती है ।नीतिगत योजनाओं को Ladies and Gentlemen,

- 1. It gives me great pleasure to welcome you to the 56th Annual General Meeting of the Company.
- The Annual Report of the Directors together with the Accounts and Auditor's Report for the Financial Year (FY) 2013-14 has been circulated and with your permission, I shall take it as read.
- Global prospects have improved in the past one year 3. but the road to recovery in the advanced economies is expected to remain bumpy. World output growth is forecast to reach 4% in 2014. Economic activity has stabilized in advanced economies and has picked up in emerging markets/ developing economies, supported by policies in the respective countries and renewed confidence. Strong action by European policy makers helped improve confidence and financial conditions. Policy easing with key emerging market economies has supported internal demand. In the USA the rate of credit growth has been picking up gradually and bank lending conditions have been easing slowly from very tight levels. In the Euro area, sustained, positive feedback between business activity and credit still seems a distant prospect.

Looking ahead, continued low policy interest rates are forecast for the major advanced economies and are expected to translate slowly into more dynamic bank lending-provided financial stability risks continue to abate. This process will take much longer in the Euro area than USA. In many Asian and Latin American economies, credit expansion has continued at an elevated pace and credit-to-GDP ratios have continued to move up. In emerging market and developing economies, activity has already picked up steam. However, old dangers remain and new risks have come to the fore. In advanced economies, the right macroeconomic approach continues to be gradual but sustained fiscal adjustment, built on measures that limit damage to economic activity and accommodative monetary policy aimed at supporting internal demand.

In emerging market and developing economies, some tightening of policies appears in the medium term. With global prospects improving, the main macroeconomic policy challenge in emerging market and developing पुनर्शोधित किया जाए ताकि अति स्फूर्तता को टाला जा सके और स्थूल आर्थिक नीति संबंधी बफर्स का पुर्नर्निमाण किया जा सके। इन अनेक अर्थव्यवस्थाओं में स्थूल आर्थिक नीतियों का दृष्टिकोण अभी भी अत्यधिक सहज है और उच्चत अर्थव्यवस्थाओं के अपेक्षाकृत कम बाह्य मांग की तुलना में घरेलू मांग बढ़ रही हैं।

- 4. जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट के सबसे खराब दौर से धीरे धीरे बाहर निकल रही है वैसे वैसे जोखिम कम करने वाले उत्पादों की मांग बढ़ रही है। एक प्रमुख अनुकूल संकेत यह है कि निर्यात ऋण एजेंसियों में अल्पावधि बीमा के लिए ऋण बीमा की क्षमता स्थिर दिखाई पड़ रही है और इसी के साथ क्षमता में किसी प्रकार की कोई बाधा नजर नहीं आ रही है चाहे वह सार्वजनिक मध्यम और दीर्घावधि बीमाकर्ताओं के लिए हो या निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए हो।
- 5. वर्ष 2014 में विश्व व्यापार के 4.5% तक बढ़ने की आशा थी। वैश्विक विकास के लिए जोखिम के संतुलन में सुधार हुआ है, पिछले छः महीने में यूरोप और अमेरिकी दोनों देशों में नीतिगत कार्रवाईयों से एक गंभीर संकट का जोखिम कम हुआ है, भले ही, इन दोनों क्षेत्रों के लिए बेस लाइन के परिदृश्य अलग हैं: अब यूरोप क्षेत्र में तुलन पत्र में सुधार और अभी भी अत्यधिक सख्त ऋण स्थितियाँ जारी हैं जिनकी वृद्धि की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित राजकोषीय समकन से अधिक समुचित प्रेरणा सहित संबंधित परिस्थितियाँ सुधार के लिए अत्यधिक सहायक हैं । इन कई अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत सुधार हो रहा है जिससे मंदी पर नियंत्रण पाया गया है और एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबीयन तथा उप सहारा अफ्रीका में इस वर्ष और मजबूत होने की संभावना है जबकि राष्ट्रकुल देशों में वृद्धि पिछले वर्ष के बराबर होगी।

मध्य, पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (मेना) क्षेत्र एक प्रमुख अपवाद हैः तेल निर्यातक देशों में तेल के उत्पादन की वृद्धि के रूकने से क्षेत्र की वृद्धि में अस्थायी गिरावट आने की आशा है, जबकि चल रहे राजनैतिक बदलाव और एक कठिन बाहरी वातावरण कुछ तेल आयातक देशों में तीव्र सुधार रोक रहा है। जहाँ वैश्विक परिदृश्य के पिछले जोखिम समाप्त हो चुके हैं और ऊपरी जोखिम मौजूद हैं अतएव निचले जोखिम अभी भी महत्वपूर्ण हैं तथा पूरे क्षेत्र में इनका प्लवन प्रभाव रहेगा। पड़ोसी सीरिया में नागरी युद्ध के बाद इराक में उपद्रव के बढ़ने की संभावना से यह क्षेत्र और अधिक अस्थिर होगा, तेल उत्पादन और निर्यात में बाधा आएगी इससे मेना क्षेत्र में विकास प्रभावित होगा।

6. वर्ष 2013 में बर्न यूनियन सदस्यों द्वारा संरक्षित अल्पावधि व्यवसाय और अदा किए गए दावे क्रमशः 1640 बिलियन और 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे। यूरोप में साख सीमाओं की मांग सुधर रही economies is to recalibrate policy settings to avoid overstimulation and rebuild macroeconomic policy buffers. The macroeconomic policy stance in many of these economies is still very accommodative, supporting domestic demand in the face of not so strong external demand from advanced economies.

- 4. As the world economy gradually moves away from the very worst perils of the financial crisis, demand for the risk mitigation products continues to be strong. A major positive is that credit insurance capacity for short term insurance among the Export Credit Agencies remains steady. Also, there do not appear to be any capacity constraints, either for the public Medium and Long Term insurers or the private sector players.
- World trade was expected to grow at 4.5% in 2014. The 5. balance of risks to global growth has improved, Over the past six months, policy actions have diminished risks of an acute crisis in both Europe and the United States, although the baseline outlook for these two regions diverges: in the euro area, balance sheet repair and still tight credit conditions continue to weigh on growth prospects, whereas underlying conditions in the United States are more supportive of recovery, even with appropriate inducing a larger-than-expected fiscal consolidation. Policy easing in many of these economies helped arrest that slowdown and growth in Asia, Latin America and the Caribbean (LAC) and sub-Saharan Africa is slated to strengthen further this year, while growth in the Commonwealth of Independent States (CIS) will be on par with the previous year.

The Middle East and North Africa (MENA) region is a notable exception: a pause in oil production growth among oil-exporting countries is expected to lead to a temporary deceleration in the region's growth, while ongoing political transitions and a difficult external environment are preventing a quicker recovery in some oil-importing countries. While tail risks to the global outlook have diminished and upside risks now exist, downside risks still predominate and could have important spillovers across regions. A potential increase in turmoil in Iraq, after the civil war in neighbouring Syria, could further destabilize the region, disrupt oil production and exports. This may affect the development in MENA region.

 Short Term business covered and claims paid by Berne Union members were USD 1640 bn and USD 1.9 bn respectively during 2013. The demand for credit limits in है लेकिन अभी भी इसके 2008 के स्तर पर पहुँचना शेष है। सभी सदस्यों के लिए हानि की दरें लगभग 46% हैं। बर्न यूनियन के सदस्य, अस्थिर आर्थिक वातावरण में वैष्टिवक व्यापार व निवेश को समर्थन देने में हमेशा वचनबद्ध रहे हैं।

- भारत का व्यापारिक निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 301 बिलियन 7. अमेरिकी डॉलर की तूलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 312 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 3.98% की मामूली वृद्धि दिखाई पड़ती है और वित्तीय वर्ष में मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण रूपये के संदर्भ में यह वृद्धि 15.82 % रही है। डॉलर के संदर्भ में प्लांटेशन, परियोजना की सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और रत्न व आभूषण, क्षेत्रों का निष्पादन पिछले वर्ष की तूलना में कम रहा। एशियाई देशों की निर्यात, कूल निर्यात के 50% था, जिसके बाद यूरोप का (18.67%), अमेरिका (17.35%) और अफ्रीका (9.99%) रहा। इन क्षेत्रों के निर्यातों में पिछले वित्तीय वर्षों की तूलना में मामूली वृद्धि देखी गई और ऐसी आशा की जाती है कि यह वृद्धि वर्तमान राजकोषीय वर्ष में बढ़ेगी। निगम ने 2013-14 से 2017-18 तक एक पंचवर्षीय कॉर्पोरेट योजना तैयार की है और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात इसे वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तूत किया है।
- 8. वित्तीय वर्ष 2013-14 में कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है ₹1,781 करोड़ की कुल आय अर्जित की है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सकल प्रीमियम जमा ₹1304 करोड़ थी जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.65% की वृद्धि दर्ज की गई। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसचता हो रही है, कि पिछले तीन वर्षों में प्रीमियम आय में संचयी वृद्धि बढ़कर ₹418 करोड़ हो गई है यह वर्ष 2010-11 के ₹885 करोड़ के स्तर से 47% की वृद्धि दर्शाती है। निवेशों से आय में ₹482 करोड़ की वृद्धि दर्छा जी मई वित्तीय वर्ष के 8.85% वार्षिक की तुलना में 8.92% वार्षिक उत्पादन दर्शाती है।
- 9. जिन बैंकों ने संपूर्ण पण्यावर्त ईसीआईबी सुरक्षा का चयन किया था उन्होंने इस वर्ष भी सुरक्षा का नवीकरण किया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में निगम ने बैंकों को ईसीआईबी (जमानत रक्षा) सुरक्षा जारी करना शुरू किया है। अगले राजकोषीय वर्ष में इस योजना के गति पकड़ने की आशा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में अल्पावधि ईसीआईबी के अंतर्गत प्रीमियम आय ₹869.64 करोड थी जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.69% की वृद्धि देखी गई।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹243.20 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹360.69 करोड़ का करोत्तर लाभ दर्ज किया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹60 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹88 करोड़ के लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव रखा है।

Europe is recovering, but yet to reach pre-2008 levels. Loss rates for all members were about 46%. The Berne Union members remain committed as ever in supporting global trade and investment in a volatile economic environment.

- India's merchandise exports were at USD 312 bn in FY 7. 2013-14 against USD 301 bn in the previous financial year, showing a modest growth of 3.98% in USD terms and the growth was 15.82% in Rupee terms due to currency fluctuation during the financial year. In dollar terms, plantation, project goods, electronic goods and gem and jewellery sectors underperformed in comparison to the previous year. Exports to Asian countries were to the extent of 50% of the total followed by Europe (18.67%), America (17.35%) and Africa (9.99%). The exports to these regions have shown marginal growth compared to the previous financial year and it is expected that this would grow in the current fiscal. The Corporation has prepared a five year Corporate Plan from 2013-14 to 2017-18 and submitted to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry after approval of the Board.
- 8. During the FY 2013-14, the Company earned a total income of ₹1,781 crores registering a growth of 15% over the previous year. Gross premium collection of the Company stood at ₹1,304 crores for Financial Year registering a growth of 12.65% over the previous financial year. I am happy to inform that the cumulative increase in premium income for the past three years was ₹418 crores showing a growth of 47% over FY 2010-11 level of ₹885 crores. Income from investments increased to ₹482 crores showing a growth of 17.48% during the FY 2013-14 with a yield at 8.92% p.a as compared to 8.85% p.a during the previous financial year.
- 9. The banks who had opted for whole turnover ECIB covers continued to renew the covers during the year. During the FY 2013-14, the Corporation commenced issue of ECIB (Surety Cover) to the banks. The scheme is expected to pick up momentum during the next fiscal. Premium income during the FY 2013-14 under Short Term ECIB was at ₹869.64 crores showing a growth of 15.69% over the previous year.
- 10. The Company posted Profit After Tax of ₹360.69 crores for the FY 2013-14 compared to ₹243.20 crores during the FY 2012-13. The dividend payout for FY 2013-14 is proposed at ₹88 crores v/s ₹60 crores for FY 2012-13. The productivity of the employees measured in terms of Profit

प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ में आंकने पर कर्मचारियों की उत्पादकता वित्तीय वर्ष 2010-11 के ₹21.24 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹92.61 लाख हो गई। जोखिम प्रबंधन में उपभोक्ता जागरूकता के उपाय के रूप में ईसीजीसी ने डन एंड ब्राड स्ट्रीट के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष में आठ निर्यात केंद्रों में निर्यात जोखिम प्रबंधन कॉनक्लेव आयोजित किए। निगम ने अफ्रीकी व्यापार बीमा एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये और चीन गणतंत्र के निर्यात आयात बैंक, ताइवान और एक्जिम बैंक एसआर, स्लोवेनिया के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये।

11. एक सेवा प्रदाता के रूप में निगम के पास अनेक उत्पाद हैं जिनकी यह नियमित रूप से समीक्षा करता है और संशोधन करता है अथवा विसंगतियाँ, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए नए उत्पादों की शुरूआत करता है जो पॉलिसीधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस दिशा में वित्तीय वर्ष 2013-14 में लघु निर्यातक पॉलिसी के लिए पात्रता मानदंड को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है। ₹1 करोड तक के निर्यात पण्यावर्त वाली कंपनियों के लिए सुक्ष्म निर्यातक पॉलिसी शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत विवेकाधीन सीमाएं दुगुनी कर दी गई हैं।

मझोले निर्यातकों के लिए, जिनका निर्यात पण्यावर्त ₹20 करोड़ से ₹100 करोड़ तक है उनके लिए बहु खरीदार ऋण जोखिम पॉलिसी शुरू की गई थी। अल्पावधि ईसीआईबी योजनाओं के अंतर्गत सांद्रण एवं अन्य जोखिम कम करने के लिए भारतीय बैंक संघ के परामर्श से कतिपय हस्तक्षेप किए गए हैं। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति, निवेश समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल की पॉलिसी धारक सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित की।

- 12. वित्तीय वर्ष 2013-14 में पुर्नबीमा व्यवस्थाओं में निगम ने संपूर्ण अल्पावधि पोर्टफोलियो के लिए शीर्ष विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ करार किया है।
- 13. मुझे बोर्ड को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में अधिनिर्णीत 'बहुत अच्छा' की तुलना में 2013-14 में 'उत्कृष्ट' रेटिंग हासिल की है। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में निगम वित्तीय वर्ष 2013-14 में अपने व्यवसाय/ वित्तीय प्राचलों में 'उत्कृष्ट' रेटिंग हासिल करने की आशा करता है।
- 14. निगम ने अन्सेंट एंड यंग की सहायता से बनाई गई नई देश जोखिम रेटिंग पद्धति की शुरआत की है।
- 15. वित्तीय वर्ष 2013-14 में कंपनी ने श्री सौमित्र चौधरी, योजना आयोग के सदस्य, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषदर

Before Tax per employee increased from ₹21.24 lakhs in FY 2010-11 to ₹92.61 lakhs in FY 2013-14. As a measure to spread consumer awareness in Risk Management, ECGC in association with Dun & Bradstreet organised Export Risk Management Conclaves in eight export centers in the financial year. The Corporation has signed a MoU with African Trade Insurance Agency and co-operation agreements with the Export Import Bank of Republic of China, Taiwan and the Exim Bank SR, Slovenia.

11. As a service provider, the Corporation has a menu of products, regularly reviews the same and makes modifications or introduces new products to remove inconsistencies, if any, and also to suit the requirements of the policyholders. In this direction, during the FY 2013-14, the eligibility criterion for Small Exporters Policy has been raised from ₹50 lakhs to ₹5 crores. The Micro Exporters Policy was introduced for companies with an export turnover upto ₹1 crore. The discretionary limits to exporters under the short term polices were doubled during the financial year.

A Multi Buyer Exposure Policy was introduced for midsized exporters with export turnover in the range of ₹20 crores to ₹100 crores. Towards mitigating the concentration and other risks under short term ECIB schemes, certain interventions have been introduced in consultation with the Indian Banks Association. The Company continues to hold regular meetings of the Audit Committee, Investment Committee, Risk Management Committee and Policyholders' Protection Committee of the Board of Directors.

- 12. In the reinsurance arrangements for FY 2013-14 the Corporation has roped in leading foreign reinsurers for the entire short term portfolio.
- 13. I am happy to inform the Board that the Company has improved its Corporate Governance rating accorded by the Department of Public Enterprises from 'Very Good' in FY 2012-13 to 'Excellent' in FY 2013-14. In terms of MOU signed with Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry the Corporation expects to achieve "Excellent" rating in its business / financial parameters in FY 2013-14.
- 14. The Corporation has introduced a new Country Risk Rating Methodology designed with the support of Ernst & Young.
- 15. During the FY 2013-14, the Company organized the second Commencement Day Commemorative Lecture by

के सदस्य द्वारा 'बाह्य क्षेत्रों का प्रबंधन : व्यापार संतुलन की मजबूती हेतु निर्यात में वृद्धि' पर द्वितीय कारोबार आरंभ दिवस पर स्मरणोत्सव व्याख्यान आयोजित किया। वाणिज्य सचिव ने समारोह की अध्यक्षता की जिसमें सरकार, बैंकिंग और निर्यातक समुदाय के वरिष्ठ अतिथियों ने भाग लिया।

16. पूंजी के और अधिक समावेश के लिए निगम की प्राधिकृत पूंजी जुलाई 2013 में ₹1000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5000 करोड़ की गई। भारत सरकार ने सितंबर 2013 में ईसीजीसी को प्रदत्त पूंजी के रूप में ₹100 करोड़ का अंशदान किया। निगम ने सितंबर 2013 में यू.के. में आधारित विशाल विदेशी खरीदारों को बेहतर संसूचित हामीदारी की सुविधा और अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत दावों की वसूली के लिए लंदन में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। वित्तीय वर्ष 2013-14 में निगम सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए कुल ₹8.57 करोड़ खर्च किए।

आभार प्रदर्शन ः

भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में कंपनी की सेवाएँ लेने व अपना समर्थन देने के लिए मैं हमारे सभी निर्यातकों/ बैंकर ग्राहकों का आभारी हूँ। मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को, हमें उचित एवं सामयिक दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। निदेशक मंडल के निदेशकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, अपने व्यक्तिगत रूप से तथा निदेशक मंडल की ओर से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा नए जोश से महत्वाकांक्षी संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ।

शुभ कामनाओं सहित,

एन.शंकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान ः नई दिल्ली दिनांक ः २७ जून, २०१४ Shri Saumitra Chaudhuri, Member Planning Commission, Member Economic Advisory Council to Prime Minister on 'Managing the External Sector-raising exports towards more balanced trade'. The Commerce Secretary has presided over the function which was attended by senior dignitaries from the Government, Banking and the exporting community.

16. With a view to create headroom for further infusion of capital, the Authorised Capital of the Corporation was increased from ₹1000 crores to ₹5000 crores in July 2013. The Government of India subscribed ₹100 crores towards Paid-up Capital of ECGC in September, 2013. The Corporation has opened a representative office at London in September, 2013 with a view to facilitate better informed underwriting of large overseas buyers based in UK and for recovery of the claims paid under short term policies. During the FY 2013-14, the Corporation incurred a total expenditure of ₹8.57 crores on account of Corporate Social Responsibility activities.

ACKNOWLEDGEMENTS

17. I am grateful to all our exporter/ banker customers for extending support and availing the services of the Company in their endeavour in enhancing India's exports. I extend my sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and Insurance Regulatory and Development Authority for providing us with appropriate and timely guidance. I place on record the cooperation extended by Directors on Board. I convey, on my personal behalf and on behalf of the Board of Directors, my sincere appreciation to all the employees of the Company for their commitment towards achieving the ambitious organizational goals with renewed vigour.

With warm regards,

N. Shankar

Chairman-cum-Managing Director

Place : New Delhi Date : 27th June, 2014







वाणिज्यिक जोखिम

वाणिज्यिक जोखिम उन सभी व्यापारिक सौदों में बने होते हैं, जहां विक्रेता द्वारा खरीदार को उधार पर माल भेजा जाता है । निर्यात सौदों में वाणिज्यिक जोखिमों को, खरीदार की उधारपात्रता के संबंध में अधूरी जानकारी, खरीदार का दिवालियापन / दीर्घकालिन चूक, संविदा / माल स्वीकार करने हेतु अनुचित रूप से इन्कार तथा साख पत्र खोलने वाले बैंक की चूक अथवा दिवालियापन से अधिक बल मिलता है ।

MITIGATION

Commercial Risks

Commercial risks are inherent in any trade transaction, where credit is extended by a seller to the buyer. In export transactions, commercial risks are accentuated due to incomplete information about the buyer's creditworthiness, insolvency / protracted default of the buyer, unfair repudiation of contract / goods and insolvency or default of the LC opening bank.

निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT



निदेशकों की रिपोर्ट / DIRECTORS' REPORT

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217 के अंतर्गत भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

प्रिय सदस्यगण,

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वि.व.) के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ, कंपनी की 56वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने सकल प्रीमियम में 12.66% की वृध्दि दर्ज की और इस अवधि के दौरान कंपनी का निष्पादन भी पर्याप्त रूप से मजबूत रहा। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने, पिछले वर्ष के दौरान ₹1,157.25 करोड़ की तुलना में ₹1303.73 करोड़ सकल प्रीमियम अर्जित किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित के समायोजन के उपरांत, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) गत वर्ष ₹796.04 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹907.35 करोड़ (13.98% वृध्दि) हो गया।

Report of the Board of Directors of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, under Section 217 of the Companies Act, 1956.

Dear Members,

The Directors of Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) are pleased to present the 56th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2014.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The performance of the Company has been reasonably sound during the financial year ended March 31, 2014, with the Company registering a 12.66% growth in Gross Premium. The Gross Premium earned by the Company during the FY 2013-14 was ₹1,303.73 crores against ₹1,157.25 crores during the previous financial year. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2013-14, increased to ₹907.35 crores, against ₹796.04 crores for the previous Financial Year (13.98% growth).



वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, मुख्य रुप से बैंकों को दावों का भुगतान करने के कारण कंपनी ने, गत वित्तीय वर्ष के ₹548.50 करोड़ की तुलना में 63.63% की वृध्दि के साथ ₹897.49 करोड़ के दावों का भुगतान किया। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत पिछले वित्तीय वर्ष के ₹812.80 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹746.07 करोड़ के दावों का भुगतान किया। पिछले वर्ष के ₹410.56 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में निवेश और अन्य आय 17.48% बढ़कर ₹482.33 करोड़ हो गई।

लाभ और विनियोजन

पिछले वर्ष के ₹1020.62 करोड़ की, तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में, प्रचालनों से कुल आय 15.07% बढ़कर ₹1174.46 करोड़ हो गई। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने, पिछले वर्ष के ₹171.48 करोड़ के प्रचालन लाभ During the FY 2013-14, the total claims paid by the Company increased by 63.63% to ₹897.49 crores, mainly due to claims paid to banks, against the previous financial year's claim paid amount of ₹548.50 crores. After adjusting for reinsurers' share, recoveries and provisions, the incurred claim for the FY 2013-14 was ₹746.07 crores, against ₹812.80 crores for the previous financial year. Investment and other income have increased to ₹482.33 crores in FY 2013-14 up from ₹410.56 crores in the previous Financial Year by 17.48%.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2013-14, total income from operations grew by 15.07% to ₹1174.46 crores from ₹1020.62 crores in the previous Financial Year. During the Financial Year, the Company



वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश का चेक ₹88 करोड़ अ.प्र.नि. ने श्रीमती निर्मला सीतारमन, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को दिनांक 2 जुलाई 2014 को सौंप। साथ में श्री भगवती प्रसाद पांडेय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्री अरविंद मेहता, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव व श्रीमती गीता मुरलीधर, कार्यपालक निदेशक भी उपस्थित थे CMD, presenting the dividend cheque of ₹88 cr for FY 2013-14 to Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Commerce & Industry on 2nd July 2014. Shri Bhagwati Prasad Pandey, Additional Secretary & Financial Adviser, Shri Arvind Mehta, IAS, JS/DOC and Ms. Geetha Muralidhar, ED were present

नेदेशकों की रिपोर्ट

की तुलना में ₹328.97 करोड़ का प्रचालन लाभ अर्जित किया। वित्तीय वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष के ₹350.14 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में ₹539.05 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.)हुआ। वर्तमान वर्ष में ₹178.35 करोड़ के आयकर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद, पिछले वर्ष के ₹242.79 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष में विनियोजन के लिए उपलब्ध कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) ₹360.70 करोड़ था। posted an Operating Profit of ₹328.97 crores compared to an Operating Profit of ₹171.48 crores during the previous Financial Year. During the FY 2013-14, Profit Before Tax (PBT) was ₹539.05 crores, against ₹350.14 crores in the previous Financial Year. After providing ₹178.35 crores towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for

लाभांश

निदेशक मंडल, प्रत्येक ₹100 के ग्यारह करोड़ इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹8 के पूर्ण और अंतिम लाभांश की सिफारिश करता है, जो ₹88 करोड़ के बराबर है। कुल लाभांश, उस पर लाभांश वितरण कर के साथ ₹102.95 करोड़ होगा जो ₹360.70 करोड़ के निवल लाभ (पी.ए.टी.) का 28.54% का पे आउट अनुपात निरूपित करता है।

शेयर पूंजी

कंपनी का, 31 मार्च 2014 को, निवल मूल्य ₹2774.41 करोड़ (31 मार्च 2013 को ₹2436.99 करोड़) था, जिसमें ₹1100 करोड़ (सितंबर 2013 के दौरान पूंजी में वृध्दि के माध्यम से सरकार से प्राप्त ₹100 करोड़ सहित) की प्रदत्त पूंजी, ₹1674.41 करोड़ का आरक्षित और अधिशेष शामिल है।

दिवालियापन का मार्जिन

31 मार्च 2014, को दिवालियापन अनुपात बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 11.02 गुना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित दिवालियापन मार्जिन (आर.एस.एम.) (₹ करोड़)	238.24	243.84
उपलब्ध दिवालियापन मार्जिन (ए.एस.एम.) (₹ करोड़)	2624.85	2350.67
दिवालियापन अनुपात (कुल ए.एस.एम. / आर.एस.एम.) (गुना)	11.02	9.64

अधिकतम देयता

किसी भी समय, कंपनी की अधिकतम देयता (एम.एल.) कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72 (ख) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है, 31 मार्च 2014 को ₹1,00,000 करोड़ अपरिवर्तित है। 31 मार्च 2014 को, एम.एल. ₹75,879.94 करोड़ थी।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरुप हैं।





वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निगम के व्यापार / वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए मीडिया बैठक Media Meet to announce the Business / Financial results of the corporation for FY 2013-14

appropriation in the current Financial Year was ₹360.70 crores, against ₹242.79 crores in the previous Financial Year.

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹8/- per equity share on the eleven crore equity shares of ₹100 each, amounting to ₹88 crores. The total dividend, along with the dividend distribution tax thereon, amounts to ₹102.95 crores, representing a pay-out ratio of 28.54% of the PAT of ₹360.70 crores.

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2014, the Company's Net Worth, comprising Paid-up Capital of ₹1,100 crores (including ₹100 crores received from the Central Government by way of fresh infusion of capital during September, 2013) and Reserves and Surplus of ₹1,674.41 crores, was ₹2,774.41 crores (₹2,436.99 crores as on March 31, 2013).

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2014 is 11.02 times, against the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) norm of 1.5 times. The details are as under:

Particulars	31.03.2014	31.03.2013	
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ crores)	238.24	243.84	
Available Solvency Margin (ASM) (₹ crores)	2624.85	2350.67	
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	11.02	9.64	

प्रबंधन व्यय

संबंधित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा किए गए प्रबंधन व्यय आई आर डी ए के 20.01% की मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रुप में 12.62% (पिछले वर्ष 12.75%) रहे।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन.ई.आई.ए.)

एन.ई.आई.ए. ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च 2014 तक, विभिन्न परियोजना निर्यातकों के द्वारा, इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान आदि जैसे बाजारों में ₹10,132.12 करोड़ सकल मूल्य की 14 परियोजनाओं के लिए ₹3996.80 करोड़ मूल्य की 27 रक्षाएं जारी की गई थीं। 31 मार्च 2014 को ट्रस्ट के पास ₹1313.79 करोड़ की राशि थी, जिसे बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है।

निदेशक मंडल

कंपनी 100% भारत सरकार के स्वामित्व की है। अधीक्षण की सामान्य शक्तियाँ, कार्यों के निदेश एवं प्रबंधन तथा कंपनी का कारोबार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल के पास हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अलावा बोर्ड के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा की जाती है।

जुलाई 2013 में, शेयरधारकों को प्रस्तुत निदेशकों की पिछली रिपोर्ट के बाद की अवधि के दौरान निदेशक मंडल के दो अंशकालिक निदेशक श्री टी.सी.ए.रंगनाथन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया एवं श्री जी. गोपालकृष्णन, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी के निदेशक के दायित्वों से मुक्त हुए। तीन अंशकालिक निदेशक, श्री यदुवेंद्र माथुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, श्री ओंकार एस कंवर, अध्यक्ष, मे. अपोलो टायर्स लिमि. तथा श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे, प्रमुख-वित्त एवं लेखा एवं विधि एवं सचिवालय, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड को निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट की तारीख तक, निदेशक मंडल में गैर-कार्यपालक गैर सरकारी निदेशकों के तीन पद अभी भी रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न वित्तीय एवं अवित्तीय मापदंडों में कंपनी के निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर और प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,00,000 crores as of March 31, 2014. The ML as on March 31, 2014 was ₹75,879.94 crores.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDA.

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40c of the Insurance Act, 1938 read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2013-14, stand at 12.62% (previous Financial Year 12.75%) against the IRDA norm of 20.01%.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term and high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. As of March 31, 2014, 27 covers with a value of ₹3,996.80 crores were in force, covering 14 projects with aggregate value of ₹10,132.12 crores, undertaken by various project exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, etc. The Trust had a corpus of ₹1313.79 crores as of March 31, 2014, which has been invested in Term Deposits placed with banks.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board, other than the Chairman-cum-Managing Director, are non-executive Directors. All members of the Board, including the Chairman-cum-Managing Director, are appointed by the Government of India.

During the period after the previous Report of the Directors to the Shareholders submitted in July, 2013, two part-time Directors on the Board, viz.. Shri T.C.A. Ranganathan, the then Chairman and Managing Director, Exim Bank of India and Shri G. Gopalakrishna, the then Executive Director, Reserve Bank of India, ceased to be Directors of the Company. Three part-time Directors, viz., Shri Yaduvendra Mathur, Chairman and Managing Director, Exim Bank of India, Shri Onkar S. Kanwar, Chairman,

56th Annual Report 2013-14 ई सी जी सी E C G C

सरकार के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी 1995-96 से 'उत्कृष्ट/बहुत अच्छा' की श्रेणी अनुरक्षित कर रही है। ऐसी आशा है कि, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए, कंपनी का निष्पादन 'उत्कृष्ट' दर्ज किया जाएगा।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ख के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 619 क की अपेक्षाओं के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2012-13 की, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुंबई, की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयों के साथ, क्रमशः 17 दिसंबर 2013 एवं 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत की गई थी। M/s. Apollo Tyres Ltd. and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe, Head-Finance & Accounts and Legal & Secretariat, Tata International Limited, have been inducted on the Board.

As on the date of this Report, three positions of Non-Executive Non-Government Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

Based on an assessment of the performance of the Company in various financial & non-financial parameters, as per the



दिनांक 27 जून 2014 को नई दिल्ली में प्रक्रियाधीन बोर्ड की बैठक Board meeting in progress in New Delhi on 27th June 2014

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी की सेवा में पूरे वर्ष या वर्ष के किसी भाग में ऐसे कोई कार्मिक नहीं थे जिनके संबंध में कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियम 1975 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत के प्रावधान लागू हों।

ग्राहक सेवा प्रणाली

कंपनी ने, अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा कक्ष की स्थापना की है। निगम की ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पॉलिसी के अनुसार, अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय की उच्चतर प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जाएगी तथा विभिन्न अधिकारियों/ guidelines issued by the Department of Public Enterprises, a Memorandum of Understanding (MoU) is signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, every year. The Company has been maintaining a rating of "Excellent/Very Good" consistently over the years since 1995-96. The performance of the Company is expected to be rated "Excellent" for the FY 2013-14.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai, for the FY 2012-13, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor



अहमदाबाद में ईसीजीसी- डी एंड बी निर्यात जोखिम प्रबंधन कॉनक्लेव। श्री राजीव खेर, वाणिज्य सचिव, मुख्य अतिथि थे। ECGC-D&B Export Risk Management Conclave at Ahmedabad. Shri Rajeev Kher Commerce Secretary was Chief Guest

समितियों द्वारा शिकायत पर 4 बार विचार किया जा सकता है। कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए.सी.जी.सी.) स्थापित की गई है, जो कि कंपनी में, किसी ग्राहक की शिकायत के लिए अंतरिम आंतरिक अपील-प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की बारह बार बैठक हुई जिसमें 34 मामलों को निपटाया गया तथा 31 मार्च 2014 तक, 3 मामले लंबित थे। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति का भी गठन किया गया, जिसमें न्यायिक, बैंकिंग, तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल किए गए, वित्तीय वर्ष 2013-14 में इसकी चार बार बैठकें हुईं तथा 23 आवेदनों को निपटाया गया।

कंपनी, आई. आर. डी. ए. के केन्द्रीय एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी.आई.जी.एम.एस.) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक लॉग- ऑन कर एवं अपनी शिकायत सीधे दर्ज कर सकते हैं। ग्राहकों के पास सी. आई.जी.एम.एस. अथवा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कंपनी को 232 शिकायतें मिलीं और 237 शिकायत आवेदन निपटाए गए तथा 31 मार्च 2014 तक, विभिन्न स्तरों पर, 45 शिकायतें लंबित थी।

ऊर्जा संरक्षण का विवरण,प्रौद्योगिकी का समामेलन

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(ई) के अनुसरण में सूचना कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप का देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है। General thereon, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on December 17, 2013 and December 18, 2013 respectively, in compliance with the requirements under Section 619A read with Section 619B of the Companies Act, 1956.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There were no personnel in the service of the Company for the whole year or for any part of the year, the particulars in respect of whom, attracted the provisions under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office at Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Corporation is placed on the Company's website. As per the Policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the complaint can be dealt with four times by different officials / committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the ultimate in-house appellate authority for any customer complaint in the Company. The Committee has met twelve times and disposed of 34 cases during the FY 2013-14 and there were three cases pending as on March 31, 2014. A three-member Independent Review Committee has also been constituted during the FY 2013-14, consisting of external experts in the field of Judiciary, Banking and Credit Insurance, which met four times during FY 2013-14 and disposed of 23 applications.

The Company is linked to the Centralised Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDA, which customers can directly log on to and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the IGMS or through the Company's website. In addition, the Company is a part of the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, through a Grievance portal, viz., the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

During the FY 2013-14, the Company received 232 complaints and disposed of 237 grievance applications, and 45 complaints were pending at various levels as on March 31, 2014.

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन ₹11.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.62 करोड़) था, जबकि इसी अवधि में मुख्यतः विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान करने के कारण विदेशी मुद्रा व्यय ₹47.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.59 करोड़) था।

नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन से परामर्श आधार पर, नियुक्त बीमांकिक अनुबंधित किया है। सामान्य बीमा व्यापार के लिए नियुक्त बीमांकिक के कर्त्तव्य एवं दायित्व आई.आर.डी.ए. (नियुक्त बीमांकिक) विनियम 2000 के विनियमन 2000 के खंड (ख) विनिमय 8 के अंतर्गत यथा निर्धारित हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अलग 'बीमांकन विभाग' का भी गठन किया गया जो उपगत पर रिपोर्ट नहीं किए गए (आई.बी.एन. आर) / उपगत पर पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई.बी.एन.ई.आर) अनुमानों, आस्ति दायित्व प्रबंधन, अपेक्षित दावा मूल्य अनुमान, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट, आर्थिक पूंजी गणना करना, उत्पाद मूल्य की समीक्षा और पुनर्बीमा दबाव परीक्षण करने में नियुक्त बीमांकिकों की सहायता करता है। नियुक्त बीमांकिकों द्वारा दी गई रिपोर्ट एवं अभिमत, कंपनी की कुल जोखिम प्रबंधन नीति में योगदान देते हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी की लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसमें समसामयिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा एवं सबंधित प्रणालियां शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ ही संव्यवहार भी शामिल हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों और प्रेक्षणों की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। मेसर्स पी.एम. दलवी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई और मेसर्स आर.एस.वी.ए. एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई, भारत के नियंत्रक



माननीय श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्रमंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2013 को लंदन में ईसीजीसी के पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया। डॉ. वीरेंद्र पॉल, यू.के. में भारत के उपउच्चायुक्त भी उपस्थित थे Hon'ble Shri Anand Sharma, the then Minister of Commerce & Industry and Textiles, Government of India, inaugurated the first overseas office of ECGC in London on 17th September 2013. Dr. Virendra Paul, Deputy High Commissioner of India to UK was present

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 217(e) of the Companies Act, 1956, read with The Companies (Disclosure of Particulars in Report of Board of Directors) Rules, 1988 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year under review was ₹11.20 crores (₹9.62 crores in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the same period was ₹47.91 crores (₹2.59 crores in the previous Financial Year) mainly due to Premium paid to foreign reinsurers.

APPOINTED ACTUARY

The Company has engaged an Appointed Actuary (AA), on consulting basis, with due approval of the IRDA. The duties and obligations of the AA for General Insurance business are as per Clause (b) Regulation 8 of the IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000. A separate 'Actuarial Department' has also been set up in the FY 2012-13, which provided support to the AA in preparing Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Report, Economic Capital Computation, Product pricing review and Reinsurance Stress testing. The reports and observations of the AA contribute towards overall risk management strategies of the Company.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors' Reports cover the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. P.M. Dalvi & Co., Chartered Accountants, Mumbai and M/s. RSVA & Co., Chartered Accountants, Mumbai are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2013-14. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements. एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी.ए.जी.) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अनुसरण में वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-1 की ओर से 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को 'नहीं' टिप्पणियों का प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रमाण पत्र की एक प्रति लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की गई है।

कंपनी शासन

कंपनी, सभी संबंधित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करती है तथा सघन निगम शासन प्रचलनों का निर्माण और उसका कड़ाई से अनुपालन भी करती है। विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट, इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

निदेशक उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन देते हैं और संपुष्ट करते हैं कि -

- (क) कंपनी के वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विचलन से संबधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ, यदि कोई हों, के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानकों को अपनाया है;
- (ख) निदेशकों ने ऐसे लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो युक्तिसंगत और उपयुक्त हों ताकि 31 मार्च 2014 को कंपनी के कारोबार की स्थिति की सही तस्वीर और 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को लाभ दिया जा सके;
- (ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (अधिसूचित एवं लागू होने की सीमा तक) के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड अनुरक्षित करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती है; और कि
- (घ) निदेशकों ने 'सतत सरोकार' के आधार पर, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लेखे तैयार किए हैं।

आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग एवं वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय,

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

In pursuance of Section 619(4) of the Companies Act, 1956, the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-1 has, on behalf of the CAG, issued a certificate of 'NIL' comments on the Company for the year ended March 31, 2014. A copy of the certificate is appended to the Audited Financial Statements.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that -

- (a) The Company has, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;
- (b) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2014 and of the profit of the Company for the Financial Year ended March 31, 2014;
- (c) The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the provisions of Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable), for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities; and that
- (d) The Directors have prepared the accounts for the Current Financial Year ended March 31, 2014 on a 'going concern' basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Department of Economic Affairs and Department of Financial Services, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs,

भारत सरकार, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.), भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक और विभिन्न देशों में भारतीय उच्चायोग के कार्यालयों को उनके सतत समर्थन और मार्गदर्शन तथा कंपनी के कारोबार व वृध्दि में दिखाई गई स्पष्ट रुचि के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। निदेशक, निर्यातकों, बैंकों एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रति कंपनी में सतत विश्वास रखने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। निदेशक रेटिंग एजेंसियों एवं ऋण वसूली एजेंटों धन्यवाद देते हैं, जिन्होनें क्रमशः निगम के हामीदारी एवं वसूली प्रयासों में योगदान दिया। निदेशक, एफ.आई.ई.ओ., विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, एवं औद्योगिक संगठनों, वाणिज्य और व्यापार संगठनों के मंडलों तथा बीमा बोकरों से प्राप्त प्रतिक्रिया और सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। निदेशक, लेखा परीक्षकों से समय-समय पर प्राप्त बहुमूल्य सलाह और सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं। निदेशक सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की हार्दिक प्रशंसा करते हैं, जिन्होनें कंपनी को अपने व्यवसायिक प्रचालनों में बाजार का नेतृत्व अनूरक्षित करने के लिए कंपनी को समर्थ बनाने में अपना उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबध्दता दिखाई।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एन. शंकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान ः नई दिल्ली दिनांक ः २७ जून, २०१४ Government of India, Insurance Regulatory & Development Authority (IRDA), the Comptroller & Auditor General of India, Reserve Bank of India and offices of the Indian High Commission in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the rating agencies & debt collection agents who have contributed to the Corporation's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils and Industrial Organisations, Chambers of Commerce and Trade Organisation and insurance brokers. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

N. Shankar Chairman-cum-Managing Director DIRECTORS' REPORI

Place : New Delhi Date : 27th June, 2014

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



्रप्रबंधन चर्चा और विश्लेषण / MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सीधी आयात मांग (-0.2%) एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य आयात वृध्दि (4.4%) के संयोग के कारण 2013 में वैश्विक व्यापार वृध्दि की गति धीमी रही। निर्यात की दृष्टि से,विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने थोड़ी, सकारात्मक वृध्दि (विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 1.5%, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने 3.3%) दर्ज की।

यूरोपीय यूनियन मंदी के दीर्घकालिक प्रभाव, यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में उच्च बेरोजगारी दर (जर्मनी को छोड़कर) एवं संयुक्त राज्यों में फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक उत्तेजना को कम करने के समय की अनिश्चिताएं, जैसे मुख्य कारक, 2013 में, कमजोर व्यवसाय एवं परिणाम का कारण रहे।

वर्ष 2013 में, विश्व व्यापारिक निर्यातों का डॉलर मूल्य 2.1% बढ़कर 18.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर एवं विश्व वाणिज्यिक सेवा नियातौं का मूल्य 5.5% बढ़कर 4.6 ट्रिलियन डॉलर हुआ।

डब्ल्यू.टी.ओ. के भौगोलिक क्षेत्रों में एशिया ने 4.2% की तीव्र जी.डी.पी. वृध्दि दर्ज की, जो कि पिछले दो वर्षों में की गई वृध्दि के लगभग बराबर है।उसके बाद अफ्रीका (3.8%), मध्य पूर्व (3%), दक्षिण एवं मध्य अमेरिका (3%), राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देश (2%), उत्तरी अमेरिका (1.8%) एवं यूरोप (0.3%) रहे।

अंतिम वर्ष में, 4.6% के साथ एशिया के नियातों ने किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक तेज वृध्दि दर्ज की। उसके बाद उत्तरी अमेरिका (2.8%), यूरोप (1.5%), मध्य पूर्व (1.5%), दक्षिण एवं मध्य अमेरिका (0.7%), राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देश (0.7%) एवं अफ्रीका (-3.4%) रहे। एशिया के निर्यात की वृध्दि जापान के कारण कम रही, जिसके विश्व के पोतलदानों में 1.8% की कमी दर्ज की गई। इसी दौरान, चीन और भारत के निर्यातों में क्रमशः



दिनांक 28 मार्च 2014 को मुंबई में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अ.प्र.नि. श्री राजीव ऋषि को दावा चेक सौंपा गया A claim cheque being handed over to Shri Rajeev Rishi, CMD, Central Bank of India in Mumbai by CMD on 28th March, 2014



जुलाई, 2013 में आरसीजी बैठक के दौरान (ईबीसी) ताइवान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर Signing of MOU with (EBC) Taiwan during RCG meeting in July, 2013

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The slow pace of global trade growth in 2013 was due to a combination of the flat import demand in developed economies (-0.2%) and the moderate import growth in developing economies (4.4%). On the export side, both developed and developing economies managed to record small, positive increases (1.5% for developed economies, 3.3% for developing economies).

The lingering impact of the EU recession, the high unemployment rates in the Euro area economies (with the exception of Germany) and the uncertainty in the timing of the Federal Reserve's winding down of its monetary stimulus in the United States, were the major factors that contributed to the weakness of trade and output in 2013.

In 2013, the dollar value of world merchandise exports rose 2.1% to USD 18.8 trillion and the value of world commercial services exports rose 5.5% to USD 4.6 trillion.

Asia recorded the fastest GDP growth among the WTO geographic regions in 2013 at 4.2%, which was almost equal to the growth in the previous two years. It was followed by Africa (3.8%), Middle East (3%), South and Central America (3%), the Commonwealth of Independent States (2%), North America (1.8%) and Europe (0.3%).

Asia's exports grew faster than any other region's last year, with a 4.6% rise. It was followed by North America (2.8%), Europe (1.5%), the Middle East (1.5%), South and Central America (0.7%), the Commonwealth of Independent States (0.7%) and Africa (-3.4%). Asia's export growth was held back by Japan, which saw its shipments to the rest of the world decline by

7.7% एवं 6.7% की वृध्दि की दर्ज की गई। ये निष्पादन 2012 की तुलना में बेहतर थे, लेकिन अभी भी, हाल ही के ऐतिहासिक मानकों के संबंध में कमजोर हैं। लीबिया (-27%), नाइजीरिया (-11%) एवं अल्जेरिया (-7%) सहित पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों में पोतलदानों की कमी के कारण अफ्रीका के लिए नकारात्मक आंकड़े दर्ज किए गए।

आयात की दृष्टि से, तेजी से वृध्दि करने वाला क्षेत्र एशिया (4.4%) रहा, उसके बाद मध्य पूर्व (4.4%), अफ्रीका (4%), दक्षिण एवं मध्य अमेरिका (2.5%), उत्तरी अमेरिका (1.2%), यूरोप (-0.5%), तथा राष्ट्रमंडल स्वतंत्र देश (-1.1) रहे। आर्थिक मंदी के कारण भारत का आयात 2.9% कम हुआ, लेकिन चीन की विदेशों से खरीद लगभग 10% बढ़ी।

परिदृश्य

डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुमानों के अनुसार, विश्व व्यापार में 2014 में 4.7% तथा 2015 में 5.3% की दर से वृध्दि की आशा है। 4.7% की वृध्दि का अनुमान 20 वर्षों के औसत 5.3% से कम है। अंतिम दो वर्षों में, वैश्विक व्यापार में केवल 2.2% औसत की वृध्दि हुई।

यह अनुमान है कि, 2014 तथा 2015 में विश्व व्यापार एवं परिणामों के लिए संभावनाएं पिछले कुछ समय के परिणामों की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन कुछ अति गतिशील विकासशील देशों, जो कि हाल ही में, वैश्विक मांग पर टिकी हैं सहित अग्रणी अर्थव्यस्थाएं कमजोर रह सकती हैं। व्यापार के नीचे जाने का भरपूर जोखिम है, लेकिन यू.एस. अर्थव्यस्था के गति पकड़ने की संभावना एवं यूरोपीय यूनियन में परिवर्तन के कारण, इसके ऊपर जाने की संभावना भी मौजूद है।

भारत का निर्यात

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत का निर्यात 3.98% से बढ़ा, और वित्तीय वर्ष 2012-13 के 300 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 312 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया। इसी अवधि के दौरान, भारतीय आयात 8.11% से कम हुआ और 450 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, परिणामस्वरूप व्यापारिक घाटा 138 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ।



एक्ज़िम बैंका एस.आर. स्लोवाकिया के साथ अक्तूबर, 2013 को सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किए गए अ प्र नि, का. नि, ई सी जी सी, श्री इगोर लिंखनोक्स्को बैंक बोर्ड के अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक

अधिकारी व श्री मिलान होरवाथ बैंक बोर्ड के सदस्य एवं उप कार्यपालक अधिकारी उपस्थित रहें। A Co-operation Agreement with Eximbanka SR, Slovakia was signed in October, 2013. CMD, ED, ECGC, Mr. Igor Lichnovsky, Chairman of the Bank Board and CEO and Mr. Milan Horvath, Member of the Bank Board and Deputy CEO were present



दिनांक 25 जुलाई 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर को दावा चेक सौंपते हुए A claim cheque was handed over to SBI, Bhubaneswar Br. on 25^{th} July, 2013

1.8%. Meanwhile, exports of China and India increased by 7.7% and 6.7% respectively. These performances were better than 2012, but still relatively weak by recent historical standards. The negative figure for Africa was due to the sharp reduction in shipments from petroleum exporting countries, including Libya (-27%), Nigeria (-11%) and Algeria (-7%).

On the import side, the fastest growing region was Asia (4.4%), followed by the Middle East (4.4%), Africa (4%), South and Central America (2.5%), North America (1.2%), Europe (-0.5%), and the Commonwealth of Independent States (-1.1%). India suffered a drop of 2.9% in its imports as a result of its economic slowdown, but China's purchases from abroad jumped nearly 10%.

Outlook

As per the WTO estimates, world trade is expected to grow by 4.7% in 2014 and at a rate of 5.3% in 2015. The forecast of growth at 4.7% remains below the 20-year average of 5.3%. For the past two years, growth in global trade has averaged only 2.2%.

It is estimated that the prospects for world trade and output in 2014 and 2015 are better than they have been for some time, but leading economies remain fragile, including some of the most dynamic developing countries that, until recently, were propping up global demand. Downside risks to trade abound, but significant upside potential also exists, as the US economy seems to be gaining momentum and the European Union appears to have turned a corner.

India's Exports

During FY 2013-14, India's exports rose by 3.98% to reach USD 312 bn, in comparison to USD 300 bn during FY 2012-13. During the same period, Indian imports declined by 8.11% to reach USD 450 bn, resulting in the trade deficit of USD 138 bn.

कंपनी के प्रचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, निर्यातकों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु, आई. आर. डी. ए. के अनुमोदन से, मध्यम आकार के निर्यातक जिनका पण्यावर्त ₹20 करोड़ से ₹100 करोड़ की श्रेणी में है, के लिए बहुखरीदार अपावरण पॉलिसी प्रारंभ की गई तथा लघु निर्यातक पॉलिसी एवं माइक्रो निर्यातक पॉलिसी (पूर्व में एस.एम.ई. पॉलिसी के नाम से जानी जाती थी) के अंतर्गत सुरक्षाओं में संशोधन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक, वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में प्रचलित 11,720 पॉलिसियों की तुलना में अल्पावधि (एस.टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 11,109 थीं। पोतलदान व्यापक जोखिम पॉलिसियों (एस.सी.आर.) ने गत वर्ष के 65% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लागू पॉलिसियों के 61% का बड़ा शेयर जारी रखा। अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत पिछले वर्ष के ₹1,26,100.41 करोड़ की तुलना में 4.16% की वृध्दि दर से ₹1,31,343.62 करोड़ का कुल कारोबार किया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, अल्पावधि पॉलिसी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹360.62 करोड़ की तुलना में ₹388.57 करोड़ की प्रीमियम आय अर्जित की, जो 7.75% की वृध्दि दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹113.42 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत ₹109.29 करोड़ के कुल दावों का भुगतान किया तथा इसी अवधि के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत गतवर्ष के ₹7.43 करोड़ के दावों की तुलना में ₹5.75 करोड़ की वसूली प्राप्त हुई।

ग्राहक विशिष्ट सुरक्षाएं

ईसीजीसी ने आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन के साथ, ग्राहक विशिष्ट सुरक्षा (सी.एस.सी.) पॉलिसियां प्रारंभ की हैं। यदि वर्तमान उत्पाद, किसी निर्यातक की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है तो, आवश्यकतानुसार विशेष रूप से सुरक्षा डिजाइन की जाती है। सी.एस.सी. पॉलिसी का निर्माण आई. आर. डी. ए. द्वारा अनुमोदित दो या दो से अधिक मानक उत्पादों की विशेषताओं को मिलाकर किया जाता है तथा ग्राहक विशिष्ट सुरक्षा में ऐसे किसी एक उत्पाद की आवश्यक प्रभावी विशेषताएं होती हैं, जिसे "आधार" पॉलिसी कहा जाता है।



OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

During the FY 2013-14, to fulfil the requirements of exporters, the Multi Buyer Exposure Policy was introduced for medium sized exporters with a turnover in the range of ₹20 crores to ₹100 crores and covers under the Small Exporters Policy and the Micro Exporters Policy (formerly known as the SME Policy) were modified with the approval of the IRDA.

The total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies in force at the end of FY 2013-14 was 11,109, against 11,720 at the end of FY 2012-13. The Shipment Comprehensive Risks (SCR) Policies continued to maintain the largest share at 61% of the policies in force during the FY 2013-14, as compared to 65%, the previous year. Total business covered under the ST Policies was ₹1,31,343.62 crores, against ₹1,26,100.41 crores during the previous year, with a growth of 4.16%. The premium income earned under the ST Policies during FY 2013-14 was ₹388.57 crores, compared to ₹360.62 crores during the FY 2012-13, showing a growth of 7.75%. Total claims paid under the ST Policies during the FY 2013-14 was ₹109.29 crores, compared to ₹113.42 crores during the FY 2012-13 and the recovery under the ST Policies for the same period was ₹5.75 crores, against ₹7.43 crores during the previous year.

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

ECGC, with the approval of the IRDA, has introduced Customer Specific Cover (CSC) Policies. If any of the existing products does not suit the requirement of an exporter, a tailor-made cover is designed specifically. The CSC policies are structured by way of combining the features of two or more standard products approved by the IRDA and one such product, having the predominant features desired in the customer specific cover, is considered as the "base" policy.

During FY 2013-14, CSC policies were issued, with an aggregate exposure amount of ₹2,161.18 crores. Premium income earned during the FY 2013-14 was ₹34.76 crores, against ₹14.59 crores the previous year and total claims paid in the FY 2013-14 were ₹5.69 crores, as compared to ₹3.92 crores during the FY 2012-13.

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned for the year was ₹869.64 crores (₹751.80 crores), registering a growth of 15.67% over the previous

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹2161.18 करोड़ के सकल ऋण जोखिमों के साथ ग्राहक विशिष्ट सुरक्षा पॉलिसियां जारी की गईं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, गतवर्ष के ₹14.59 करोड़ की तुलना में ₹34.76 करोड़ की प्रीमियम आय अर्जित की तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹3.92 करोड़ की तुलना में ₹5.69 करोड़ के कुल दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई.सी.आई.बी. सुरक्षा)

वर्ष के लिए ₹869.64 करोड़ (₹751.80 करोड़) का प्रीमियम अर्जित किया गया जो गतवर्ष से 15.67% की वृध्दि दर्शाता है। यह सभी सेक्टरों से वर्ष के लिए कुल प्रीमियम का 66.7% है। वर्ष के दौरान बैंकों को भुगतान किए गए दावों का मूल्य ₹639.55 करोड़ (₹396.61 करोड़) था, जो गतवर्ष के आंकड़ों से 61.25%, अधिक था। वर्ष के दौरान ₹144.53 करोड़ (₹104.71करोड़) की वसूली की गई, जो 38.02% है, यह ई.सी.आई. बी. सुरक्षा के अंतर्गत निगम द्वारा क्षतिपूर्ति की गई हानियों के संबंध में खातों के समक्ष निर्यातकों से वसूल की गई राशि में से निगम का हिस्सा है। जारी की गई विभिन्न ईसीआईबी सुरक्षाओं के अंतर्गत निगम द्वारा सुरक्षा प्रदान किए गए कुल जोखिम मूल्य को संपूर्ण पण्यावर्त (सं.प.) सुरक्षा के लिए औसत दैनिक उत्पाद के रूप में लिया गया तथा बैंकों द्वारा इंसीजीसी को रिपोर्ट की गई निजी सुरक्षा के अंतर्गत उच्चतम बकाया राशि ₹1,38,149.89 करोड़ (₹1,38,250.78 करोड़) थी, जो गतवर्ष के स्तर के बराबर है।

वर्ष के दौरान, बोर्ड के अनुमोदन एवं इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई. बी.ए.) की सहमति से बैंकों एवं ईसीजीसी दोनों के हितों की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्य से रत्न, आभूषण एवं हीरों जैसे उच्च दावा अनुपात या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के ऋण जोखिमों को हामीदारी एवं जोखिम प्रबंधन उपायों के दृष्टिकोण से करीब से मॉनीटर एवं नियंत्रित किया गया।

मध्यम एवं दीर्घावधि व्यापार समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, मध्यम एवं दीर्घावधि (एम.एल.टी.) व्यापार से गत वर्ष के ₹44.85 करोड़ की तुलना में ₹45.52 करोड़ की प्रीमियम आय हुई। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पॉलिसियों के अंतर्गत ₹148.66 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया, जबकि बैंकों के लिए



year. This accounted for 66.7% of the aggregate premium for the year, from all sectors. The value of claims paid to banks during the year was ₹639.55 crores (₹396.61 crores), higher by 61.25%, over the figure for the previous year. An amount of ₹144.53 crores was recovered (₹104.71 crores) during the year, higher by 38.02%, being the Corporation's share in the amounts recovered from exporters against accounts in respect of which losses had been indemnified by the Corporation under the ECIB covers. The total Risk Value covered by the Corporation under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Product for the Whole Turnover (WT) covers and the highest amount outstanding under Individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹1,38,149.89 crores (₹1,38,250.78 crores), maintaining a similar level as the previous year.

During the year, exposure to sectors with high claim ratios or high risk such as Gem, Jewellery and Diamond (GJD) was closely monitored and controlled through underwriting interventions and Risk Management initiatives, with the approval of the Board and the concurrence of the Indian Banks Association (IBA), with the twin objectives of protecting the interests of the Banks and those of ECGC.

MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2013-14 stood at ₹45.52 crores against ₹44.85 crores in the previous year. Two claims worth ₹148.66 crores were paid under Policy during the FY 2013-14 while there were no claim payments under ECIB. During the year, there was no recovery of claims paid under ECIB / Policy. The top five countries in which the Corporation has underwritten major business during the FY 2013-14 are Oman, Nepal, Bahrain, Malaysia and Philippines.

During the FY 2013-14, 19 Credit Insurance policies were issued to MLT project exporters covering political/comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered were infrastructure including water supply, hydro power supply, telecommunication, etc. The number of covers under ECIB during the FY 2013-14 was 96, against 195 in the previous year. During the Financial Year, the Corporation has renewed two Overseas Investment Insurance covers issued to exporters for their investments in Sri Lanka and Bangladesh.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for MLT high value

निर्यात ऋण बीमा (ई.सी.आई.बी.) के अंतर्गत किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान, ई.सी.आई.बी. / पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान किए गए दावों की कोई वसूली नहीं की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, निगम ने, जिन पाँच देशों में प्रमुख व्यापार स्वीकार किया है वे हैं ओमान, नेपाल, बहरीन, मलेशिया एवं फिलीपीन्स।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, परियोजना निर्यातकों द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनैतिक/व्यापक जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करते हुए एम.एल.टी. परियोजना निर्यातकों को 19 ऋण बीमा पॉलिसियाँ जारी की गई। जल आपूर्ति, हाइड्रोपॉवर आपूर्ति, दूरसंचार सहित ढांचागत, आदि प्रमुख क्षेत्रों को सुरक्षाएँ प्रदान की गई। पिछले वर्ष के 195 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, ई.सी.आई.बी. सुरक्षाओं की संख्या 96 थीं। वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने श्रीलंका एवं बांग्लादेश में उनके निवेशों के लिए निर्यातकों को जारी दो विदेशी निवेश बीमा सुरक्षाओं का नवीनीकरण किया है।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन.ई.आई.ए.)

एन.ई.आई.ए. ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च 2014 तक, विभिन्न परियोजना निर्यातकों को, इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान आदि जैसे बाजारों में ₹10,132.12 करोड़ सकल मूल्य की 14 परियोजनाओं के लिए ₹3996.80 करोड़ मूल्य की 27 रक्षाएं जारी की गई थीं। 31 मार्च 2014 को ट्रस्ट के पास ₹1313.79 करोड़ की राशि थी, जिसे बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में, ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमि., नई दिल्ली को सूडान में उनकी पाईपलाइन परियोजना के लिए ₹44.79 करोड़ के एक दावे का भुगतान किया गया।

खरीदार ऋण सुरक्षा

एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में, भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन. ई.आई.ए.) के अंतर्गत 'खरीदार ऋण' जैसे उत्पाद को प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य कुछ विकासशील देशों में परियोजना निर्यात को बढ़ावा देना तथा आस्थगित भुगतान शर्तों पर केन्द्रित बाजार को पूँजी सामग्री निर्यात करना है। दिनांक 31.03.2014 तक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को श्रीलंका एवं जाम्बिया के उधारकर्ताओं पर जारी की गई, ₹1,394.61 करोड़ सकल मूल्य की तीन सुरक्षाएँ लागू थीं।

निवेश

31 मार्च 2014 तक, निवेश पोर्टफ़ोलियो, सरकारी प्रतिभूतियां, कोर्पोरेट प्रतिभूतियां, इक्विटी शेयर, सावधि जमा आदि को मिलाकर, 31 मार्च 2013 के ₹5033.90 करोड़ की तुलना में ₹664.16 करोड बढ़कर 13.19% की वृध्दि दर्ज करते हुए ₹5698.06 करोड़ रहा। अतिरिक्त पूंजी बढ़ाने एवं प्रचालनों/निवेशों से प्राप्त अधिशेष के कारण निवेश पोर्टफ़ोलियो में वृध्दि हुई। projects which are desirable from the point of view of national interest. As on March 31, 2014, 27 covers, of value of ₹3,996.80 crores, were in force, covering 14 projects of value of ₹10,132.12 crores, undertaken by various project exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, etc. The Trust has a corpus of ₹1,313.79 crores as of March 31, 2014, which has been invested in Term Deposits with banks. In the FY 2013-14 one claim of ₹44.79 crores was paid to ONGC Videsh Ltd., New Delhi for their pipeline project in Sudan.

BUYERS' CREDIT COVER

The Company, in association with Exim Bank of India, introduced in the FY 2010-11, a product viz. 'Buyers' Credit' cover, under the NEIA, a Trust set up by the Government of India, with a view to promoting project exports to certain developing countries and export of capital goods to 'focus' markets, on deferred payment terms. As of 31.03.2014, three Buyers' Credit covers with an aggregate value of ₹1,394.61 crores, issued to Exim Bank of India on borrowers from Sri Lanka and Zambia were in force.

INVESTMENTS

As on March 31, 2014, the Investment Portfolio, comprising of investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits, etc., stood at ₹5,698.06 crores, against ₹5,033.90 crores as on March 31, 2013, showing an increase of ₹664.16 crores, i.e. increase of 13.19%. The growth in the Investment Portfolio was on account of infusion of additional capital and the surplus generated from operations/investments.

The Corporation has complied with all regulatory requirements in respect of investments and investment under the mandatory category stood at 62.19%, against the 45% norm prescribed by IRDA.



निगम ने निवेश के संबंधी सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन किया तथा अनिवार्य क्षेत्रों में निवेश, आई.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित मानदंड के 45% की तुलना में 62.19% रहा।

निवेश प्रचालनों से प्राप्त आय (निवेशों की बिक्री से लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹397.98 करोड़ की तुलना में ₹71.29 करोड़ बढ़कर 17.91% की वृध्दि दर्ज करते हुए ₹469.27 करोड़ हुई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में, निवेश प्रचालनों से प्राप्त आय पिछले वर्ष के 8.85% की तुलना में 8.92% रही। निगम के निवेश प्रचालन मुख्यतः दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए।

खरीदार हामीदारी

प्रधान कार्यालय के खरीदार हामीदारी विभाग (बी.यू.डी) का कार्य विभिन्न एजेंसियों से वाणिज्यिक जोखिमों की हामीदारी की सूचना रिपोर्टों को प्राप्त करना, अद्यतन करना एवं उनका विश्लेषण करना तथा विदेशी खरीदारों पर सीमाएं निश्चित करना है। खरीदारों पर निश्चित की गई सीमाओं से संबंधित रिकॉर्डों को विभाग द्वारा निरंतर रूप से अद्यतन किया जाता है एवं उनकी समीक्षा की जाती है।

प्रत्येक खरीदार के लिए रेटिंग तथा समग्र सीमा (ओ.एल.) निर्धारित करने के लिए खरीदार स्कोर कार्ड सिस्टम को सफलतापूर्वक कार्यान्वयित किया गया है। खरीदारों का मूल्यांकन चार मानदंडों के आधार पर किया जाता है जैसे व्यापार योग्यता, संपादन व्यवहार, वित्तीय एवं उद्योग रूपरेखा। खरीदार पर कुल सीमा निश्चित करने के लिए बनाए गए स्कोर कार्ड से, हामीदारी एवं जोखिम प्रबंधन में निगम की क्षमता में वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, यूएई.-दुबई, यू.एस.ए एवं सऊदी अरब पर हामीदारी मानदंडों की समीक्षा की गई एवं 2008 के संकंट, के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में छूट दी गई है।

गतवर्ष प्राप्त 35,728 ऋण सीमा आवेदनों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 35,030 ऋण सीमा आवेदन प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, विदेशी खरीदारों पर समग्र सीमा निर्धारित करने से कंपनी द्वारा गतवर्ष के ₹26,862 करोड़ की तुलना में ₹28,790 करोड़ के कुल ऋण जोखिमों की हामीदारी की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, कंपनी के डाटाबेस में गतवर्ष में 16,127 की तुलना में 17,201 नए खरीदार जुड़े।

देश हामीदारी

देश हामीदारी विभाग (दे.हा.वि.) देशों पर हामीदारी पॉलिसियों के लिए जिम्मेदार है। निगम के पास, देश मूल्यांकन के लिए सात तरह के वर्गीकरणों पर देशों के जोखिम प्रोफाइल की रेटिंग करने के लिए, विषयपरक स्कोरिंग प्रणाली है। विभिन्न देशों में आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण किया गया है, जो देश के भारत के साथ संबंध, ईसीजीसी का अनुभव तथा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस (बर्न यूनियन) के दृष्टिकोण सहित विभिन्न मानदंडों



इंदौर में ईसीजीसी- डी एंड बी निर्यात जोखिम प्रबंधन कॉनक्लेव। श्री एस.एस. मुंद्रा, अ.प्र.नि.- बैंक ऑफ बडौदा सम्मानीय अतिथि थे ECGC-D&B Export Risk Management Conclave at Indore. Shri S.S. Mundra, CMD -Bank of Baroda was the Guest of honour

Income generated from Investment Operations (including profit on sale of investments) increased to ₹469.27 crores in FY 2013-14 from ₹397.98 crores in FY 2012-13, recording an increase of ₹71.29 crores i.e. an increase of 17.91%. The yield on investment operations for the FY 2013-14 was 8.92%, against 8.85% for the previous year. The Corporation's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade- off balance between risk and return.

BUYER UNDERWRITING

The role of the Buyer Underwriting Department (BUD) at the Head Office is to obtain, update and analyse the business information reports received from various agencies, for underwriting of commercial risks and fixation of limits on buyers overseas. The department continuously updates relevant records and reviews the limits set on buyers.

The Buyer Score Card system has been successfully implemented for rating of buyers and determination of Overall Limits (OL) for each buyer. Buyers are evaluated on the basis of four parameters viz. Business Ability, Transactional behavior, Financials and Industry Outlook. The Score Card, developed to fix OLs on the buyer, has strengthened the Corporation's abilities in Underwriting and Risk Management.

The underwriting norms on UAE - Dubai, USA and Saudi Arabia have been reviewed during the Financial Year and the restrictions introduced, post the 2008 crisis, have been relaxed.

The number of Credit Limit Applications received in FY 2013-14 was 35,030, against 35,728 in the previous year. During the FY 2013-14, the aggregate exposure underwritten by the Company through fixing OLs on foreign buyers, was ₹28,790 crores as

पर आधारित है। यह सुरक्षा के प्रकार व शर्तों को निर्धारित करने तथा प्रीमियम गणना को निर्धारित करने में भी सहायक होता है। बहुत वर्षों से, निगम तथा इसके पॉलिसीधारकों के अनुभवों के आधार पर स्वतंत्रता पर बिना समझौता किए, विभिन्न देशों के अपेक्षित जोखिम मूल्यांकन से उदार हामीदारी पॉलिसी बनाने का प्रयास किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, सभी देशों की समीक्षा की गई और संशोधित वर्गीकरण को 1 दिसंबर 2013 से कार्यान्वित किया गया। हामीदारी की एक उत्कृष्ट प्रणाली प्रस्तुत की गई तथा उनके दावों-जोखिम मूल्य राशियों, बर्न-यूनियन संदर्भ, भारत से निर्यातों तथा राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों में आधारित पर, चयनित देशों की तिमाही आधार पर समीक्षा की गई।

ए-1 रेटिंग को 'कम जोखिम' तथा डी को 'अत्याधिक जोखिम' के रूप में परिभाषित करते हुए 31.03.2014 को देशों के वर्गीकरण का सारांश, निम्नवत हैः

ए1	ए2	बी1	बी 2	सी1	सी2	डी	गैर रेटेड
39	38	44	45	33	10	07	21

वर्गीकरण सूची में 237 देशों में से 200 देशों को 'खुली रक्षा श्रेणी' में जबकि 27 को 'प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी-I' (जहां परिवर्तित सीमांए स्वीकृत हैं, सामान्यतः एक वर्ष के लिए) तथा 10 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी-II' (जहां मामले के आधार पर विशेष स्वीकृति प्रदान की गई है) रखा गया था।

सन 2006 में, जब पिछले मॉडल की समीक्षा की गई थी, तब से सब-प्राइम एवं यूरो-जोन संकट सहित समय आधारित वैश्विक विकास हुए हैं। वर्तमान में प्रचलित अतिरिक्त जोखिमों को शामिल करने के लिए मॉडल की पुनः समीक्षा करने की बहुत आवश्यकता थी। एक बाहरी एजेंसी की सहायता से वर्तमान देश जोखिम रेटिंग मॉडल (सी.आर.आर.एम.) की समीक्षा की गई/ अद्यतित किया गया।

अल्पावधि तथा मध्यम व दीर्घावधि के अंतर्गत देशों के जोखिम प्रोफाइल को सात स्तरीय वर्गीकरण में रेट करने के लिए अलग-अलग स्कोरकार्ड



against ₹26,862 crores in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2013-14 was 17,201, as against 16,127 in the previous year.

COUNTRY UNDERWRITING

The Country Underwriting Department (CUD) is responsible for the Underwriting policy on countries. The Corporation has in place, an Objective Scoring Methodology for Country Evaluation, devised to rate the risk profile of countries on a seven fold classification. An analysis is made of the economic and political situations in countries based on various parameters, including India's relationship with the country, ECGC's experience and the approach of the International Union of Credit and Investment Insurers (Berne Union). It also helps in determining the types and terms of cover and helps determine premium calculation. Over the years, efforts have been made to have a liberal underwriting policy based on the experience of the Corporation and its Policyholders, without compromising on the independent, objective risk assessment of various countries.

During the FY 2013-14, a review of all countries was carried out and the revised classification was implemented w.e.f, December 1, 2013. A dynamic system of underwriting was introduced and review of select countries was carried out on a quarterly basis, based on their Claim - Risk Value ratio, Berne Union reference, Exports from India and changes in political and economic situation.

The summary of the country classification as on 31.03.2014, with A1 rating defined as 'Insignificant Risk' and D defined as 'Very High Risk', was as follows:

A1	A2	В1	В2	C1	C2	D	Not Rated
39	38	44	45	33	10	07	21

Out of the 237 countries in the classification list, 200 countries were placed in the 'Open Cover' Category while 27 countries were in the 'Restricted Cover' Category - I (where revolving limits are approved normally valid for one year) and 10 countries in the 'Restricted Cover' Category - II (where specific approval is given on a case to case basis).

Since 2006, when the previous model was reviewed, there have been epoch making developments globally including the Sub-prime and the Euro-zone crises. There was a dire need to revisit the model in order to capture the additional risks currently prevailing. The existing Country Risk Rating Model (CRRM) was reviewed / updated with the assistance of an external agency.



दिनांक 3 जनवरी 2014 को पुणे में आयोजित ग्राहक सम्मान बैठक के दौरान निर्यातकों को सम्मानित किया गया Felicitation of exporters in the Customer Commemorative Meet held in Pune on 3rd January, 2014

तैयार किए गए हैं, जिससे इन दो क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न जोखिमों को पहचाना जा सके। 'बेंचमार्कों' एवं 'पॉलिसी मानदंडों' के सिद्धांतों, जो कि रेटिंग पर निर्णायक रूप से प्रभाव डालता है, को भी लागू किया गया है।

देशों की क्रेडिट रेटिंग के साथ, हानि, दी गई चूक / संभावित अधिकतम हानि स्थिति / हानि आवृत्ति के आधार पर देशों पर जोखिम सीमा को जोड़कर, अल्पावधि पॉलिसी व्यापार के लिए देश जोखिम सीमा (सी. ई.एल.) निर्धारित करने के मानदंडों को भी संशोधित किया गया है।

संशोधित सी.आर.आर.एम. के अनुसार, अल्पावधि तथा मध्यम व दीर्घावधि के अंतर्गत देशों के लिए जोखिम रेटिंग एवं अल्पावधि क्षेत्र के लिए देश जोखिम सीमाएं, 1 जून 2014 से प्रभावी होंगी।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए, कंपनी ने जी.आई.सी., पुनर्बीमा से मध्यम व अल्पावधि सुरक्षाओं सहित, अपने संपूर्ण कारोबार के लिए 5% अनिवार्य पुनर्बीमा (क्यू.एस.) सहित अल्पावधि पॉलिसियों एवं अल्पावधि ईसीआईबी सुरक्षाओं के लिए 15% की सीमा तक भारतीय एवं विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं से समानुपातिक (कोटा शेयर- क्यू.एस.) पुनर्बीमा संधि की एवं इसके अतिरिक्त अल्पावधि पॉलिसियों तथा ईसीआईबी सुरक्षाओं के अंतर्गत निश्चित हानियों के लिए हानि की अधिकता के लिए भी व्यवस्था की है। निगम, पहली बार, ईसीआईबी सहित अल्पावधि कारोबार के लिए दो विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करने में सफल हुआ।

जोखिम प्रबंधन

निगम ने 2011 से विवेकयुक्त जोखिम प्रबंधन मानदंड लागू किए हैं एवं किसी एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग व देश के लिए जोखिम सीमा निश्चित की। पोर्टफोलियो में संकेंन्द्रित जोखिमों का प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, ईसीआईबी सेक्टर में हाल ही में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम मानदंडों में संशोधन किए गए। संशोधित जाखिम मानदंडों के अनुसार, अल्पावधि ईसीआईबी के अंतर्गत किसी निर्यातक पर अधिकतम देयता (जोखिम) को Separate scorecards, to rate the risk profile of countries in a seven fold classification, under Short-Term and Medium & Long Term have since been introduced, to appreciate the different risks associated with the two sectors. The concepts of 'Benchmarking' and 'Policy parameters', which have a decisive effect on the ratings, have also been introduced.

The criteria for fixing Country Exposure Limits (CEL) for the Short Term Policy business have also been modified by mapping of Credit Rating of countries with exposure limit on countries, based on loss, given default/probable maximum loss situation/loss frequency.

The country risk ratings for the Short Term and the Medium & Long Term as per the revised CRRM and the country exposure limits for Short Term sector, will be made effective w.e.f. June 1, 2014.

REINSURANCE

For the FY 2013-14, the Company had a Proportional (quota share - QS) Reinsurance Treaty to the extent of 15% from Indian and Foreign reinsurers for the Short Term Policy and the Short Term ECIB covers, along with obligatory 5% reinsurance (QS) cover from GIC Re, for the entire business including MLT covers and additionally, Excess of Loss arrangement for certain losses under Short Term Policy and ECIB covers. The Corporation was successful in garnering the support of two foreign reinsurers in the reinsurance arrangement for the Short Term business including ECIB, for the first time.

RISK MANAGEMENT

The Corporation introduced prudential risk management norms since 2011 and has fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing



निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत करूर, तामिलनाडु के स्कूल को सौर ऊर्जा पैनल प्रदान किया गया The Corporation donated a Solar Power Panel under CSR initiative to a school in Karur, Tamil Nadu
निगम के निवल मूल्य (नि.मू.) का 40% तक निश्चित किया जा सकता है। किसी निर्यातक समूह पर जोखिम के संबंध में, यदि समूह कंपनियां अलग-अलग उद्योग क्षेत्र में व्यवसाय करती हैं, तो जोखिम सीमा को निगम के निवल मूल्य का 75% तक निश्चित किया गया है एवं यदि समान उद्योग क्षेत्र में व्यापार करते हैं, तो सीमा को निवल मूल्य के 50% तक निश्चित किया गया है। मंडल द्वारा एकल उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम सीमा को निगम द्वारा लिए गए सकल जोखिम के 20% तक निश्चित किया गया है। निश्चित की गई देश जोखिम सीमाओं को निगम के सी आर आर एम के अंतर्गत देश जोखिम रेटिंग से संबध्द किया गया है।

वसूली

कंपनी के पास, निगम के व्यापार के सभी क्षेत्रों, जैसे अल्पावधि पॉलिसी, बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी), अवरूध्द निधियों सहित मध्यम एवं दीर्घावधि पॉलिसियों में वसूली प्रयासों के समन्वय हेतु प्रधान कार्यालय में समर्पित वसूली कक्ष है। सितम्बर 2013 में, लंदन में विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की, जिससे यूरोप में खरीदारों की चूक के कारण निपटाए गए दावों की वसूली को मजबूत किया जा सके। कंपनी ने, अपने पैनल पर निर्यातकों को उनकी वसूली प्रयासों में सहायता के लिए विदेश में 16 ऋण वसूली एजेंसियों को रखा है। कंपनी, विभिन्न अफ्रीकी देशों में रूकी हुई राशियों की वसूली के लिए मजबूत एवं दीर्घकालिक प्रयास कर रही है, जिसके संबंध में, निर्यातकों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के दावों का निपटान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में, पिछले वर्ष के ₹120.53 करोड़ की तुलना में 35.15 प्रतिशत की वृध्दि दर्शाते हुए ₹158.08 करोड़ की कुल वसूली की गई। the concentration risk of a portfolio is a continuous process. Taking into account the recent developments in the ECIB sector, further modifications in exposure norms were made during FY 2013-14. As per the revised exposure norms, the maximum liability (exposure) upto which covers under Short Term ECIB can be considered on an exporter, is fixed at 40% of the Net Worth (NW) of the Corporation. In respect of exposure to an exporter group, if the group Companies are engaged in different industry sectors, the exposure limit has been fixed at 75% of the NW of the Corporation and if engaged in the same industry sector, the limit fixed is 50% of the NW. The limit for exposure for a single industry sector has been fixed by the Board at 20% of the aggregate exposure taken by the Corporation. Country exposure limits fixed are linked to the Country Risk Rating under the CRRM of the Corporation.

RECOVERIES

The Company has a dedicated Recovery Cell at Head office, for co-ordinating the efforts of recovery in all segments of the Corporation's business viz. Short Term Policies, Short Term ECIB and MLT Policies, including blocked funds. An Overseas Representative Office was set up in London in September, 2013, to strengthen recovery of claims settled against default of buyers in Europe. The Corporation also has on its panel, 16 Debt Collection Agencies abroad, for assisting exporters in their



माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिनांक 14 सितंबर 2013 को गृह मंत्रालय का इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया

Hon'ble Shri Pranab Mukherjee, President of India handed over the Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar of Ministry of Home Affairs for securing 1st place in official language implementation during FY 2012-13 to CMD on 14th September, 2013



सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

कंपनी ने कस्टमाइजेशन एवं इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर के प्रावधान, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्राप्त करने, को-होस्टेड कमर्शियल डाटा केंद्रों पर डाटा केंद्र स्थापित करने, कार्यान्वयन के उपरांत सहायता हेतु नए ढांचों के प्रबंध सहित शुरु से अंत तक आई.टी. समाधान प्रस्तुत करने के लिए 'सिस्टम इंटीग्रेटर' (एस.आई.) की नियुक्ति की थी। एस.आई. ने 'यूजर इंटरफेस - यूजर स्वीकार्यता परीक्षण' (यू.आई.- यू.ए.टी.) एवं कार्यात्मक यू.ए.टी के लिए कोर बीमा उत्पाद के हिस्से को निर्मित किया था।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, एस.आई. ने 23 कोर बीमा उत्पादों एवं उद्यम खातों, मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन सहित अन्य सहायक गतिविधियों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्मित किए। यह आशा है कि कोर बीमा एवं सहायक गतिविधियों के लिए संपूर्ण सॉफ्टवेयर वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएगा।

आई.टी. प्रोग्राम कार्यान्वयन पर आई.टी. सलाहकार की सहायता से एस.आई. एवं ईसीजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्टियरिंग समिति द्वारा नजर रखी जाती है। निदेशक मंडल द्वारा समय समय पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। नए आई.टी. सिस्टम के एक बार कार्यान्वित हो जाने पर, आगे ग्राहक संपर्क, सेवा आपूर्ति तथा प्रचालन क्षमता में सुधार होगा। recovery efforts. The Corporation is making strong and sustained efforts for recovery of blocked funds from various African countries, in respect of which claims were settled to exporters, banks and other financial institutions earlier. Total recoveries effected in the FY 2013-14 were of the order of ₹158.08 crores, against ₹120.53 crores in the previous year depicting a growth of 35.15%.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company had appointed a 'System Integrator'(SI) to provide an end-to-end IT solution, including customization and integration of application software components, provisioning of hardware, procuring of systems software licenses, setting up Data Centres at the co-hosted Commercial Data Centres as also management of the new IT infrastructure for the postimplementation support. The SI had delivered a part of the core insurance products for conducting 'User Interface - User Acceptance Testing' (UI - UAT) and functional UAT.

During the FY 2013-14, the SI delivered the application software for 23 core insurance products and other support functions including Enterprise Accounts, Human Resources Development

56th Annual Report 2013-14 ई सी जी सी E C G C

विपणन एवं प्रसार

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन.एम.डी.), निगम की विपणन, प्रचार एवं प्रसार गतिविधियों का प्रबंधन करता है। विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शाखाओं के व्यवसायिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत निश्चित किए लक्ष्यों की तूलना में समग्र निष्पादनों की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग द्वारा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में व्यापार निष्पादनों की अर्ध्ववार्षिक समीक्षा के लिए, शाखा प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रमुखों, प्रधान कार्यालय के विभाग प्रमुखों एवं अनुभाग प्रमुखों के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। एन.एम.डी. ने, सुप्रसिध्द एजेंसी के माध्यम से जुलाई 2013 में, ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया एवं परिणामों का, ग्राहक सेवा स्तर बढ़ाने, उत्पाद इनोवेशन आदि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग किया। वर्ष के दौरान, विभाग ने 30 सितंबर 2013 को, 2रा कारोबार आरंभ दिवस स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य योजना आयोग एवं सदस्य, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, द्वारा ''बाह्य क्षेत्रों का प्रबंधन : व्यापार संतूलन की मजबूती हेतू निर्यात में वृध्दि'' विषय पर व्याख्यान दिया गया।

निगम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऋण जोखिमों तथा इन जोखिमों को कम करने के लिए निगम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों के बारें में जागरूकता पैदा करने के लिए, विभिन्न निर्यात विकास संस्थानों जैसे एफ. आई.ई.ओ., एफ.आई.सी.सी.आई, व्यापार मंडलों आदि के साथ करीबी समन्वय बनाने का कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जो कि वर्तमान/ संभावित ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा सूचना के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, की संख्या शाखाओं में बढ़ाई जा रही है। निगम द्वारा, ऋण जोखिम प्रबंधन, कार्यकारी पूंजी प्रबंधन, देश जोखिम प्रबंधन, समुद्रीय बीमा आदि, सहित निर्यातों से जुड़े हुए जोखिमों को कम करने के उपायों के बारे में निर्यातकों एवं संभावित निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए, डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट के साथ मिलकर, निर्यात जोखिम प्रबंधन कॉन्क्लेव की आठ कॉन्क्लेव की एक शृंखला का आयोजन किया गया। ईसीजीसी ने, दावा वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से, सितंबर 2013 में, लंदन, यू.के. में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला।



& Administration. It is expected that the entire software for core insurance and other support functions will go live in the current financial year.

The IT Program Implementation is being monitored by a Steering Committee comprising of senior officials of the SI and ECGC, with the assistance of an IT Advisor. The progress is reviewed periodically by the Board of Directors. Once implemented, the new IT system will further improve customer interface, service delivery and operational efficiency.

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) manages the Marketing, Advertising and Publicity activities of the Corporation. The division is responsible for setting of business targets for the branches through the Regional Offices and for monitoring the overall performance vis-a-vis the targets set under various parameters. The Division carried out the half-yearly review of the business performance by organising the All India Conference of the Branch Managers, Regional Heads, Heads of Departments and Sectoral Heads at the Head Office, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. The NMD carried out a Customer Satisfaction Survey in July, 2013 through a reputed Research Agency and used the results to focus on improving customer service levels, product innovations etc. During the year, the Division organised the 2nd Business Commencement Commemorative Lecture on 30th September, 2013, when Shri Saumitra Chaudhuri, Member Planning Commission and Member, Prime Minister's Economic Advisory Council, delivered a speech on "Managing the External Sector: Raising Exports towards More Balanced Trade".

The Corporation works in close co-ordination with various export promotion bodies like FIEO, FICCI, Chambers of Commerce, etc, to create awareness of credit risks in international trade and of the credit insurance products that the Corporation offers to mitigate those risks. The Field force, which plays a vital role in disseminating information by personal interaction with existing/prospective customers, has been strengthened in the branches. The Corporation organised a series of eight Export Risk Management Conclaves in association with Dun & Bradstreet, to educate the exporters/prospective exporters on various risk mitigation techniques associated with exports, including credit risk management, marine insurance, etc. ECGC opened its first overseas office in London, UK in September 2013, with the objective of increasing claim recoveries.

कंपनी योजना

निगम की कंपनी योजना, वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, राष्ट्रीय निर्यात में अपने संरक्षण को 8.60% बढ़ाने पर ध्यान देना है। योजना दस्तावेज, एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण, व्यापार प्रवृत्ति, वैश्विक एवं राष्ट्रीय वातावरण, विदेशी प्रतिस्थानों से तुलना एवं 2013-14 - 2017-18 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रक्षेपणों की रूपरेखा बनाने के आधार पर, कंपनी के निष्पादन पर विवेचन करते हैं। प्रक्षेपणों में मोटे तौर पर, कंपनी के निष्पादन पर विवेचन करते हैं। प्रक्षेपणों में मोटे तौर पर, कंपनी की प्रीमियम आय में वृध्दि, संरक्षित जोखिम मूल्य, अपने विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में अनुमानित दावा भुगतान एवं वसूलियां तथा वित्तीय परिणामों के परिणामी प्रक्षेपणों को शामिल किया है। कंपनी ने अपने, विपणन माध्यमों पर ध्यान देना, नए उत्पाद प्रस्तुत करना, संपूर्ण फैक्टरिंग सुरक्षाओं सहित विशिष्ट उत्पाद प्रस्तुत करके एम.एस.एम.ई. की आवश्यकताएं पूरी करना, पुनर्बीमा व्यवस्थाओं को पुनः लागू करना, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीकी अपनाना, प्रदत्त दावों की वसूली के प्रयासों को मजबूत बनाना एवं अपने मानव संसाधनों को विकसित करने के द्वारा, प्रक्षेपणों को प्राप्त करने की योजना बनाई है।

वैकल्पिक विपणन एवं वितरण चैनल

ईसीजीसी ने 26 बैंकों के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौता किया है तथा अभी तक अनखुए बाजारों में प्रवेश करने हेतु 172 ब्रोकरों का पैनल बनाया है, जो कि निगम के व्यवसाय वृध्दि के लिए प्रभावी चैनल साबित हुआ है।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) एवं दीर्घकालिक विकास (एस.डी.) :

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा सी.एस.आर एवं एस.डी. पर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, निगम को सी.एस.आर. एवं एस.डी. की विविध गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिवर्ष अपने लाभ में से कम से कम २% राशि व्यय करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, निगम ने सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधियों पर ₹8.41 करोड़ की राशि व्यय की। सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य पहल निम्नलिखित हैं:



निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष में आंध्रप्रदेश के माननीय राज्यपाल को ₹1 करोड़ का चेक सौंपते हुए अ.प्र.नि. CMD handing over a cheque of ₹1 crore to the Hon'ble Governor of Andhra Pradesh under CSR initiative to the Chief Minister's Relief Fund



CORPORATE PLAN

The Corporate Plan of the Company envisages increasing of its coverage of national exports to 8.60% by FY 2017-18. The Plan document discusses the performance of the Company, in terms of SWOT analysis, business trends, global and national environment, comparison with its overseas counterparts and outlines the projections for the period ending 2013-14 - 2017-18. The projections broadly encompass the Company's growth in Premium Income, Risk Value coverage, Claims pay out and Recoveries anticipated under its different business segments and the resultant projection of financial results. The Company has drawn up its strategies to achieve the Plan projections by focusing on its marketing channels, introducing new products, addressing the needs of MSMEs by offering specialized products including full-fledged Factoring covers, reinforcing the Reinsurance arrangements, adopting prudent Risk Management techniques, strengthening the Recovery efforts against Claims paid and development of its human resources.

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

ECGC has entered into Corporate Agency Agreements with 26 banks and has empanelled about 172 brokers, to penetrate the untapped market, which have proved to be effective channels for the business growth of the Corporation.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD):

In accordance with the DPE guidelines on CSR and SD, the Corporation is required to spend at least 2% of its profit every year, for various activities under CSR and SD. An aggregate amount of ₹8.41 crores was spent during FY 2013-14 on the Corporation's CSR & SD activities. The following are the major initiatives undertaken:

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी.आई.एस.एस.) की सहायता से, निगम ने एम-वार्ड, वाशी नाका, महुल गांव, जो कि मुंबई का एक पिछड़ा क्षेत्र है, में 523 छात्रों को ₹22.64 लाख मूल्य की छात्रवृत्ति राशि वितरित की। 2013 की सर्दियों के दौरान, निगम द्वारा दिल्ली, शिमला, जयपुर, उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर, चंडीगढ़ एवं अमृतसर में रेन-बसेरा में ठहरने वाले गरीब एवं निराश्रतों को कंबल वितरित किए गए। निगम ने तूफान/बाढ़ से प्रभावित आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में प्रत्येक को उनके मुख्यमंत्री राहतकोष में ₹1 करोड़ का योगदान दिया। अभूतपूर्व बाढ़ से प्रभावित उत्तराखंड क्षेत्र में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री राहतकोष, उत्तराखंड को ₹5 करोड़ की राशि जारी की गई। डी.पी.ई. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ये योगदान पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए हैं।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निगम ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान हिन्दी कार्यान्वयन में की गई प्रगति के लिए निगम को "ख" क्षेत्र में 14 सिंतबर, 2013 को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रथम इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ।यह राष्ट्रीय पुरस्कार निगम को लगातार 17 वीं बार प्राप्त हुआ है, जिसमें निगम, पिछले दो वर्षों से निरंतर प्रथम स्थान पर रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निगम को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किए पुरस्कारों की श्रृंखला में 14 वां पुरस्कार है।

निगम ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति जारी रखी है। ईसीजीसी के कार्यालयों में 13 से 27 सितंबर 2013 तक पूरे



कोयंबतूर ईसीजीसी - डी एंड बी निर्यात जोखिम प्रबंधन कॉन्क्लेव. श्री शक्तिवेल, अध्यक्ष, तिरूपुर निर्यातक एसोसिएशन एवं एपरेल्स के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमन सम्माननीय अतिथि थे ECGC-D&B Export Risk Management Conclave at Coimbatore. Shri A. Sakthivel, President, Tirupur Exporters' Association and Chairman Sector Skill Council for Apparels was the Guest of Honour



श्री टी.एस. विजयन, अध्यक्ष, आईआरडीए ने बैंक कारोबार शाखा, हैदराबाद की नई शाखा परिसर का उद्घाटन किया। श्री सीवीआर राजेंद्रन, अ.प्र.नि., आंध्र बैंक एवं श्री एम. भगवंत राव, एमडी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद भी उपस्थित थे Shri T.S. Vijayan, Chairman, IRDA inaugurated the new branch premises of Bank Business Branch Hyderabad. Shri CVR Rajendan, CMD, Andhra Bank and Shri M. Bhagavantha Rao, MD, State Bank of Hyderabad were also present

With the help of Tata Institute of Social Sciences (TISS), the Corporation has released ₹22.64 lacs worth of scholarships to 523 students in M-Ward, Vashi Naka, Mahul village, which is one of the backward areas in Mumbai. During the winter of 2013, the Corporation undertook distribution of blankets to the poor and destitute staying in the night shelters of Delhi, Simla, Jaipur, Uttarakhand, Muzaffarnagar, Chandigarh and Amritsar. The Corporation contributed ₹1 crore each, to the respective Chief Minister's Relief Fund in the cyclone/flood affected States of Andhra Pradesh, Odisha and Bihar. An amount of ₹5 crores was released to the Chief Minister's Relief Fund of Uttarakhand towards re-construction and rehabilitation of the Uttarakhand region affected by unprecedented floods. These contributions are towards projects undertaken in backward regions as per DPE directions.

IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The Corporation has achieved all the targets laid down in the annual Rajbhasha programme for the FY 2013-14 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Corporation has been honoured with the first prize of the Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar, on 14th September, 2013 for the FY 2011-12 in the "B" Region, by the Hon'ble President of India. The Corporation has been receiving this national award continuously for the past 17 years and has secured first position continuously, in the previous two years.

The Corporation has been conferred the First Prize for excellent implementation of Rajbhasha for the FY 2012 - 13 by the Ministry of Commerce and Industry. This is the 14th award in the series of awards conferred on ECGC by the Ministry so far.

उत्साह के साथ हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान, हिन्दी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 14 अक्तूबर 2013 को आयोजित किया गया।

जनवरी 2014 में, अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय के विभागों के राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अधीन, प्रधान कार्यालय, पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों और 55 शाखाओं को भारत के राजपत्र, में अधिसूचित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए, हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाली कुछ योजनाएं जैसे 'हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना' शुरू की गई है। अपने ग्राहकों के साथ हिन्दी में किए जाने वाले निगम के पत्राचार में नियमित वृद्धि दर्ज की जा रही है। निगम की वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें सब-स्टाफ के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है, जिनमें प्रशिक्षण द्विभाषी में ही दिए गए। निगम द्वारा आयोजित The Corporation continued its progress in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. ECGC offices enthusiastically celebrated the Hindi Fortnight from 13th to 27th September, 2013. During the Hindi Fortnight, various types of Hindi competitions were conducted and the winners awarded cash prizes. The prize distribution function was held on 14th October, 2013.

An All India Hindi Officers Conference was organized in January, 2014 in which Hindi Officers of various branches and Head Office Departments have participated.

The Head Office, five Regional Offices and 55 branches of the Corporation have been notified under Rule 10 (4) of the Official Language Rules 1976 in the Gazette of India, for acquiring knowledge of Hindi by the staff thereof.

To accelerate the official use of Hindi, certain schemes promoting use of Hindi, such as 'Incentive scheme for working in Hindi', have also been initiated during the FY 2013-14. The Corporation's correspondence in Hindi with its customers, is showing steady progress. The Website of the Corporation is available in bilingual form.



सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति पर एक सत्र शामिल किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का निगम के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों में नियमित रूप से आयोजन किया गया। निगम में, कर्मचारियों द्वारा उनके दैनिक कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, प्रोत्साहन देने और प्रेरित करने के लिए, नकद पुरस्कारों सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रचलित है। प्रधान कार्यालय, शाखा कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कर्मियों को प्रतिवर्ष उनके संबंधित कार्यालय के लिए "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार योजना" प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कंपनी, निर्यात ऋण एवं निवेश उद्योग हेतु एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बर्न यूनियन (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्यूरर्स) का स्थापना के समय से ही सदस्य है। बर्न यूनियन का लक्ष्य, आपसी सहयोग, वैश्विक व्यापार एवं निवेश में विकास को बढ़ावा देना है। वर्ष 2013 में, बर्न यूनियन के सदस्यों ने 1.9 ट्रीलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया, जो कि कुल वैश्विक क्रॉस बॉर्डर व्यापार का लगभग 10% है। कंपनी ने अप्रैल 2013 में, न्यूयार्क, यू.एस.ए., में आयोजित बर्न की बैठक तथा अक्टूबर 2013 में विएना, ऑस्ट्रिया, में आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। इससे ऋण बीमा के क्षेत्र में सूचना एवं अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया, जिसमें देश दृष्टिकोण, हामीदारी तकनीक एवं वसूली उपाय शामिल हैं।

During the FY 2013-14, 22 training programs, including a training program for the sub-staff, were organized by the Corporation, in which training was provided bilingually. A session related to the national Official Language Policy was a part of all the training programs conducted by the Corporation. Quarterly Review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branches, Regional Offices and at the Head Office of the Corporation. Various incentives, including cash prizes, are in vogue in the Corporation, to encourage and motivate the employees, for furtherance of the use of Hindi, in their daily office work. To encourage employees to use Hindi in their day to day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

INTERNATIONAL RELATIONS

The Company has been a member of the Berne Union (International Union of Credit and Investment Insurers), a leading International Association for the Export Credit and Investment industry, since inception. The aim of the Berne Union is to promote co-operation, growth in global trade and investments. In 2013, Berne Union members covered over USD 1.9 trillion worth of international business, which was almost 10% of the world's total cross-border



दिनांक 30 सितंबर 2013 को श्री सौमित्र चौधरी, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग एवं तत्कालीन सदस्य, प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा निगम के द्वितीय कारोबार आरंभ दिवस पर व्याख्यान दिया गया

Shri Saumitra Chaudhuri, the then Member, Planning Commission and the then Member, Economic Advisory Council to the Prime Minister delivered the Second Business Commencement Day Commemorative Lecture of the Corporation on 30th September, 2013

मार्च 2014 में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने ब्राजील में जी-11 प्रमुखों की ईसीए की वार्षिक बैठक में भाग लिया। निगम के अधिकारियों ने निर्यात ऋण पर इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप (आई.डब्ल्यू.जी.) की ब्राजील में आयोजित 4थी बैठक, तथा जनवरी 2014 में, वाशिंगटन, यू.एस.ए. में trade. The Company actively participated in the Berne Union Meetings held at New York, USA, in April, 2013 and the Annual General Meeting held at Vienna, Austria, in October, 2013. This facilitated exchange of information and experience in the field of



बर्न यूनियन - वर्ल्ड बैंक वर्किंग ग्रुप की बैठक में भी भाग लिया। कंपनी के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (आई. आई.एफ.) की बैठकों में भी भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में, कंपनी ने निर्यात ऋण एजेंसियों (ई.सी.ए.) से प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया। जून 2013 में, ईसीजीसी द्वारा भारत में निर्यातकों और बैंकों को प्रस्तुत किए जाने वाले व्यवसाय के बारे में समझने के लिए निर्यात-आयात बैंक, केन्या से प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया। निगम द्वारा जून 2013 में, मुंबई में, तुर्क एक्जिम बैंक के प्रतिनिधि मंडल हेतु बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा सुरक्षा (ई.सी.आई.बी.) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सितंबर 2013, में मुंबई में, इंडो-इटालियन कंपनीयों द्वारा भारत के बाहर किए जाने वाले व्यवसाय को संयुक्त सहायता पर चर्चा करने के लिए एस.ए.सी.ई., इटली के साथ आपसी बैठक का आयोजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, ईसीजीसी ने अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों (ई.सी.ए.) के साथ एक समझौता ज्ञापन एवं दो सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दिनांक 24 अप्रैल 2013 को, अफ्रीकन ट्रेड इंश्युरेंस एजेंसी (ए.टी.आई.), केन्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिनांक Credit Insurance which included country approach, underwriting techniques and recovery measures. In March, 2014, the Chairmancum-Managing Director attended the G11 Heads of ECAs Annual Meeting in Brazil. The Corporation's officials participated in the 4th Meeting of the International Working Group (IWG) on Export Credits held in Brazil, as also the Berne Union-World Bank Working Group meeting held at Washington, USA in January, 2014. The Company officials also participated in the International Institute of Finance (IIF) meetings held during the year.

In FY 2013-14, the Company hosted delegations from other Export Credit Agencies (ECAs). In June, 2013, delegates from the Export-Import Bank, Kenya visited ECGC, to understand the business offered by ECGC to exporters and banks in India. A workshop on ECIB was conducted by the Corporation in Mumbai, in June, 2013, for delegates from the Turk Exim Bank. A bilateral meeting with SACE, Italy, was held at Mumbai in September, 2013, to discuss joint support for Indo-Italian Companies doing business out of India.

During the FY 2013-14, ECGC signed one MoU and two Cooperation Agreements with other International Export Credit 23 जुलाई 2013 को, द एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ चीन (टी.ई.बी.सी.) ताइवान और दिनांक 08 अक्टूबर 2013 को द एक्जिम बैंक एस आर, स्लोवाकिया के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य संस्थानों के बीच सहयोग की रूपरेखा स्थापित करना तथा दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है।

गुणवत्ता आश्वासन

निगम, सेवा प्रदान करने में गुणवत्ता के महत्व को पहचानता है, इसलिए, वर्ष 2004 में, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) से आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त किया है। कंपनी द्वारा समय - समय पर प्रमाणन का नवीनीकरण किया गया है एवं वर्तमान में, आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में, बी.आई.एस. द्वारा निगम के प्रधान कार्यालय (प्र.का.) सहित 13 शाखाओं का निरीक्षण किया गया। प्र.का. के लिए, प्रमाणन का तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया है जो कि फरवरी 2016 तक वैध है। निगम का प्रत्येक कर्मचारी, अपने ग्राहकों को निगम की सेवाएं प्रदान करने के दौरान आई.एस.ओ. के अंतर्गत अपनाए गए मानकों को बनाए रखने के लिए वचनबध्द है।

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंधः

31.03.2014 को, कंपनी के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 655 थी तथा वास्तविक संख्या 600 थी। वर्ष के दौरान, अधिकारियों की नियुक्ति की गई एवं सभी सांवधिक प्रावधानों का पालन करते हुए जनवरी से दिसंबर तक 36 रिक्त पदों को भरा गया।

कर्मचारी सुझाव योजना के अंतर्गत, चयन समिति द्वारा 534 सुझावों की समीक्षा की गई, जिसमें से 12 सर्वोत्तम सुझावों को चुना गया, जो कि 9 कर्मचारियों द्वारा दिए गए थे, इनमें से प्रत्येक को उचित पुरस्कार दिया गया। दिए गए सुझावों में से, 4 को कार्यान्चित किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2010 के बाद कार्य ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को कार्यान्वित किया गया है।





वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिनांक 12 अक्तूबर 2013 को वाणिज्य मंत्रालय का राजभाषा पुरस्कार श्रीमती अनिता अग्निहोत्री, भा.प्र.से, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने प्राप्त किया CMD receiving the Rajbhasha Award of the Dept of Commerce for securing 1st place for official language implementation during the FY 2012-13 from Ms. Anita Agnihotri, IAS, the then Additional Secretary and Financial Advisor, Dept of Commerce and Ministry of Textiles, Government of India on 12th October, 2013

Agencies (ECAs). A MoU was signed with The African Trade Insurance Agency (ATI), Kenya, on April 24, 2013. Co-operation Agreements were signed with The Export-Import Bank of the Republic of China (TEBC), Taiwan on July 23, 2013 and with THE EXIMBANKA SR, Slovakia on October 08, 2013. The purpose of these agreements is to establish a framework of co-operation between the organizations, in order to support and encourage international trade between the respective countries.

QUALITY ASSURANCE

The Corporation recognizes the importance of quality in providing its services and has therefore obtained an ISO certification from the Bureau of Indian Standard (BIS) in the year 2004. The Company continued to have the certification renewed from time to time and is currently ISO 9001:2008 certified. In the FY 2013-14 the BIS carried out the Surveillance Audit of 13 branches of the Corporation, including the Head Office (HO). In respect of the HO, the certification has been renewed for a period of three years and is valid up to February 2016. Each employee of the Corporation is committed to upholding the standards adopted under the ISO, in extending the Corporation's services to its customers.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

HUMAN RESOURCES: As on 31.03.2014, the sanctioned employee strength of the Corporation was 655 and the actual strength was 600. Recruitment of Officers was conducted during the year and 36 vacancies were filled up during January to December 2013, complying with all statutory provisions.

प्रशिक्षण ः

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, अपने कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को सतत रूप से बढाने के अपने प्रयास एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों के कौशल में वृध्दि हेतु व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नव नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम एवं प्रवेश पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च 2013) पर महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं (डब्ल्यू.आई.पी.एस.) की रक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। कनिष्ठ अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गहन तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की गई। संपूर्ण भारत के फ़ील्ड अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आर.टी.आई. प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उच्च स्तर के अधिकारियों यथा महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों एवं वरिष्ठ प्रबंधकों को आई.आई.एम.; एक्स.एल. आर.आई.; ए.एस.सी.आई., हैदराबाद, फोरस्कूल, नई दिल्ली, जैसे सुप्रसिध्द संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए, प्रबंधन विकास कार्यक्रमों तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया। विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी स्तरों पर, कर्मचारियों की सक्रिय प्रतिभागिता से. निगम ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कर्मचारी प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया।

विकलांग (पी.डब्ल्यू.डी.) व्यक्तियों का प्रतिनिधित्वः

कंपनी विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। 31 मार्च 2014 को, कंपनी के रोल पर विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के 12 कर्मचारी हैं। 31 मार्च 2014 को, विभिन्न श्रेणीयों में कंपनी के कुल कर्मचारी बल में अजा एवं अजजा के प्रतिनिधित्व का विवरण तथा कंपनी की सेवा में विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण, विकलांग व्यक्ति (समान अवसरों, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्णतः सहभागिता) अधिनियम 1995 के अंतर्गत संबंधित प्रावधानों के अनुरूप है और इसे क्रमशः **परिशिष्ट।** एवं **परिशिष्ट॥** में दिया गया है।



बैंगलोर में 19 फरवरी 2014 को फोकस अफ्रीका पर ईसीजीसी द्वारा सह प्रायोजित बैठक Meeting co-sponsored by ECGC on 'Focus Africa' on 19th February, 2014 in Bangalore

प्राप्त सकल प्रीमियम बनाम सकल दावों के भुगतान का प्रचलन (₹ करोड़ में) Trend of Gross Claims Paid vs Gross Premium Received (₹ crores)



Under the Employee Suggestion Scheme, out of 534 suggestions reviewed, the best 12 suggestions have been culled by the Selection Committee, which were offered by 9 employees, each of whom was suitably awarded. Of the suggestions given, 4 have already been implemented. The New Pension Scheme has been implemented for employees who joined the Corporation after 1st April, 2010.

TRAINING: In its constant endeavour to upgrade the knowledge and skills of its employees, during the FY 2013-14, officers at various levels were sponsored for wide range training programmes. An Executive Development Programme and an Induction course were organized for newly recruited probationary officers during the year under review. Training was given to women employees on International Women's Day (8th March, 2013) under the aegis of Women in Public Sector (WIPS). Refresher courses for junior officers and intensive technical courses for senior officers were also arranged. Comprehensive training was provided to Field Officers all over India. RTI trainings were conducted at all the Regional Offices. Senior level executives i.e. GMs, DGMs, AGMs, and SMs were nominated for Management Development Programmes and Skill Upgradation Programmes conducted by reputed institutes like IIMs; XLRI; ASCI, Hyderabad & Foreschool, New Delhi. With the active participation of employees at all levels, in various in-house and external training programmes, the Corporation achieved the target for employee training set under the MoU signed with the Ministry of Commerce & Industry.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY (PWD):

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities (PWD). As of 31st March, 2014, the Company has 12 employees on its rolls belonging to the category of PWD. Details of Representation of SCs and STs in the total manpower of the Company in various cadres as on 31st March, 2014 and of Representation of PWD in the service of



मुंबई के पिछड़े इलाके की एक बालिका की कलाकृति जो कि ई सी जी सी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का एक हिस्सा है An artwork of a girl child in a backward area in Mumbai which is under ECGC's CSR initiative

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व :

कंपनी द्वारा अपनी भर्ती एवं आंतरिक पदोच्चति में अजा/अजजा के आरक्षण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है।भारत सरकार के संबंधित निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने 'पद आधारित रोस्टर प्रणाली' अपनाई है। अजा/अजजा/अपिव के सदस्यों द्वारा 'सीधी भर्ती तथा पदोच्चति से भरे गए आरक्षित रिक्त पदों' का विवरण रिपोर्ट के क्रमशः परिशिष्ट III एवं परिशिष्ट IV में दिया गया है।

सामान्य प्रशासन

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट के भीतर ही कंपनी के राजस्व एवं पूंजी व्यय को उचित रूप से उपगत एवं नियंत्रित किया गया।

भारत सरकार की माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों से अधिप्राप्ति पॉलिसी के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु सभी शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया है। अप्रैल 2012 में, भारत सरकार द्वारा सभी माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बनाई गई सार्वजनिक अधिप्राप्ति पॉलिसी के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए यह अनिवार्य है, कि तीन वर्ष की अवधि में माल एवं सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं के 20% की अधिप्राप्ति माइक्रो एवं लघु उद्यमों से की जाएगी। सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि माल एवं सेवाओं के 20% में से 4% की अधिप्राप्ति, ऐसे एम.एस.ई. से की जाएगी जिनके मालिक अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमी हैं। निगम ने आवश्यकता होने पर एम.एस.ई. से अधिप्राप्त की जा सकने वाली वस्तुओं की सूची तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में, निगम ने एम.एस.ई. (जिनके मालिक अजा/ अजजा के उद्यमी हैं सहित) से 33.51% माल एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की है, जिसमें से 47.90% एम.एस.ई के मालिक अ.जा./अ.ज.जा. के Company, in pursuance of the relevant provisions under PWD (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, are furnished in **Annexure I** and **Annexure II** respectively.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES:

The Company strictly adheres to relevant Rules relating to Reservation of SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company has adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment and by Promotions' under report are furnished in **Annexure III & Annexure IV** respectively.

GENERAL ADMINISTRATION

Revenue and Capital expenditure of the Company were properly controlled and incurred within the Annual Budget approved by the Board of Directors.

All the Branch Offices/Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement the Government of India's policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India's Public Procurement Policy framed in April, 2012, for all MSMEs mandates that 20% of the procurement of the annual requirement of goods and services by Public Sector Undertakings, will be from Micro and Small Enterprises (MSEs) in a period of 3 years. Government has also prescribed a sub-target of 4% procurement of goods and services out of the 20% from MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs. The Corporation



मुंबई के पिछड़े इलाके की एक बालिका की कलाकृति जो कि ई सी जी सी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का एक हिस्सा है An artwork of a girl child in a backward area in Mumbai which is under ECGC's CSR initiative

उद्यमी थे। माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को देरी से भुगतान करने का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

पूरे देश में कंपनी के स्वामित्व के परिसरों की देखभाल एवं रखरखाव नियमित रूप से किया गया। नवीकरण के रूप में ऊर्जा की बचत करने वाली बत्तीयों एल.ई.डी. का प्रयोग किया गया।

भारत सरकार की ई-अधिप्राप्ति पॉलिसी 2012 के भाग के रुप में, निगम द्वारा ई-पब्लिशिंग पॉलिसी का भी पालन किया गया है। has identified a list of items which may be procured from MSEs as and when need arises. In FY 2013-14, the Corporation procured 33.51% of the goods and services from MSEs (including MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs), out of which 47.90% were from MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

Maintenance and upkeep of the Company owned premises, all over India, were undertaken on a regular basis. A part of the renovation was done using LED energy saving lamps.

The Corporation has also complied with the e-publishing policy, which is a part of the e-procurement policy of 2012, of the Govt of India.

Annexure - I									
	REPRESENTATION OF SCS / STS / OBCS IN THE SERVICES OF THE COMPANY'S WORKFORCE AS ON 31.03.2014								
Percentage of Total Workforce									
Group	SCs	STS	OBCs						
А	15	4	7						
В	14	6	16						
С	38	12	3						
D	27 Nil Nil								
Total %	16 6 13								

	Annexure - II									
	REPRESENTAION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE SERVICES OF THE CORPORATION AS ON 31.03.2014									
Crown	No. of	rsons	Total							
Group	VH	HH	ОН	VH+HH+OH						
A	-	-	1	1						
В	3	2	5	10						
С	1	-	-	1						
D	1	-	-	1						
Total	5	2	6	13						

VH - Visually Handicapped

HH - Hearing Handicapped

OH - Orthopaedically Handicapped

			अनुबंध -					
	दिनांक 31.03.2014 तक निगम की सेवाओं में अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पि.व. के उम्मीदवारों के कार्यबल का प्रतिनिधित्व							
	कुल कार्यबल का प्रतिशत							
समूह	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.					
क	15	4	7					
ख	14	6	16					
ग	38	12	3					
घ	27	कुछ नहीं	कुछ नहीं					
कुल %	16	6	13					

	27
1	σ
4	
I	>
1	
(3
U	_
Ĭ	q
	q
	L
6	5
1	Ø
	Z

	अनुबंध - ॥								
दिनांव	दिनांक 31.03.2014 तक निगम की सेवाओं में विकलांग								
	व्यकि	तयों का प्रतिन्ि	ाधित्व						
	विकलांग व्यक्तियों की संख्या कुल								
समूह	नेत्रहीन विकलांग	श्रवणहीन विकलांग	विकलांग	ने.ही. + श्र.ही. + विकलांग					
क	-	-	1	1					
ख	3	2	5	10					
ग	1	-	-	1					
घ	1	1							
कुल	5	13							

ने.ही. - नेत्रहीन विकलांग

श्र.ही. - श्रवणहीन विकलांग

विकलांग - विकलांग



वित्तीय वर्ष 2013-14 के कारोबार निष्पादन की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय एवं शाखा प्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किया गया Regional and Branch Manger's Conference was held to review the business performance for FY 2013-14

वर्ष 01.01.2013 से 31.12.2013 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES DURING THE YEAR 01.01.2013 TO 31.12.2013

अनुबंध III / Annexure III

(क) सीधी भर्ती से भरे गए पद / (A) Posts filled by Direct Recruitment

											•										~				
पद की श्रेणी	बैकल	ॉग	ो कुल सं वर्तग	मान		आरक्षित नम (4) ग			संख्या नम (5) में	ों से		गुक्त अ ना / अपि संख्या	वि की	लाप	ने वर्ष से र गए अ ाजा / अ	जा/	गए व	ात आगे वर्ष के दं 1 के आग्	ौरान	लिए ३	भर्ती वर्ष आगे लाप बाद व्यप	र जाने	जिन्हें	ठी कुल अगले गए आ	वर्ष के
	रिक्ति	या	रिकि	तया										की f संख्य जह	रेक्तियं 1 (ऐसे 1 1 अपार वीकृत हं	ों की मामले क्षण	में नि के उप अजउ में नि के उ संख्य जह	युक्त अ मीदवार ना के अ नेयुक्त : म्मीदवार गा (ऐसे ग वीकृत हं	ाजजा : तथा रिक्षण अजा रों की नामले क्षण	आरक्ष जह	ाण (ऐसे गं अपार वीकृत हं	मामले क्षण	रिकि	नयों के तयों के	रूप में
Class of	Total	No of	Vacan	cies	1	No. of	vacano	cies re	served		No	.of SC/	ST/	No	of SC	/ST/		lo. of S			No. of		No.(of rese	rved
Post	Backl Vacano	og	Curi Vacai	rent		of Col			of Col.		OBC	candic	lates	carri fron yea cas deres	vacan ied for n previ rs(in s ses wh servati ermitte	ward ious uch ere ion is	ca a re ca ca ca reser said forw ca dere	andidat ppointe gainst servati No.of undidat ppointe gainst vation year of ard (in ses wh servati ermitte	es ed SC on SC es ed ST in the carry such ere on is	res lap carry for 3 yea cas dere	servation operation operation recruit rs (in s rs (in s ses wh servati ermitte	ons iter ward ment such ere on is	vacar fo	ncies c rward (log to year	arried as
	अधि- सूचित	भरी गई	अधि- सूचित	भरी गई	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव
	Notified	Filled	Notified	Filled	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
श्रेणी । समूह ए CLASS । Group (A)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी ॥ समूह बी CLASS ॥ Group (B)	-	-	36	36	4	2	9	4	2	9	4*	2#	9 ^s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
श्रेणी III समूह सी CLASS III Group (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी IV समूह डी CLASS IV Group (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* इसके अतिरिक्त, 2 अजा के उम्मीदवार मेरिट पर अनुमोदित थे

* In addition, 2 SC candidates were approved on merit

इसके अतिरिक्त, 1 अजजा का उम्मीदवार मेरिट पर अनुमोदित था

In addition, 1 ST candidate was approved on merit

\$ इसके अतिरिक्त, 4 अपिव के उम्मीदवार मेरिट पर अनुमोदित थे

\$ In addition, 4 OBC candidates were approved on merit

वर्ष 01.01.2013 से 31.12.2013 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों का विवरण STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES DURING THE YEAR 01.01.2013 TO 31.12.2013

अनुबंध IV / Annexure IV

(ख) पदोच्चति के जरिए भरे जाने वाले पद / (B) Posts filled by promotion

पद की श्रेणी	रिक्तियों संर	i की कुल ब्या		की संख्या	अनु जा/ जा के लिए	र आरक्षित		/अनु जन पदोच्चत त्रारों की	लाई गई	र्ष से आगे अनु जा/	के तीस	ाए जाने रे वर्ष में	लाए जाने	तक आगे के पश्चात रिक्तियों	अगले व आगे लाए रिक्तियों	जाने वाली
			कॉलम	(2) में से	कॉलम	(3) में से	1	आरा का ब्या		न जा की की संख्या	आरक्षित के स्थान प	के लिए रिक्तियों गर पदोचत की संख्या विपरीत		रिक्तिया संख्या	ाराक्तया	का संख्या
Class of Posts	Total Nu Vaca			acancies Col. (2)	Reserv SC Out of	/ST	Candi	SC/ST idates noted	vacancie forward	SC/ST es carried from the us years	vaca reserve in the th	d against ncies d for SC nird year forward	reserv lapse carrying	o.of vations d after g forward years	No.of va carried to nex	forward
	Notified	Filled	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
श्रेणी (I) समूह ए ** CLASS I Group (A) **	11	11	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
श्रेणी (II) समूह बी CLASS II Group (B)	22	22	4	2	4	2	4	2	2	1	-	-	-	-	-	1
श्रेणी (III) समूह सी CLASS III Group (C)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी (IV) समूह डी CLASS IV Group (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** यह आंकड़ा समूह 'क' के केवल न्यूनतम पदक्रम, अर्थात प्रबंधकों से संबंधित है।

** This data pertains only to the lowest rung of Group A i.e. Manager.

कंपनी शासन CORPORATE GOVERNANCE



कंपनी शासन / CORPORATE GOVERNANCE

कंपनी शासन पर ईसीजीसी का सिद्धांत

कंपनी संप्रेषण में पारदर्शिता तथा ईमानदारी और अपने सभी स्टेक धारकों को पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना सुनिष्टिचत करती है। भारत सरकार की संस्था होने के कारण कंपनी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों एवं सर्वश्रेष्ठ कंपनी शासन को सुनिष्टिचत करने का नियमित प्रयास करती है और समर्पित रहती है।

निगम स्वयं को अपने स्टेक धारकों का ट्रस्टी मानता है तथा स्टेक धारकों की सम्पत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा व हितों के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी नीतियों, विशेष कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसियों / प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों / प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाने एवं पालन करने के ज़रिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा। सभी पॉलिसीयां / प्रक्रियाएं वैधानिक व नीतिगत दायित्वों की पुष्टि करते हुए बनाई गई हैं।

निदेशक मंडल

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करते हैं कि निदेशक मंडल के गठन में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक (अथवा जहाँ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वहीं व्यक्ति हो) तथा तीन से कम नहीं और तेरह से अधिक निदेशक न हों। अन्य निदेशकों में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, भारतीय सामान्य बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय निर्यात संस्थान फेडरेशन, निर्यात विकास परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। आज की तारीख में बोर्ड के अंशकालिक निदेशकों के लिए तेरह पदों में से तीन पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। 31 मार्च 2014 को निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, नियुक्ति की तिथि तथा श्रेणियाँ जिनके अधीन उन्हें नियुक्त किया गया है का विवरण निम्नलिखित सारणी 1 में दर्शाया गया है :

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to Government of India owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and to ethical responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Articles 57 and 63 provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director (or a Chairman-cum-Managing Director where the office is held by one and the same person) and not less than three and not more than thirteen other Directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. As on date, three of the thirteen positions for part time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated. The names of Directors on the Board as on 31st March, 2014 along with their qualification, dates of appointment and the categories under which they were appointed, are furnished in Table 1 below:

सारणी 1 / Table 1

क्र.सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	शैक्षणिक योग्यता Qualification	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	संवर्ग Category
1.	श्री एन.शंकर Shri N. Shankar	बी.एस.सी, सी.ए.आई.आई.बी., सी.एफ.ए. B. Sc., CAIIB, CFA	19.10.2011	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
2.	श्री अरविंद मेहता Shri Arvind Mehta	एम.ए. (अर्थशास्त्र) M.A. (Economics)	05.05.2010	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Department of Commerce, MOC & I, GOI)
3.	श्री पी. के. मिश्रा Shri P.K.Mishra	बी. टेक. B. Tech.	14.05.2013	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
4.	श्री टी.सी. ए.रंगनाथन Shri T. C. A. Ranganathan	एम.ए. (अर्थशास्त्र) M.A. Economics	11.05.2010 (29.11.2013 से निदेशक पद से सेवामुक्त) 11.05.2010 (ceased to be a Director w.e.f. 29.11.2013)	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
5.	श्री के आर कामथ Shri K. R. Kamath	बी. कॉम. B.Com.	20.10.2010	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part -Time Director
6.	श्री हरि एस. भरतिया Shri Hari S. Bhartia	बी. टेक. B. Tech.	20.12.2010	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
7.	श्री वसंत मेहता Shri Vasant Mehta	बी. कॉम. B.Com.	07.01.2011	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
8.	श्री रफीक अहमद मक्का Shri Rafeeque Ahmed Mecca	पूर्वस्नातक Undergraduate	13.03.2012	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
9.	श्री ए.के. रॉय Shri A. K. Roy	बी. टेक. (ऑनर्स) B. Tech. (Hons)	30.04.2012	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
10.	श्री जी.गोपालकृष्ण Shri G. Gopalakrishna	बी.ए. , एल.एल.बी. , सी.ए.आई. आई.बी. B.A. , L.L.B. , CAIIB	04.10.2012 (21.04.2014 से निदेशक पद से सेवामुक्त) 04.10.2012 (Ceased to be a Director w.e.f. 21.04.2014)	गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
11.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	बी.कॉम. , ए.सी.ए. , ए.सी.एस. B. Com. , ACA, ACS	01.10.2013	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director
12.	श्री ओंकार एस. कंवर Shri Onkar S. Kanwar	बी.एस.सी, प्रबंधन में स्नातक (कैलीफोर्निया) B.Sc., Bachelor of Administration (California)	01.10.2013	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Non-Government Part-Time Director

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 285 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार निदेशक मंडल की बैठक आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान छः बैठकों का आयोजन किया गया।

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ATTENDANCE FOR FY 2013-14

The Board of Directors is required to meet at least once every three months, as per the provisions of Section 285 of the Companies Act, 1956. There were 6 meetings held during the

कंपनी शासन

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों के विवरण व उनमें निदेशकों की उपस्थिति निम्नलिखित सारणी 2 में दर्शायी गयी है :

सारणी 2

सारणी 4

क्र. सं.	बैठक संख्या	बैठकों की तारीख	मंडल बल	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	385	10.05.2013	10	4
2.	386	08.07.2013	10	8
3.	387	12.08.2013	10	6
4.	388	11.11.2013	12	8
5.	389	05.02.2014	11	8
6.	390	14.03.2014	11	5

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठकों में व्यक्तिगत निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी 3 में दर्शाया गया है :

		सारणी 3
क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	6/6
2.	श्री अरविंद मेहता	5/6
3.	श्री पी.के मिश्रा	0/5
4.	श्री टी.सी. ए.रंगनाथन	4/4
5.	श्री के. आर. कामथ	5/6
6.	श्री हरि एस. भरतिया	0/6
7.	श्री वसंत मेहता	2/6
8.	श्री रफीक अहमद मक्का	3/6
9.	श्री ए.के.रॉय	4/6
10.	श्री जी.गोपालकृष्ण	6/6
11.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	2/3
12.	श्री ओंकार एस. कंवर	2/3

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 299 (3) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्त फार्म सं. 24 एए के प्रकटीकरण के अनुसार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक अन्य मंडलों के निदेशक पद का भार भी संभालते हैं, का विवरण निम्नलिखित सारणी 4 में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	अन्य मंडलों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	0
2.	श्री अरविंद मेहता	0
3.	श्री ए.के.रॉय	5
4.	श्री के. आर. कामथ	5
5.	श्री रफीक अहमद मक्का	4
6.	श्री ओंकार एस. कंवर	8
7.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	4

FY 2013-14. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2013-14 and attendance of individual Directors in those meetings are furnished below in Table 2:

Table 2

Sr. No.	Meeting Number	Date of Meetings	Board Strength	No. of Directors present
1.	385	10.05.2013	10	4
2.	386	08.07.2013	10	8
3.	387	12.08.2013	10	6
4.	388	11.11.2013	12	8
5.	389	05.02.2014	11	8
6.	390	14.03.2014	11	5

Attendance of Individual Directors in the meetings held during the FY 2013-14 are furnished below in Table 3:

Та	bl	e	3
			_

Sr. No.	Name of Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held
1.	Shri N. Shankar	6/6
2.	Shri Arvind Mehta	5/6
3.	Shri P.K. Mishra	0/5
4.	Shri T. C. A. Ranganathan	4/4
5.	Shri K. R. Kamath	5/6
6.	Shri Hari S. Bhartia	0/6
7.	Shri Vasant Mehta	2/6
8.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca	3/6
9.	Shri A. K. Roy	4/6
10.	Shri G. Gopalakrishna	6/6
11.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	2/3
12.	Shri Onkar S. Kanwar	2/3

Details of holding other Directorships in public limited companies by Directors on the Board as per disclosure u/s 299(3) of the Companies Act, 1956 in the Form 24AA received for the FY 2013-14 are furnished below in Table 4:

Table 4

Sr. No.	Name of the Directors holding other directorships	No. of other directorships
1.	Shri N. Shankar	0
2.	Shri Arvind Mehta	0
3.	Shri A. K. Roy	5
4.	Shri K. R. Kamath	5
5.	Shri Rafeeque Ahmed Mecca	4
6.	Shri Onkar S. Kanwar	8
7.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	4

लेखा परीक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

11 नवंबर 2013 को कंपनी के लेखा परीक्षा समिति का पुर्नगठन किया गया। वर्तमान में कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में चार गैर - कार्यकारी निदेशक शामिल हैं यथा श्री अरविंद मेहता, श्री ए.के.राय, श्री वसंत मेहता तथा श्री अजय मुरलीधर पोन्क्षे। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान श्री जी.गोपालकृष्ण लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 292क के अनुरूप किया गया है। सुश्री स्मिता पंडित, कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं। यह समिति कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 292 क के प्रावधानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाती है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति ने दिनांक 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013, 05.02.2014 तथा 14.03.2014 को पांच बार बैठक की। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 5 में दिया गया हैं :

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री अरविंद मेहता	4/5
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन (दिनांक 29.11.2013 से सेवामुक्त)	3/3
3.	श्री वसंत मेहता	1/5
4.	श्री ए.के.रॉय	3/5
5.	श्री जी.गोपालकृष्ण (दिनांक २१.०४.२०१४ से सेवामुक्त)	5/5
6.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे (दिनांक 11.11.2013 से सदस्य के रुप में नियुक्त)	1/2

सारणी 5

सारणी 6

निवेश समिति - संरचना और उपस्थिति

11 नवंबर 2013 को कंपनी की निवेश समिति का पुर्नगठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान दिनांक 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 तथा 05.02.2014 को निवेश समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में निवेश समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 6 में दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	4/4
2.	श्री अरविंद मेहता	4/4
3.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	3/3
	(दिनांक 29.11.2013 से सेवामुक्त)	
4.	श्री ए.के.रॉय	3/4
5.	श्री जी.गोपालकृष्ण	1/1
	(दिनांक 08.07.2013 से सेवामुक्त)	
6.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	2/2
	(दिनांक 11.11.2013 से सदस्य के रुप	
	में नियुक्त)	
		·]

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Audit Committee of the Company has been re-constituted on November 11, 2013. As on date, the Audit Committee of the Company comprises four non-executive Directors viz. Shri Arvind Mehta, Shri A. K. Roy, Shri Vasant Mehta and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe. Shri G. Gopalakrishna was the Chairman of the Audit Committee during FY 2013-14. The constitution of the Audit Committee meets with the requirements under Section 292A of the Companies Act, 1956. Ms. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee. The Committee has discharged such roles as envisaged under the provisions of Section 292A of the Companies Act, 1956.

The Audit Committee met 5 times, on 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013, 05.02.2014 and 14.03.2014, during the FY 2013-14. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished in Table 5:

Table 5

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held
1.	Shri Arvind Mehta	4/5
2.	Shri T. C. A. Ranganathan (ceased to	3/3
	be a Member w.e.f 29.11.2013)	
3.	Shri Vasant Mehta	1/5
4.	Shri A. K. Roy	3/5
5.	Shri G. Gopalakrishna (ceased to be a	5/5
	member w.e.f 21.04.2014)	
6.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed	1/2
	as a Member since 11.11.2013)	

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company has been reconstituted on November 11, 2013. The Investment Committee met 4 times, on 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 and 05.02.2014, during the FY 2013-14. The details of the attendance of the Directors/Members at the Investment Committee Meetings are furnished in Table 6:

Table 6

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held
1.	Shri N.Shankar	4/4
2.	Shri Arvind Mehta	4/4
3.	Shri T. C. A. Ranganathan (ceased to	3/3
	be a Member w.e.f. 29.11.2013)	
4.	Shri A. K. Roy	3/4
5.	Shri G. Gopalakrishna (ceased to be	1/1
	a Member w.e.f. 08.07.2013)	
6.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed	2/2
	as a Member since 11.11.2013)	

पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति की संरचना और उपस्थिति

11 नवंबर 2013 को कंपनी के पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति का पुर्नगठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान दिनांक 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 तथा 05.02.2014 को पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 7 में दिया गया है:

सारणी 7

सारणी ८

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	4/4
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन	3/4
	(दिनांक 29.11.2013 से सेवामुक्त)	
3.	श्री ए.के.रॉय	2/4
4.	श्री जी.गोपालकृष्ण	1/1
	(दिनांक 08.07.2013 से सेवामुक्त)	
5.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	2/2
	(दिनांक 11.11.2013 से सदस्य के रूप में नियुक्त)	

जोखिम प्रबंधन समिति - संरचना और उपस्थिति

11 नवंबर 2013 को कंपनी के जोखिम प्रबंधन समिति का पुर्नगठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान दिनांक 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 तथा 05.02.2014 को जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें हुई। बैठकों में जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 8 में दिया गया है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री एन.शंकर	4/4
2.	श्री टी.सी.ए.रंगनाथन (दिनांक 29.11.2013 से सेवामुक्त)	3/4
3.	श्री ए.के.रॉय	2/3
4.	श्री जी.गोपालकृष्ण (दिनांक 08.07.2013 से सेवामुक्त)	1/1
5.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे (दिनांक 11.11.2013 से)	2/2

परिश्रमिक समिति :

11 नवंबर 2013 को कंपनी के पारिश्रमिक समिति का पुर्नगठन किया गया। श्री अरविंद मेहता, श्री वसंत मेहता, श्री ए.के.रॉय, और श्री अजय मुरलीधर पोन्क्षे समिति के वर्तमान सदस्य हैं। श्री वसंत मेहता समिति के अध्यक्ष है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interests Protection Committee of the Company has been re-constituted on November 11, 2013. The Policyholders' Interests Protection Committee met 4 times, on 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 and 05.02.2014, during the FY 2013-14. The details of the attendance of the Directors/ Members at the Policyholders' Interests Protection Committee Meetings are furnished in Table 7:

Table 7

Sr.		No. of meetings attended/
No.	Name of the Directors	Total no. of meetings held
1.	Shri N. Shankar	4/4
2.	Shri T. C. A. Ranganathan (ceased to	3/4
	be a Member w.e.f. 29.11.2013)	
3.	Shri A. K. Roy	2/4
4.	Shri G.Gopalakrishna (ceased to be a	1/1
	Member w.e.f. 08.07.2013)	
5.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (appointed	2/2
	as a Member since 11.11.2013)	

RISKS MANAGEMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE The Risks Management Committee of the Company has been re-constituted on November 11, 2013. The Risks Management Committee met 4 times, on 10.05.2013, 12.08.2013, 11.11.2013 and 05.02.2014, during the FY 2013-14. The details of the attendance of the Directors/Members at the Risks Management Committee meetings are furnished in Table 8:

Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held
1.	Shri N. Shankar	4/4
2.	Shri T. C. A.Ranganathan (ceased to be a member w.e.f. 29.11.2013)	3/4
3.	Shri A. K. Roy	2/3
4.	Shri G.Gopalakrishna (ceased to be a Member w.e.f. 08.07.2013)	1/1
5.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (since 11.11.2013)	2/2

REMUNERATION COMMITTEE:

The Remuneration Committee of the Company has been reconstituted on 11th November, 2013. The present members of the Committee are Shri Arvind Mehta, Shri Vasant Mehta, Shri A. K. Roy and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe. Shri Vasant Mehta is the Chairman of the Committee. No meeting of the Remuneration Committee was held during the FY 2013-14.

निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) एवं दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं (एस.डी.) पर बोर्ड की समिति :

कंपनी के सी.एस.आर. और एस.डी. परियोजना / गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए निदेशक मंडल की एक समिति का गठन किया गया है। 11 नवंबर 2013 को इसका पुर्नगठन किया गया। समिति में श्री वसंत मेहता, श्री अरविंद मेहता, श्री ए.के.रॉय और श्री अजय मुरलीधर पोन्क्षे शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, दिनांक 11.11.2013 तथा 05.02.2014 को निगमित सामाजिक दायित्व एवं दीर्घकालिक विकास परियोजना समिति की दो बैठकें हुई। बैठकों में निगमित सामाजिक दायित्व समिति के निदेशकों/सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 9 में दिया गया है:

सारणी १

सारणी 10

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / कुल बैठकों की संख्या
1.	श्री वसंत मेहता	1/2
2.	श्री अरविंद मेहता	2/2
3.	श्री ए. के. रॉय	1/2
4.	श्री अजय मुरलीधर पोन्क्षे (दिनांक 11.11.2013 से)	2/2

वार्षिक साधारण बैठकें

ंपनी शासन

पिछले तीन वर्षों के दौरान संपन्न वार्षिक साधारण बैठकों के विवरण सारणी 10 के अनुसार हैः

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	तारीख व समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हों
1.	2010-11	27 जुलाई 2011 1530 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
2.	2011-12	6 जुलाई 2012 1800 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं
3.	2012-13	8 जुलाई 2013 1530 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं

COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS (SD):

A Committee of the Board of Directors has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on November 11, 2013. The Committee consists of Shri Vasant Mehta, Shri Arvind Mehta, Shri A. K. Roy and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe.

The Committee on CSR and SD met 2 times, on 11.11.2013 and 05.02.2014, during the FY 2013-14. The details of the attendance of the Directors/Members at the Meetings of the Committee on CSR and SD are furnished in Table 9.

Table 9

Sr. No.	Name of the Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held
1.	Shri Vasant Mehta	1/2
2.	Shri Arvind Mehta	2/2
3.	Shri A. K. Roy	1/2
4.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe (since 11.11.2013)	2/2

ANNUAL GENERAL MEETINGS

The details of the Annual General Meetings held during the last three years are furnished below in Table 10:

Ta	hl	0	4	Δ
Ia	U	C		υ

Sr. No.	Financial Year	Date & Time	Venue	No. of Special Resolutions passed, if any
1.	2010-11	July 27, 2011	Udyog Bhawan,	NIL
		1530 Hours	New Delhi	
2.	2011-12	July 06, 2012	Udyog Bhawan,	NIL
		1800 Hours	New Delhi	
3.	2012-13	July 08, 2013	Udyog Bhawan,	NIL
		1530 Hours	New Delhi	

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business.

कारोबार आचरण संहिता व नीति

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता व नीति बनायी है जिसे कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर डाला गया है।

प्रकटन

किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों और संस्थानों को कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें सामान्य व्यापारिक लेन-देनों के अलावा कंपनी के निदेशकों का हित निहित हो। कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन एवं इसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनकी समय-समय पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को लागू किया है जिससे प्रत्येक कर्मचारी किसी अस्वीकार्य / अनीतिगत कार्यों और / या कदाचार का कोई कार्य भी किसी भी स्तर पर उनकी नजर में आता है तो वे उसे बिना किसी परिणाम के भय के सूचित कर सकें और सुरक्षित महसुस कर सकें।

कंपनी पर, किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न सांविधि से संबंधित, किसी मामले में ₹30,500/- (मे. एम.एस.टी.सी. के मामले में 67 दिनों का विस्तार मंजूर करते समय सभी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया ₹30,000/- एवं मे. विस्टा अपेरल्स एंड स्वाधिका फ़्रैशन्स के मामले में माननीय जिला उपभोक्ता फ़ोरम, कोयम्बटूर द्वारा लगाया गया दंड ₹500/-) को छोड़कर, कोई दण्ड नहीं लगाया गया है।

चूँकि भारत के महामहिम राष्ट्रपति तथा भारत सरकार की ओर से सात अन्य नामांकितों के पास 100% इक्विटी शेयर हैं इसलिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं के निष्पादन में कंपनी की लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में रखा जा रहा है।

शेयरधारकों की जानकारी

- (क) वार्षिक साधारण बैठक : वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 27 जून 2014 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है और भारत सरकार, कंपनी की एकमात्र स्वामी एवं इसके नामांकितों को आवश्यक सूचना भेज दी गई है।
- (ख) 31 मार्च 2014 तक शेयर धारण का स्वरुप : निगम भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति, निगम द्वारा जारी प्रत्येक संपूर्ण चुकता ₹100/- के 11,00,00,000 इक्वीटी शेयरों के धारक हैं सिवाय उन आठ शेयरों के जो भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के नामितों के नाम पर हैं।
- (ग) पत्राचार के लिए पता : श्रीमती स्मिता वी. पंडित, कंपनी सचिव,
 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि, एक्सप्रेस टॉवर्स, दसवीं
 मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021 ई-मेल-cs@ecgc.in

संपर्क के माध्यम

 वेबसाइट : कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर हमारे बारे में खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक अलग समर्पित सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जो यूजर फ्रेंडली है और डाउनलोड की जा सकती है। The Company has laid down procedures to inform Board members about the risk assessment and its minimization, which are periodically reviewed by the Risks Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except for ₹30,500/-(₹30,000/- for non-filing of all affidavits in the matter of M/s MSTC was imposed by the Hon'ble Tribunal while granting the extension of 67 days and ₹500/- imposed by Hon'ble District Consumer Forum, Coimbatore in the matter of M/s. Vista Apparels and Swathika Fashions)

The audited accounts of the Company are being tabled before both the Houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

- (a) Annual General Meeting: The Annual General Meeting for the current year is scheduled to be held at New Delhi on June 27, 2014 and required notice has been sent to the Government of India, the sole owner of the Company, and its nominees.
- (b) Shareholding Pattern as on March 31, 2014: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 11,00,00,000 Equity Shares of ₹100/- each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India on behalf of the Government of India.
- (c) Address for Correspondence: Ms. Smita V Pandit, Company Secretary, Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Email-cs@ecgc.in.

MEANS OF COMMUNICATION

 Website: The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.

- वित्तीय परिणाम : कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.ecgc.in
 पर नियमित रूप से वार्षिक, छमाही एवं तिमाही परिणाम पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट : लेखा परीक्षित लेखों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट को सदस्यों तथा अन्य पात्र अधिकारियों में परिचालित किया जाता है। प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण (एम.डी. एंड ए.) रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती है।

कृते व निदेशक मंडल की ओर से

स्थान ः नई दिल्ली दिनांकः २७ जून, २०१४ **एन.शंकर** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- Financial Results: The annual, half yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.
- Annual Report: The Annual Report, containing inter alia Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report forms part of the Annual Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : New Delhi Date : 27th June, 2014 Chairman-cum-I

N. Shankar Chairman-cum-Managing Director

कंपनी शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाण पत्र

में, स्मिता वी.पंडित एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय समय पर संशोधित कंपनी शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है व इसमें कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा गया है।

गुप्त नहीं रखा गया है। मुप्त नहीं रखा गया है। स्थान ः नई दिल्ली दिनांकः २७ जून, २०१४

स्मिता वी.पंडित कंपनी सचिव

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Place : New Delhi Date : 27th June, 2014 Smita V. Pandit Company Secretary

राजनीतिक जोखिम

निर्यात सौदों में विभिन्न राजनीतिक जोखिम निहित होते हें । खरीदार के देश में युद्ध, नागरिक उपद्र्व, विद्रोह, अथवा बगावत, गंतव्य देश का आर्थिक समस्याओं से जूझना, सरकार में अकस्मात परिवर्तन, पूर्व अनुमोदित आयात लाइसेंसों का रद्द होना, पहले ही पोतलदान किर गर माल के आयात पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाना, भेजे गर माल के मार्ग परिवर्तन आदि, निर्यातक को प्राप्य भुगतानों को बाधित कर सकते हैं ।

Political Risks

MONITORING

Export transactions are exposed to various political risks. Occurrence of war, civil disturbances, rebellion or insurrection in the buyer's country, economic problems faced by the destination country, sudden change in government, cancellation of pre-approved import licences, imposition of law preventing import of goods already shipped, diversion of voyage, may frustrate payment due to the exporter.

वित्तीय विवरण FINANCIAL STATEMENTS



फार्म बी - आरए / FORM B - RA 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता Revenue Account for the year ended 31st March, 2014

पंजीकरण संख्या 124 Registration No. 124 पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002 Date of Registration : 27th September 2002

5		5	
विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹′000)
1 अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Bramiuma aarrad (Nat)	1	907,34,59.83	796,04,30.95
Premiums earned (Net)		5 00 00 50	0 00 04 00
2 निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ / हानि Profit / Loss on Sale / Redemption of Investment		5,68,28.52	3,69,64.20
3 अन्य / Others			
- शूल्क / Fee		1,25,73.42	1,12,80.10
- दावों और प्रीमियम पर ब्याज		2,61,37.43	2,58,59.78
- Interest on Claims & Premium		2,01,37.43	2,00,09.70
- विनिमय घटबढ़ लाभ (शुद्ध)		34,81.08	18,98.34
- Exchange fluctuation profit (net)		04,01.00	10,00.04
- विविध आय / Miscellaneous Income		9,65.77	1,78,73.26
4 ब्याज व लाभांश - सकल		257,11,06.97	215,19,16.79
Interest & Dividend - Gross			,
कुल (क) / TOTAL (A)		1174,45,53.02	1020,62,23.42
1 उपगत दावे (शुद्ध)	2	746,06,72.89	812,80,35.03
Claims Incurred (Net)			
2 कमीशन / Commission	3	(57,92,41.35)	(55,04,44.34)
3 बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय		157,34,37.25	138,24,89.30
Operating Expenses related to Insurance Business	4		
4 अन्य - प्रीमियम की कमी		-	(46,86,08.56)
Other - Premium Deficiency			
कुल (ख) / TOTAL (B)		845,48,68.79	849,14,71.43
विविध कारोबार से परिचालन लाभ/(हानि) ग = (क-ख)		328,96,84.23	171,47,51.99
Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous C = (A-B)			
विनियोजन			
APPROPRIATIONS			
शेयरधारक के खाते में अंतरित		328,96,84.23	171,47,51.99
Transfer to Shareholder's Account			
आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण		-	-
Transfer to Catastrophe Reserve			
अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
Transfer to Other Reserves			
कुल (ग) / TOTAL (C)		328,96,84.23	171,47,51.99

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं.

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account

(यदुवेंद्र माथुर) निदेशक

(Yaduvendra Mathur) Director

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40ग (2) के आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रुप में राजस्व खाते में डाला गया है.

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of the Company's books of accounts, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses,

अनुसूची 1 से 17 के हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Schedule 1 to 17

(एन.शंकर) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (N. Shankar) Chairman-cum-Managing Director

निदेशक (**Arvind Mehta)** Director

(अरविंद मेहता)

(पी.के.मिश्रा) निदेशक (P.K. Mishra) Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे) निदेशक (Ajay Muralidhar Ponkshe) Director

(स्मिता पंडित) कंपनी सचिव **(Smita Pandit)** Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

> **कृते पी एम दलवी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू **For P. M. Dalvi & Co.** Chartered Accountants Firm Registration No. 102065W

> > (माधव नांदगावंकर) भागीदार (Madhav Nandgaonkar) Partner

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई 2014 Dated : 13th May, 2014

कृते आरएसवीए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू For RSVA & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 110504W

> (**बी. एन. राव**) भागीदार (**B. N. Rao**) Partner

फार्म बी - पीएल / FORM B - PL 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2014

पंजीकरण संख्या १२४ Registration No. १२४ पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002 Date of Registration : 27th September 2002

J			J	
	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	ਧਿछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	परिचालन लाभ / (हानि) OPERATING PROFIT / (LOSS) (क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance (ख) मरीन बीमा		-	-
2	 (b) Marine Insurance (π) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance निवेशों से आय 		328,96,84.23	171,47,51.99
	INCOME FROM INVESTMENTS (क) ब्याज व लाभांश - सकल (a) Interest & Dividends - Gross		202,01,55.48	176,06,59.19
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		4,46,50.98 -	3,02,43.44 -
3	अन्य आय OTHER INCOME (क) फैक्टरिंग आय (a) Factoring Income		-	-
	(ख) एन ई आई ए आय (b) NEIA Income (ग) किराया व अन्य प्राप्तियाँ		60 <i>,</i> 26.52 5 <i>,</i> 38.92	1,14,29.63 7,20.90
	(c) Rent & other receipts (ঘ) विविध आय (d) Miscellaneous Income		8,08,74.85	5,67,69.56
	कुल (क) Total (A)		544,19,30.98	357,45,74.71
4	प्रावधान (कराधान के अलावा)PROVISIONS (OTHER THAN TAXATION)(क) निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए(a) For diminution in the value of investments(ख) फैक्टरिंग के लिए प्रावधान(b) Provision for Factoringमानक आस्तिStandard Asset		3,81.00 - -	-

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
विवरण / Particulars	अनुसूची	Current Year	Previous Year
	Schedule	(₹ ′000)	(₹ '000)
निम्न मानक आस्ति		-	-
Sub Standard Asset			
संदिग्ध आस्ति		-	-
Doubtful Asset			
(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	-
(c) Provision for Doubtful Debts			
5 अन्य आय			
OTHER EXPENSES			
(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय			
(a) Expenses other than those related to Insural	nce Business		
निवेशों के लिए किए गए व्यय		1,18,88.46	85,51.12
Expenses towards Investments			
निगमित सामाजित दायित्व के लिए व्यय		3,91,61.40	5,00,00.00
Expenses towards Corporate Social Respon	sibility		
विविध व्यय		7.56	1,45,99.08
Miscellaneous Expense			
(ख) अन्य - फैक्टरिंग व्यय		-	-
(b) Others - Factoring expenses			
कुल (ख) / Total (B)		5,14,38.42	7,31,50.20
कर पूर्व लाभ (क - ख) Profit Before Tax (A-B)		539,04,92.56	350,14,24.51
घटाएँ / Less:			
(क) कराधान के लिए प्रावधान			
(a) Provision for Taxation			
- आस्थगित कर / Deferred Tax		(2,94,14.82)	13,63,75.94
- वर्तमान कर / Current Tax		177,00,00.00	96,00,00.00
- न्यूनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता / MAT Cred	lit Entitlement	-	-
(ख) पूर्व अवधि समायोजन		13,58.76	14,31.08
(b) Prior Period Adjustments			,
(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष		4,15,88.02	(2,42,62.34)
(c) Tax Adjustments- Earlier Years			
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		360,69,60.60	2,42,78,79.83
Profit available for appropriation			
विनियोजन			
Appropriations			
(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश		-	-
(a) Interim Dividend paid during the year			
(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
(b) Dividend distribution tax on Interim Dividend			
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		88,00,00.00	60,00,00.00
(c) Proposed final Dividend			

56th Annual Report 2013-14 ई सी जी सी E C G C

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	ਧਿछले वर्ष Previous Year (₹ ′000)
(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		14,95,56.00	10,19,70.00
(d) Dividend distribution tax on Proposed Dividend			
(इ.) निगमित सामाजिक दायित्व और एसडी में अंतरण		1,08,38.60	-
(e) Transfer to Corporate Social Responsibility & SD			
(च) फैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में अंतरण		60,00,00.00	-
(f) Transfer to Reserve for Factoring Scheme			
(छ) सामान्य निधियों में अंतरण		196,65,66.00	172,60,10.49
(g) Transfer to General Reserve			
पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ / हानि शेष		-	1,00.66
Balance of profit / loss brought forward from last year			
तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष		-	-
Balance carried forward to Balance Sheet			

अनुसूची 1 से 17 के हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Schedule 1 to 17

(एन.शंकर)	(अरविंद मेहता)		(पी.के.मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक		निदेशक
(N. Shankar)	(Arvind Mehta)		(P.K. Mishra)
Chairman-cum-Managing Director	Director		Director
	(यदुवेंद्र माथुर)	(अजय मुरलीधर पोंक्षे)	

(यदुवद्र मायुर) निदेशक (Yaduvendra Mathur) Director (अजय मुरलीधर पोंक्षे) निदेशक (Ajay Muralidhar Ponkshe) Director

(स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (Smita Pandit) Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू **For P. M. Dalvi & Co.** Chartered Accountants Firm Registration No. 102065W

> (माधव नांदगावंकर) भागीदार (Madhav Nandgaonkar) Partner

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई 2014 Dated : 13th May, 2014

कृते आरएसवीए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू For RSVA & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 110504W

> (बी. एन. राव) भागीदार (B. N. Rao) Partner

फार्म बी - बीएस / FORM B - BS 31 मार्च 2014 तक का तुलन पत्र Balance Sheet as at 31st March, 2014

पंजीकरण संख्या 124 Registration No. 124 पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002 Date of Registration : 27th September 2002

ney	Suduon No. 124		Date of negistratic	m · 27 September 2002
	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ 1000)	पिछल वर्ष Previous Year (₹'000)
١.	निधियों के स्रोत			X Z
	SOURCES OF FUNDS			
	शेयर पूंजी	5	1100,00,00.00	1000,00,00.00
	Share Capital	Ŭ	1100,00,00100	1000,00,00.00
	प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष	6	1674,40,63.63	1417,74,97.64
	Reserves and Surplus	Ŭ		,
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता		54,39,32.95	19,24,60.89
	Fair Value Change Account		01,00,02100	10,21,00100
	उधार	7	-	
	Borrowings			
	ु आस्थगित कर देयता		-	
	Deferred Tax Liability			
	कुल / TOTAL		2828,79,96.58	2436,99,58.53
П.	ू निधियों का प्रयोग			
	APPLICATION OF FUNDS			
	निवेश	8 & 8A	4614,37,01.80	3937,94,47.50
	Investments			,
	ऋण	9	-	-
	Loans			
	स्थिर परिसम्पत्ति	10	201,94,35.40	152,64,15.44
	Fixed Assets			
	आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ		9,66,82.78	6,72,67.96
	Deferred Tax Assets			
	वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			
	Current Assets			
	नकद व बैंक शेष	11	1144,05,73.43	1122,77,98.26
	Cash and Bank Balances			
	अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ	12	851,69,11.87	622,52,81.94
	Advances and Other Assets			
	उप कुल (क) / SUB TOTAL (A)		1995,74,85.30	1745,30,80.20
	वर्तमान देयताएँ	13	3337,91,72.57	2862,49,69.73
	Current Liabilities			
	प्रावधान	14	655,01,36.13	543,12,82.84
	Provisions			
	उप कुल (ख) / SUB TOTAL (B)		3992,93,08.70	3405,62,52.57
_				

वित्तीय विवरण

56th Annual Report 2013-14 **ई सी जी सी E C G C**

	21-1-11-11	वर्तमान वर्ष	पिछल वर्ष	
विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	Current Year	Previous Year	
	Schedule	(₹ 1000)	(₹ '000)	
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख)		(1997,18,23.40)	(1660,31,72.37)	
Net Current Assets (C) = (A - B)				
उचित मूल्य परिवर्तन खाता		-	-	
Fair Value Change Account				
विविध व्यय (उसी सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो	15	-	-	
अथवा समायोजित न किया गया हो)				
Miscellaneous Expenditure				
(to the extent not written off or adjusted)				
लाभ और हानि खाते में नामे शेष		-	-	
Debit Balance in Profit & Loss Account				
कुल / TOTAL		2828,79,96.58	2436,99,58.53	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	16			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES				
लेखा के भाग बनने वाली टिप्पणयाँ	17			
NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS				
(एन.शंकर)	(अरविंद मेहता)	(पी	.के.मिश्रा)	
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक			
(N. Shankar)	(Arvind Mehta)	, , , ,		
Chairman-cum-Managing Director	Director		Director	
(यदु्वेंद्र माथुर)	(;	अजय मुरलीधर पोंक्षे)		
निदेशक		निदेशक		
(Yaduvendra Mathur)	(Aja)	/ Muralidhar Ponkshe)		
Director		Director		
	रेमता पंडित)			
	र्णपनी सचिव			
•	mita Pandit)			
•	pany Secretary			
सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached				
कृते पी एम दलवी एंड कंपनी		कृते आरएसवीए एंड कंपनी		
सनदी लेखाकार		सनदी लेखाकार		
फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू	ហ្	र्१ पंजीकरण संख्या ११०५०४ इ	ज्ल्य	
For P. M. Dalvi & Co.		For RSVA & Co.		
Chartered Accountants		Chartered Accountants		
Firm Registration No. 102065W	Fi	m Registration No. 11050)4W	
(माधव नांदगावंकर)		(बी. एन. राव)		

(भावप भाषपायकर) भागीदार (Madhav Nandgaonkar) Partner

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई 2014 Dated : 13th May, 2014 **(बी. एन. राव)** भागीदार (**B. N. Rao)** Partner

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची / SCHEDULE - 1

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
विवरण / Particulars	Current Year	Previous Year
	(₹'000)	(₹ 1000)
सीधे कारोबार से प्रीमियम - भारत में / Premium from Direct Business Written	1303,72,59.69	1157,25,49.45
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	-	-
Add: Premium on Reinsurance Accepted		
घटाएँः सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	319,56,02.99	326,72,86.49
Less Premium on Reinsurance Ceded		
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	984,16,56.70	830,52,62.96
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन	(76,81,96.87)	(34,48,32.01)
Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks		
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	907,34,59.83	796,04,30.95

अनुसूची / SCHEDULE - 2

प्रदत्त दावे (शुद्ध) CLAIMS INCURRED (NET)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ′000)
प्रदत्त दावे / Claims Paid	(< 000)	(\ 000)
सीधे / Direct	897,49,08.73	548,50,41.55
जोड़ेंः स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँः सौंपा गया पुनर्बीमा / Less Reinsurance Ceded	401,77,44.70	139,29,52.28
घटाएँः / Less :		
वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year 158,31,17.56		
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को वापस लौटाए गए / Less: Share of reinsurer 24,66,71.07	133,64,46.49	104,47,79.51
शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims paid (A)	362,07,17.54	304,73,09.76
जोड़ें: वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)	2963,93,24.35	2588,17,02.65
Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)		
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध)	7,39,45.69	15,62,79.34
Minus provision for recovery (net of reinsurance)		
(ख) / (B)	2956,53,78.66	2572,54,23.31
घटाएँ ः आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)	2588,17,02.65	2082,33,96.36
Less: Claims Outstanding at the beginning(net of reinsurance)		
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध)	15,62,79.34	17,86,98.32
Minus Provision for recovery (net of reinsurance)		
(ग) / (C)	2572,54,23.31	2064,46,98.04
कुल प्रदत्त दावे (क+ख+ग) / Total Claims Incurred (A+B-C)	746,06,72.89	812,80,35.03

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची / SCHEDULE - 3

कमीशन / COMMISSION

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
प्रदत्त कमीशन / Commission paid		
सीधे / Direct	2,02,21.06	1,94,24.63
कुल (क) / TOTAL (A)	2,02,21.06	1,94,24.63
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	59,94,62.41	56,98,68.97
शुद्ध कमीशन / Net Commission	(57,92,41.35)	(55,04,44.34)
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
ਦਤੇਂਟ / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	1,75,43.19	1,59,13.06
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	26,77.87	35,11.57
अन्य (कृपया स्पष्टिकरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	2,02,21.06	1,94,24.63

अनुसूची / SCHEDULE - 4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएँ Employees' remuneration and welfare benefits	93,22,50.87	76,32,78.74
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses	7,88,24.67	7,31,32.45
3	प्रशिक्षण व्यय / Training expenses	1,56,33.89	95,57.79
4	किराया, दर व कर Rent, Rates & Taxes	10,89,87.18	8,95,21.85
5	सुधार / Repairs	11,59,14.46	9,76,23.40
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,04,44.61	88,14.92
7	सूचना व्यय / Communication expenses	1,06,71.32	1,14,06.79
8	कानूनी व व्यावसायिक चार्ज / Legal & professional charges	3,34,65.58	1,16,36.10

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची / SCHEDULE - 4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
विवरण / Particulars	Current Year	Previous Year
	(₹ 1000)	(₹ '000)
9 लेखापरीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि - कानूनी लेखा परीक्षा शुल्क	61,49.86	50,48.19
Auditors' fees, expenses etc- Statutory Audit Fee		
- कर लेखा परीक्षा शुल्क / Tax Audit Fee	9,10.57	9,58.84
- अन्य / Others	4,50.68	8,78.64
10 विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and publicity	5,09,44.92	5,68,45.13
11) ब्याज व बैंक चार्ज / Interest and Bank Charges	7,02.33	6,88.42
12 समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क / Concurrent Audit Fee	27,07.03	28,14.47
13 परामर्श कार्य संबंधी शुल्क / Consultancy Charges	65,93.28	65,41.46
14 सेवा कर / Service tax	60,02.51	1,05,72.31
15 बिजली शुल्क / Electricity Charges	2,76,02.16	2,59,39.83
16 बीमा प्रीमियम / Insurace Premium	25,32.22	24,13.48
17 परिसम्पत्तियाँ की बिक्री पर हानि (शुद्ध) तथा बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियाँ Loss on Sale of Asset (net) & Asset written off	23,58.63	28,48.71
		5 50 40 00
18 हैसियत जाँच व्यय / Status Enquiry Expenses 5,74,24.72 उन्हार्य के स्वय		5,59,13.83
घटाएँः हैसियत जाँच शुल्क / Less: Status Enquiry Fees1,44,73.04	4,29,51.68	1,42,90.65 4,16,23.18
19 विनिमय घटबढ़ हानि (शुद्ध) / Exchange Fluctuation Loss (net)	-,23,31.00	-
20 बर्न यूनियन व्यय / Berne Union Expenses	7,68.32	5,06.05
21 सदस्यता व अन्य शुल्क	1,74,14.49	1,64,50.81
Membership and other fees	.,,	1,01,00101
22 निवेशों के लिए परिचालन व्यय	1,56,15.68	1,04,51.37
Operating Expenses towards Investments		
23 सम्पत्ति कर / Wealth Tax	76,32.91	81,91.79
24 कारोबार संवर्धन व्यय	1,33,28.35	1,08,63.84
Business promotion expenses		
25 एनईआईए गारंटी शुल्क NEIA Guarantee fee	16,43.80	1,03,68.55
26 विविध व्यय / Miscellaneous Expenses	2,45,88.48	4,14,04.76
27 मूल्यह्रास / Depreciation	3,63,46.77	6,21,07.43
28 स्थिर आस्तियों की अनर्जक हानि	-	-
Impairment Loss of Fixed Assets		
कुल / TOTAL	157,34,37.25	138,24,89.30
अनुसूची / SCHEDULE - 5

शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital 100 ₹ प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर 50,00,000 Equity Shares of ₹100 each	5000,00,00.00	1000,00,00.00
2	(पिछले वर्ष 100 ₹ प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 10,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each) निगमित पूंजी Issued Capital		
	100 ₹ प्रत्येक के 11,00,00,000 इक्विटी शेयर 11,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each (पिछले वर्ष 100 ₹ प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 10,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)	1100,00,00.00	1000,00,00.00
3	अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital 100 ₹ प्रत्येक के 11,00,00,000 इक्विटी शेयर 11,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each	1100,00,00.00	1000,00,00.00
4	(पिछले वर्ष 100 ₹ प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 10,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each) मांगी गई व प्रदत्त पूंजी Called up & Paid up Capital		
	100 ₹ प्रत्येक के 11,00,00,000 इक्विटी शेयर 11,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each (पिछले वर्ष 100 ₹ प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Year 10,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)	1100,00,00.00	1000,00,00.00
	जोड़ें: जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि) Add: Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) घटाएँ: पुन: खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सम मूल्य	-	-
	Less : Par Value of Equity Shares bought back घटाएँ: आरंभिक व्यय Less : Preliminary Expenses शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज	-	-
	Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares कुल / TOTAL	1100,00,00.00	1000,00,00.00

FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 5 क / SCHEDULE - 5A

शेयर धारण का नमूना / PATTERN OF SHAREHOLDING

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार) / (As Certified by the Management)

	वर्तमान वर्ष / Current Year		पिछले वर्ष / Previous Year	
श्रोयरधारक / Shareholder	शेयरों की संख्या /	धारिता का % /	शेयरों की संख्या /	धारिता का % /
	No. of Shares	% of holding	No. of Shares	% of holding
प्रवर्तक				
Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति व उनके नामिती सदस्य	11,00,00,000	100.00	10,00,00,000	100.00
President of India & his nominees				
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	11 ,00 ,00 ,000	100.00	10,00,00,000	100.00

अनुसूची / SCHEDULE - 6

प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	विवरण / Particulars	Current Year	Previous Year
		(₹ 1000)	(₹ 1000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि	-	-
	Capital Reserve		
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि	-	-
	Capital Redemption Reserve		
3	शेयर प्रीमियम	-	-
	Share Premium		
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा	1417,74,97.63	1245,14,87.15
	General Reserve - Opening Balance		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	196,65,66.00	172,60,10.49
		1614,40,63.63	1417,74,97.64
	वर्ष के दौरान घटौती / Deduction during the year	-	-
		1614,40,63.63	1417,74,97.64
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	-
7	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	-	-
	Other Reserves (to be specified)		
8	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-
	कुल / TOTAL	1674,40,63.63	1417,74,97.64

अनुसूची / SCHEDULE - 7

उधार / BORROWINGS

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	डिबेंचर / बॉॅंड्स Debentures / Bonds	-	-
2	बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटाने योग्य) Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची / SCHEDULE - 8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ′000)
दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
 सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड 		
Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	522,17,03.08	474,34,45.73
Central Govt. Securities		
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	356,34,46.15	309,58,76.30
State Govt. Securities		
2 अन्य मान्य प्रतिभूतियाँ	28,66,67.56	29,32,71.47
Other approved Securities		
3 मान्य निवेश		
Approved Investments		
क. शेयर		
a. Shares		
क क. इक्विटी	224,64,89.33	217,45,26.79
aa. Equity		
ख ख. अधिमानित शेयर	-	-
bb. Preference Shares		
ख. म्युचुअल फ़ंड	-	-
b. Mututal Funds		
ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
c. Derivative Instruments		

अनुसूची / SCHEDULE - 8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ´000)
	ग. डिबेंचर्स / बाड्स		
	d. Debentures/Bonds		
	i. आवस क्षेत्र बांडों में निवेश / Investments in housing sector bonds	209,84,83.10	181,25,38.94
	ii. बाज़ार क्षेत्र बांडों में निवेश / Market sector bonds	199,34,89.98	185,83,84.18
	घ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	-	-
	e. Other Securities (to be specified)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	321,41,15.72	280,71,93.14
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश / Other investments	9,73,73.57	1,07,63.54
	कुल (क) / Total (A)	1872,17,68.49	1679,60,00.09
अल	पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	28,59,50.02	-
	Central Govt. Securities		
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
	State Govt. Securities		
2	अन्य मान्य प्रतिभूतियाँ	-	15,75,00.00
	Other approved Securities		
3	मान्य निवेश		
	Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी		
	aa. Equity	-	-
	खख. अधिमानित		
	bb. Preference	-	-
	ख. म्युचुअल फ़ंड	-	-
	b. Mututal Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		

अनुसूची / SCHEDULE - 8

निवेश (शेयर धारक)/ INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹'000)
	ग. डिबेंचर्स / बाड्स		
	d. Debentures/Bonds		
	i. आवस क्षेत्र बांडों में निवेश / Investments in housing sector bonds	54,94,33.57	24,75,00.56
	ii. बाज़ार क्षेत्र बांडों में निवेश / Market sector bonds	44,22,56.03	9,00,00.24
	घ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	6,44,66.52	-
	e. Other Securities (to be specified)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	23,93,54.18	42,97,50.50
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश / Other investments	-	-
	कुल (ख) / Total (B)	158,14,60.32	92,47,51.30
	कुल (क+ख) / Total (A+B)	2030,32,28.81	1772,07,51.39

अनुसूची - 8अ / SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसी धारक) / INVESTMENTS (Policy Holder)

		विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
दीघ	विधि नि	वेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	सरकार्र	। प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड		
	Goverr	ment securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सन	कार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt.Securities	664,58,03.93	579,75,44.78
	राज्य र	रकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	453,52,95.10	378,38,48.80
2	अन्य म	न्य प्रतिभूतियाँ	36,48,49.63	35,84,42.91
	Other	approved Securities		
3	मान्य नि	ावेश / Approved Investments		
	क. शे	पर		
	a. S	ares		
	क	क. इक्विटी	285,91,68.23	265,77,54.96
	aa	. Equity		
	ख	ख. अधिमानित	-	-
	bł	. Preference		

अनुसूची - 8अ / SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसी धारक) / INVESTMENTS (Policy Holder)

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
	ख. म्युचुअल फंड	-	-
	b. Mututal Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	ग. डिबेंचर्स / बाड्स d. Debentures/Bonds		
		007 07 00 07	004 50 05 07
	i. आवस क्षेत्र बांडों में निवेश Investments in housing sector bonds	267,07,96.67	221,53,25.37
	ii. बाजार क्षेत्र बांडों में निवेश	252 71 60 06	007 10 50 45
	Market sector bonds	253,71,69.06	227,13,58.45
	घ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	_	_
	e. Other Securities (to be specified)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	409,06,92.73	343,10,13.84
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश / Other investments	12,39,29.99	1,31,55.43
	कुल (क) / Total (A)	2382,77,05.34	2052,84,44.54
अल	पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा राजकोष बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड		
	Government securities and Government guaranted bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	36,39,36.38	-
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	-	-
2	अन्य मान्य प्रतिभूतियाँ	-	19,25,00.00
	Other approved Securities		
3	मान्य निवेश / Approved Investments	-	-
	क. शेयर	-	-
	a. Shares		
	कक. इक्विटी	-	-
	aa. Equity		
	खख. अधिमानित	-	-
	bb. Preference		
	ख. म्युचुअल फ़ंड	-	-
	b. Mututal Funds		

अनुसूची - 8अ / SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसी धारक) / INVESTMENTS (Policy Holder)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
c. Derivative Instruments		
ग. डिबेंचर्स / बाड्स		
d. Debentures / Bonds		
i. आवस क्षेत्र बांडों में निवेश / Investments in housing sector bonds	69,92,79.08	30,25,00.68
ii. बाज़ार क्षेत्र बांडों में निवेश / Market sector bonds	56,28,71.30	11,00,00.29
घ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	8,20,48.30	-
e. Other Securities (to be specified)		
च. गौण मद	-	-
f. Subsidiaries		
छ. सम्पत्ति निवेश - भूमि भवन	-	-
g. Investment Properties-Real Estate		
4 मूलभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश	30,46,32.59	52,52,50.60
Investments in Infrastructure and Social Sector		
5 अन्य निवेश / Other investments	-	-
कुल (ख) / Total (B)	201,27,67.65	113,02,51.57
कुल (क+ख) / Total (A+B)	2584,04,72.99	2165,86,96.11

अनुसूची / SCHEDULE - 9

ऋण / LOANS

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ′000)
1 प्रति	भूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
ज़मा	ानती / Secured		
(क)	सम्पत्ति के बंधक रखने पर		
(a)	On mortagage of property		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	Less : Provision for doubtful debts		
(ख)	शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
(b)	On Shares, Bonds, Govt Securities		
(ग)	अन्य - (गैर जमानती)	-	-
(C)	Others (Unsecured)		
कुल	/ TOTAL	-	-

अनुसूची / SCHEDULE - 9

ऋण / LOANS

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
2	लेनदारवार वर्गीकरण BORROWER-WISE CLASSIFICATION		-
	(क) केंद्र व राज्य सरकार (a) Central and State Governments	-	
	 (ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions 	-	
	(ग) अनुषंगी(c) Subsidiaries	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings	-	-
	(코) अन्य (e) Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
3	निष्पादनवार वर्गीकरण PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		-
	 (क) मानक के रुप में वर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard 		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण(b) Non-performing loans less provisions		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India		
	कुल / TOTAL	-	-
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
	(क) अल्पावधि (a) Short Term	-	-
	(ख) दीर्घावधि (b) Long Term	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

वित्तीय विवरण

अनुसूची 10 / SCHEDULE - 10

le																	
6		सकल ब्लॉक / Gross Block	oss Block				मूल्य हास / Depriciation	oriciation				आस्तियों व	आस्तियों का अनर्जन / Impairment of Assets	airment of A	ssets	शुद्ध ब्लॉक / Net Block	t Block
· .	विवरण / Particulars	प्रारंभिक / Opening	समायोजन/ Adjust- ment	परिवर्धन/ Addi- tions	कटौतियाँ / Deduc- tions	आंतिम / Closing	प्रारंभिक/ Opening	समायोजन / Adjust- ment	वर्ष के लिए / For the year	बिक्री पर / समायोजन/ On sale / Adjust- ment	आज तक/ To date	प्रारंभिक/ Opening	अतिरिक्त अनर्जन / Additional impair- ment	उत्क्रमण / Reversal	आज तक/ To date	31.03.2014 लक / As at 31.03.2014	31.03.2013 तक / As at 31.03.2013
1	साख / Good Will	•			•							•		•	•	•	
2 37	अमूर्त / Intangibles	3,83,68.39	•	1,62.20	•	3,85,30.59	3,74,19.02		8,46.55		3,82,65.57	•		•	•	2,65.02	9,49.37
	भूमि- पूर्ण स्वामित्व वाली / Land - freehold	74,68,36.66		13, 15.67		74,81,52.33			•	•		•				74,81,52.33	74,68,36.65
4 L6	पट्टे पर ली गई सम्पत्ति / Leasehold Property	5,87,63.54				5,87,63.54	1,13,62.52		6,90.11	•	1,20,52.63	•			•	4,67,10.91	4,74,01.02
5 बि	बिल्डिंग / Building	43,49,88.85	•	13,85.87	13,63.90	43,50,10.82	10,03,11.26	•	69,38.30		10,72,49.56	•		•	•	32,77,61.26	33,46,77.59
6 년 전	फर्निचर तथा फिटिंग्स / Fumiture and Fittings	14,62,21.25		61,42.42	37,11.15	14,86,52.52	9,75,46.70		75,83.67	16,75.74	10,34,54.63	1.25	•	•	1.25	4,51,96.64	4,86,73.30
전 3 T6	सूचना प्रौधोगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	15,43,68.02	•	79,84.93	54 ,44 .22	15,69,08.73	12,56,19.42		1,27,91.20	53,45.41	13,30,65.21					2,38,43.52	2 ,87 ,48 .60
8 वा	वाहन / Vehicles	7,10,47.36	•	15,68.12	18,79.08	7,07,36.40	5,79,68.27		48,76.41	17,50.53	6,10,94.15	•			•	96,42.25	1,30,79.10
م با	कार्यालय उपकरण/ Office Equipments	5,68,28.95		44,39.90	43,49.74	5,69,19.11	2,36,55.42	•	26,20.53	26,17.56	2,36,58.39	0.97	•		0.97	3,32,59.75	3,31,72.56
कुल / Total	tal	170,74,23.02		2,29,99.11	1,67,48.09	171,36,74.04	45,38,82.61		3,63,46.77	1,13,89.24	47,88,40.14	2.22	•		2.22	123,48,31.68	125,35,38.19
प्रगतिरत क progress	प्रगतिरत कार्य / Work in progress															78,46,03.72	27,28,77.25
कुल योग/	कुल योग/ Grand Total	170,74,23.03	I	2,29,99.11	1,67,48.09	171,36,74.04	45,38,82.61		3,63,46.77	1,13,89.24	47,88,40.14	2.22	•		2.22	201,94,35.40	152,64,15.44
पिछले वर्ष	पिछले वर्ष / Previous Year	168,62,56.47		3,82,49.41	1,70,82.85	170,74,23.03	40,19,78.50		6,21,07.43	1,02,03.29	45,38,82.64	3 9.18	•	3 6.96	2.22	152,64,15.44	147,04,60.75

79

अनुसूची / SCHEDULE - 11

नकदी व बैंक शेष CASH AND BANK BALANCES

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ′000)
1	नकदी (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	2,36,00.28	3,55,77.32
2	बैंक शेष Bank Balances (क) जमा खाते (a) Deposit Accounts अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): Short Term (due within 12 months):		
	अनुसूचित बैंकों के साथ With Schedule Banks	957,37,18.47	859,87,93.29
	वित्तीय संस्थानों के साथ With Financial Institutions	169,73,00.00	124,86,00.00
	अन्य Others		
	अनुसूचित बैंकों के साथ With Schedule Banks	1,03,00.00	120,51,18.47
	वित्तीय संस्थानों के साथ With Financial Institutions	-	-
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	13,55,54.68	13,96,09.18
	 (ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India 	1,00.00	1,00.00
3	मांगे जाने व अल्प नोटिस पर मुद्रा Money at Call and Short Notice		
	बैंकों के पास / with Banks	-	-
	अन्य संस्थानों के पास / With other Institutions	-	-
4	अन्य Others	-	-
	कुल / TOTAL	1144,05,73.43	1122,77,98.26

वित्तीय विवरण

अनुसूची / SCHEDULE - 12

अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ′000)
अरि	प्रेम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments		-
3	समयपूर्व भुगतान / Prepayments	5,06,25.68	5,14,02.35
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Capital Expenses		
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid (Net of provision for taxation)	246,50,05.44	324,63,07.52
6	न्यूनतम विकल्प कर क्रेडिट पात्रता MAT Credit Entitlement	-	-
7	बैंकों को लेखागत दावा अदायगी 6,00.00 On account claim payment to Banks		6,00.00
	घटाएँः संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान 6,00.00 Less: Provision for Doubtful Recovery		6,00.00
8	- कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	- 12,89,45.78	- 10,69,17.98
9	व्ययों के लिए अग्रिम / Advance for Expenses	36,90.77	44,66.33
	कुल (क) / TOTAL (A)	264,82,67.67	340,90,94.18
	अन्य परिसम्पत्तियाँ / OTHER ASSETS		
1	निवेशों पर प्रोद्धूत आय Income accrued on Investments	145,70,88.95	122,91,58.81
2	बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाईयों से देय Due from other entitities carrying on insurance business (including reinsurers)	262,08,48.35	34,03,15.78

FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची / SCHEDULE - 12

अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

	विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष Current Year (₹´000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
6	गौण / धारक इकाईयों से देय Due from subsidiaries/holding		-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Ins		9,95,25.00	9,95,25.00
8	आवास ऋण पर प्रोद्धूत ब्याज / Interest accrued on Housing Loar	I	3,57,34.20	3,37,42.46
9	विविध देनदार / Sundry Debtors -			
	मानक परिसम्पत्तियाँ / Standard Asset			
	घटाएँः मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less: Provision for Standard Asset			
	(1)	-		-
	निम्न मानक परिसम्पत्तियाँ / Sub Standard Assets			
	घटाएँः निम्न मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान Less: Provision for Sub Standard Assets			
	(II)	-		-
	संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ / Doubtful Assets	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँः संदिग्ध परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान			7,04,26.80
	Less: Provision for doubtfull Assets	7,04,26.80	_	
	(111)		-	-
	(+ +)		-	-
10	अधिमानित / अदा किए गए दावों की वसूली के लिए प्रावधान Provision for recovery of claims preferred / paid		7,39,45.69	15,62,79.34
11	अन्यों से वसूली योग्य राशि / Amount Recoverable from others	150,25,54.03		-
	घटाएँः संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान			
	Less: Provision for Doubtful Recovery	95,11.50		
			149,30,42.53	87,17,10.92
12	विविध जमा / Sundry Deposits	8,84,59.48		
	घटाएँः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			
	Less : Provision for Doubtful Debts	-		0.54.55.45
		8,84,59.48	8,84,59.48	8,54,55.45
	कुल (ख) / TOTAL (B)		586,86,44.20	281,61,87.76
	कुल (क + ख) / TOTAL (A+B)		851,69,11.87	622,52,81.94

अनुसूची / SCHEDULE - 13

वर्तमान देयताएँ / CURRENT LIABILITIES

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ′000)
1 एजेंटों का शेष Agents' Balances	-	-
 अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies 	110,87,19.26	59,55,06.83
3 सौपें गए पुनर्बीमा पर जमा Deposits held on re-insurance ceded	-	-
 अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance 	50,02,80.99	43,68,50.58
5 अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	178,66,79.12	150,04,47.11
6 बीमाकृत - अदावी को देय Due to Insured - Unclaimed	1,83,36.82	6,42,35.57
7 विविध देनदान Sundry Creditors	16,64,70.95	8,46,28.75
8 अनुषंगी / धारक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	-	-
9 बकाया दावे Claims outstanding	2963,93,24.35	2588,17,02.65
10 कर्मचारियों को देय Due to Employees	10,72,16.79	1,68,48.36
11 अन्य को देय - Due to Others - एन ई आई ए / NEIA - फ़्रैक्टरिंग / Factoring	2,33,61.26	2,77,42.75
- विविध / Miscellaneous - सेवा कर देयता / Service Tax Liability	2,74,32.54 13,50.49	1,70,07.13
12 बैंक बही ओवरड्राफ्ट - अस्थायी Bank Book Overdraft - Temporary	-	-
कुल / TOTAL	3337,91,72.57	2862,49,69.73

FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची / SCHEDULE - 14

प्रावधान / PROVISIONS

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित / Reserve for Unexpired Risk	492,08,28.35	415,26,31.48
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित / Reserve for Premium Deficiency	-	-
3	निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित Reserve for Corporate Social Responsibility	5,05,30.71	8,77,94.50
4	कराधान के लिए / For taxation		
	आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
	सम्पत्ति कर Wealth Tax	76,32.91	81,91.69
	उपांत सुविधा कर (अग्रिम कर को घटा कर) Fringe Benefit Tax (Net of Advance Tax)	-	-
5	प्रस्तावित लाभांशों के लिए / For Proposed Dividends	88,00,00.00	60,00,00.00
6	लाभांश वितरण कर के लिए / For Dividend Distribution Tax	14,95,56.00	10,19,70.00
7	सेवानिवृत्ति की सुविधाएँ - / For Retirement Benefits -		
	अर्जित छुट्टी / Earned Leave	29,01,85.10	25,49,34.23
	उपदान /Gratuity	1,38,53.70	1,89,76.72
	पेंशन / Pension	23,66,83.45	20,67,84.22
8	कम कारोबार के शेयरों के लिए / For Thinly Traded Shares	8,65.91	-
	कुल / TOTAL	655,01,36.13	543,12,82.84

अनुसूची / SCHEDULE - 15

विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ ′000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ ´000)
1	शेयर / डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर रियायत Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची - 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटीः

1.1 वित्तीय विवरण, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) के प्रावधानों, बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंर्तगत बनाए गए विनियमों जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (1), (2) व (5) व धारा 227 की उपधारा (5) के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार बनाए गए हैं। ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंर्तगत व उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं जो बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की लेख़ा परीक्षकों की रिपोंट व वित्तीय विवरणों को तैयार करना) विनियमन 2002 तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों एवं कंपनी नियम 2006 (लेखा मानकों) द्वारा निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार लागू सीमा तक अनुपालन करते हैं तथा जब तक वैसे दर्शाया न गया हो, ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोगः

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है कि विचाराधीन रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों की राशि तथा देयताओं व वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटनों तथा राजस्वों व व्ययों के रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमानों तथा पूर्व धारणाओं का सहारा लिया जाए। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। जिन अवधियों के लिए परिणाम जाने गए / उत्पन्न हुए हैं के दौरान वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच अंतर हो सकता है।

2. अचल परिसम्पत्तियाँ व मूल्यहास

- 2.1 अचल परिसम्पत्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से मूल्यह्रास को घटा कर दर्ज की गई हैं।
- 2.2 मूल्यह्रास का प्रावधान समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार संबंधित दरों पर सीधी रेखा पद्धति से किया गया है केवल वाहन और आईटी हार्डवेयर को छोडकर क्योंकि दिनांक 1 अप्रैल 2011 से इनके लिए मूल्यऱ्हास दर 20% किया गया है। वर्ष के दौरान वर्धित / निपटाई गई / परिसम्पत्तियों का वर्धन / निपटान की तारीख के संदर्भ में समानुपातिक आधार पर मूल्यहास किया गया।

SCHEDULE - 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION:

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the provisions of sub-sections (1), (2) and (5) of section 211 and sub-section (5) of section 227 of the Companies Act, 1956. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed by Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and the provisions of the Companies Act, 1956 to the extent applicable, and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

- 2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.
- 2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except for Vehicles and IT hardware for which the depreciation rate has been changed to 20% with effect from 1st April, 2011. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal.

- 2.3 ₹5000/- से कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ व मोबाइल हैंड सेट का खरीद के वर्ष में ही पूर्णतया मूल्यह्रास हो गया।
- 2.4 पट्टे वाली परिसम्पत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।
- 2.5 हार्डवेअर के समाकलित भाग के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेअर, जिसमें पूर्व में लोड किए गए सॉफ्टवेअर तथा नए ख़रीदे गए हार्ड वेअर में लगाने के लिये ख़रीदे गए सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर के साथ पूंजीकृत किया गया है।
- 2.6 सॉफ़्टवेयर विकास तथा उसे खरीदने की कीमतें जो कि कंपनियों के लेखा मानक नियमों 2006 द्वारा जारी अविचारणीय परिसम्पत्तियों - ए एस- 26 के मानदंड़ों के अनुरुप रहीं को सॉफ़टवेयर की उपयोगपूर्ण अवधि के दौरान पूंजीकृत व परिशोधित किया गया। यदि उपयोगपूर्ण अवधि का अनुमान लगाना मुमकिन न हो तो सीधे उसे उसकी खरीद की तारीख से 5 वर्षों के लिए परिशोधित किया जाता है।
- 2.7 कमीशनिंग के अंतर्गत परियोजनाओं को मुख्य प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के रूप में लागत पर अग्रेषीत किया जाता है और यह अग्रिमों एवं सीधे अट्रिब्युटबल लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

3. अनर्जनः

वेत्तीय विवरण

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को परिसम्पत्तियों की आवर्ती राशियों की समीक्षा की गई ताकि किसी प्रकार के अनर्जन को पहचाना जा सके। यदि इस प्रकार का कोई संकेत प्राप्त हुआ हो तो, परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया। जब भी किसी परिसम्पत्ति की आवर्ती राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक पाई गई वहाँ अनर्जन की हानि पहचानी गई।

4. निवेशः

- 4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरणों जैसे वाणिज्यिक पेपर तथा जमा प्रमाण पत्रों को उनके रियायत मूल्य पर दिखाया जाता है तथा खरीद मूल्य व शोधन मूल्य के बीच के अंतर को समय के आधार पर प्रभाजित किया जाता है व उसे उपचयित आय माना जाता है।
- 4.2 शेयरों, बांडों, डिबेंचरों आदि को खरीदने के लिए किए जाने वाले करारों को सौदों की तारीख को 'निवेश' के रुप में गिना जाता है।
- 4.3 निवेश मूल्य में खरीदने पर अदा किया गया प्रीमियम, व्यय, जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि तथा उस पर प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, की शुद्ध राशि शामिल है।
- 4.4 लाभांश को घोषणा के वर्ष के दौरान आय के रूप में माना जाता है।वसूली की तारीख को आपत्ति / लंबित सुपुर्दगी के अधीन शेयरों पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गई। जहाँ वॉरंटों की तारीख 31 मार्च अथवा उसके पहले की थी वहाँ अंतरिम लाभांश की गणना की गई है।

- 2.3 Assets costing less than ₹5,000 and mobile hand sets are fully depreciated in the year of purchase.
- 2.4 Leased Assets are amortised over the period of lease.
- 2.5 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.
- 2.6 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS - 26 - Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head 'Intangibles' and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.
- 2.7 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS:

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS:

- 4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.
- 4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as 'Investments' as on date of Transaction.
- 4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.
- 4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

- 4.5 निवेशों की उगाही पर लाभ / हानि की गणना निवेशों के मूल्य के रुप में औसत लेखा मूल्य को ध्यान में रखते हुए की गई है तथा परिपक्वता तक धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन (एफ आई एफ ओ) आधार पर की गई।
- 4.6 सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमानित शेयरों की परिपक्वता तक मान कर तथा उसकी कीमत के आधार पर गणना की गई। तथापि बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार प्रतिभूतियों के खरीद के समय अदा किए गए प्रीमियम को परिपक्वता की परिशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया गया।
- 4.7 (क) म्युचुअल फ़ंडों में निवेशों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर किया गया तथा मूल्य / अंकित मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गई। तथापि यदि मूल्य में घाटा पाया गया तो उसकी भरपाई राजस्व में से की जाएगी व निवेश के अंकित मूल्य में तदनुसार कटौती की जाएगी। पूर्व में पहचाने गए किसी भी घाटे की हानि को यदि उल्टा किया जाए तो उसे उस सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा जिस सीमा तक घाटे को पहचान कर कटौती की गई थी।
 - (ख) तुलन पत्र की तारीख को एन ए वी की अनुपलब्धता पर निवेश को उसके मूल्य के अनुसार ही दिखाया जाएगा।
- 4.8 (क) बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार इक्विटी / इक्विटी संबंधी प्रपत्रों को सक्रीय रुप से व्यापारित तथा अल्प व्यापारित में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई व बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान हुए लेनदेन को देखते हुए शेयरों को अल्प व्यापारित श्रेणी में गिना गया है।
 - (ख) सक्रियात्मक व्यवसायिक इक्विटी / इक्विटी संबंधी लिखितों का आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इक्विटी निवेश का मूल्यांकन राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (एन.एस.ई), जो कि प्राथमिक एक्सचेंज होगा, पर अंतिम बंद भाव से मूल्यांकन किया जाएगा। यदि कोई लिखित एन.एस.ई पर कोट नही है तो मुंबई शेयर बाज़ार (बी.एस.ई.) (द्वितीय एक्सचेंज की तरह) के अंतिम बंद भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा। भारित औसत लागत तथा कोट किए गए मूल्य के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाता में डाला गया है।
- 4.9 अल्प व्यापारित शेयरों तथा असूचीगत शेयरों में निवेशों को मूल्य के अनुसार दर्शाया गया। तथापि मूल्य तथा विश्लेषित मूल्य के अंतर को मूल्य में मूल्यह्रास के रुप में दर्शाया गया है। आगे यदि अल्प व्यापारित / असूचिगत शेयरों के लिए प्रावधानों की गणना करने की तारीख को अथवा उसके तत्काल पश्चात की तारीख

- 4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out (FIFO) Basis.
- 4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.
- 4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.
 - b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.
- 4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.
 - b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.
 - 4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on

तक असूचिगत कंपनी के पिछले तीन लेखा वर्षों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा यदि विश्लेषित मूल्य नकारात्मक है तो सम्पूर्ण लागत के लिए प्रावधान किया गया।

- 4.10 वे कंपनियों जो पिछले तीन वर्षों से निरंतर हानि में चल रहीं हों व जहाँ पूंजी की हानि हुई हो में सूचीगत इक्विटी / इक्विटी संबंधी प्रपत्रों/अधिमानित शेयरों में किए गए निवेश को मूल्य में घाटे की श्रेणी में गिना गया है। आगे, यदि मूल्य के घाटे की गणना की तारीख को अथवा उसके तत्काल पश्चात यदि किसी कंपनी के पिछले तीन लेखा वर्षों के प्रकाशित लेखों के आंकडे उपलब्ध न हों तो यह मान लिया जाएगा कि निवेशों पर पूर्ण रुप से हानि हुई है व उसे ₹1/- प्रति कंपनी के नाम मात्र मूल्य पर बट्टे खाते में डाल दिया गया।
- 4.11 क) मूल्य में घाटे में शामिल किए जानेवाले निवेशों की गणना निम्नानुसार की गईः
 - (क) सक्रीय व्यापारित इक्विटी शेयरः- लागत मूल्य, बाज़ार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य का न्यूनतम बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य सकारात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हुआ तो ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य की गणना की जाएगी।
 - (ख) सक्रीय व्यापारित शेयरों के अलावा अन्य के संदर्भ में:- लागत मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य का न्यूनतम बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य सकारात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हुआ तो ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य की गणना की जाएगी।
 - (ग) अधिमानित शेयरों के मामले में यदि पिछले तीन वर्षों से लाभांश प्राप्त न हुआ हो तो : - अधिमानित शेयरों की गणना उसी मूल्य में की जाएगी जो उनका अंकित मूल्य हो,इक्विटी शेयरों के उसी अंश को लिए गए मूल्य / अंकित मूल्य वाले बट्टे खाते में डाले जानेवाले इक्विटी शेयरों के मूल्य में शामिल किया गया। तथापि यदि इक्विटी शेयर जिन्हें ₹1/- प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया, अधिमानित शेयरों की भी ₹1/- प्रति कंपनी के नाम मात्र मूल्य पर गणना की जाएगी।
 - ख) उपर्युक्त नीति के अनुसार एक बार यदि सूचीगत इक्विटी/ इक्विटी से संबंधित प्रपत्र / अधिमानित शेयरों में निवेश के मूल्य का घाटा तय किया जाए तो इस प्रकार के हानि घाटे को राजस्व / लाभ व हानि खाते से केवल तब ही बाहर

or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

- 4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/ Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of ₹1/- per Company.
- 4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:
 - a) In respect of Actively Traded Equity shares:-Least of Cost Price, Market Price or Breakup Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.
 - b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/per Company.
 - c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/ which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to ₹1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of ₹1/- per Company.
 - B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are

लाया जा सकता है जब उसे उलटने की तारीख को अथवा तत्काल पश्चात जिन कंपनियों में निवेश किया गया है उन कंपनियों के उपलब्ध प्रकाशित लेखों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार घाटे की राशि की हानि पूर्ण रुप से समाप्त हो जाए।

- 4.12 रिवर्स रेपो लेनदेनों को सुरक्षित उधार लेनदेन मानकर तदनुसार वित्तीय विवरणों में घोषित किया गया। सौदे के पहले व दूसरें आश्रय के कुल प्रतिफ़ल के बीच के अंतर को आय माना गया।
- 4.13 'संपार्श्वीकीकृत उधार तथा उधार देने का दायित्व' (सी बी एल ओ), जो कि अंकित मूल्य पर रियायत देते हुए जारी किया गया था को भारतीय रिर्जव बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार प्रपत्र माना गया। सीबी एल ओ के ज़रिए उधार देते समय अर्जित छूट की गणना आय में की गई जिसे समय के आधार पर प्रभाजित किया गया।
- 4.14 (क) सूचीगत इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त वसूलियाँ, हानियों को 'उचित मूल्य परिवर्तन खाते' में रखा जाता है व उनकी प्राप्ति पर उन्हें लाभ तथा हानि के खाते में रिपोर्ट किया जाता है।
 - (ख) 'उचित मूल्य खाते' में लंबित वसूली, ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
- 4.15 'निवेशों का अंशधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों में विनियोजन': निगम के निवेशों को प्रस्तुत अनुसूची 8 एवं 8 क के अनुसार अंशधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियो में, महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसी (पैरा सं.) 10.2 के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अंशधारक निधि एवं पॉलिसीधारक निधि के अनुपात के अनुसार विनियोजित किया गया।
- 4.16 निगम द्वारा संपत्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता एवं ऋणों / अग्रिमों / ऋणपत्रों के प्रावधान करने हेतु बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) / भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी.आई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानक दिशानिर्देशी सिद्धांतों का पालन किया जाता है।

5. प्रीमियम आय

प्रीमियम आय को जोखिम के पूर्वानुमान के रुप में लिया जाता है।

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियाँ

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियाँ, वर्ष के लिए शुद्ध प्रीमियम आय के 50% तक रखी गई हैं।

7. प्रीमियम घाटा

प्रीमियम घाटा को तब पहचाना जाता है जब अनुमानित दावा मूल्य तथा संबंधित व्यय असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधियों से अधिक हो। completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

- 4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.
- 4.13 'Collateralised Borrowing and Lending Obligation' (CBLO), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through CBLO is shown as income, which is apportioned on time basis.
- 4.14 (a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head 'Fair Value Change Account' and on realisation reported in profit and loss account.
 - (b) Pending realisation, the credit balance in the 'Fair Value Change Account' is not available for distribution.
- 4.15 'Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds': Investments of the Corporation are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2
- 4.16 The Corporation follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

- बकाया दावों के लिए आरक्षित तथा अनुमानित वसूलियों का लेखाः
- 8.1 मध्यम व दीर्घावधि रक्षाओं / पॉलिसियों के सभी दावों एवं अल्पावधि रक्षाओं / पॉलिसियों के प्रक्रियाधीन दावों के अंतर्गत आने वाले मामलों में रिपोर्टिंग की तारीख पर बकाया दावों के लिए रिजर्व को निर्धारित राशि पर सभी दावों हेतु देय माना गया है। अल्पावधि पॉलिसियों / रक्षाओं के अंतर्गत आने वाले वे मामले जिनमें दावों की प्रक्रिया करना बाकी है, उनके लिए अनुमान के आधार पर प्रावधान किया जाएगा।
- 8.2 आगे, वर्ष के अंत तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वहन किए गए किंतु रिपोर्ट न किए गए दावे (आई बी एन आर) के लिए प्रावधान, वहन किए गए किंतु पर्याप्त रिपोर्ट न किए गए दावे (आई बी एन ई आर) के लिए प्रावधान, को हिसाब में लिया गया है।
- 8.3 अदा किए गए दावों के संबंध में अनुमानित वसूलियों (अंतरण विलंब की वसूलियों के अलावा) की गणना प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर की गई है। तथापि, प्रदत्त दावों के संबंध में तथा तुलन पत्र की तारीख के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए बकाया दावों के संबंध में वसूलियों के लिए ₹100/- (सौ रुपए मात्र) का अनुमान किया गया है, भले ही ऐसे मूल्यांकनों पर उच्च वसूली का प्रावधान है। अदा किए गए अंतरण विलंब दावों संबंधी अनुमानित वसूलियों की गणना उपलब्ध जानकारी व गत अनुभव पर आधारित निगम के वर्तमान ज्ञान के आधार पर की गई है।

- 8.4 निम्नलिखित जिन दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है उनके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :
 - (i) निगम द्वारा अस्वीकृत दावे और देय न माने गए वे दावे जिनके संबंध में कानूनी कार्यवाही तथा / अथवा विधिक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है सिवाए ऐसे मामलों के जहाँ प्रतिकूल निर्णय हुआ था। इस प्रकार के दावों के मामलों के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है।
 - (ii) बैंकों द्वारा अधिमानित दावे जिनकी उनके द्वारा पुष्टि की गई है व देयों की वसूली के लिए किए जानेवाले समझौता प्रस्ताव विचाराधीन हों।

ऊपर उल्लिखित (i) व (ii) के संबंध में यदि ब्याज के लिए कोई दावा किया गया है तो आकस्मिक देयता के उद़ेश्य के लिए या प्रावधान के लिए विचार नहीं किया गया।

9. पुनर्बीमाः

9.1 जोखिम के आरंभ होने के वर्ष के दौरान ही जोखिम स्वीकारे (सौंपे) जाने पर पुनर्बीमा प्रीमियम की गणना कर ली गई। स्वीकार किए गए (सौंपे गए) प्रीमियम में तत्पश्चात यदि किसी प्रकार का संशोधन हो तो उस प्रकार के संशोधन के वर्ष से उसकी गणना की गई। पॉलिसियों को रद्द किए जाने पर पुनर्बीमा प्रीमियम का समायोजन की गणना उसे रद्द किए जानेवाले वर्ष से की गई है।

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS AND ACCOUNTING OF ESTIMATED RECOVERIES:

- 8.1 Reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised at the amount determined as payable in all claim cases under Medium & Long Term (MLT) covers/ policies and in case of processed claims under Short Term(ST) policies / covers. In case of claims yet to be processed under ST covers/policies, a provision will be made on the basis of estimates.
- 8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.
- 8.3 The estimated recoveries (other than transfer delay recoveries) in respect of claims paid are accounted for on the basis of assessment of each case. However, the recoveries in respect of claims paid and outstanding for recovery for more than three years as on the Balance Sheet date are estimated at ₹100/- (Rupees One Hundred only) even if higher recovery provision is estimated on such assessments. The estimated recoveries on account of transfer delay claims paid, is accounted on the basis of the Corporation's current perceptions based on the available information and past experience.
- 8.4 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:
 - (i) Claims rejected by the Corporation and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.
 - Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

9. REINSURANCE:

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

- 9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन की गणना सौंपे गए पुनर्बीमा की अवधि के लिए आय के रुप में किया गया है।
- 9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन लाभ कमीशन को, जहाँ भी लागू हो को, लाभों तथा जैसा भी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया हो, के अंतिम निर्धारण के वर्ष में गिना गया है।
- 9.4 पुनर्बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा व्यवस्था की शर्तों के अनुसार प्राप्त की गई / प्राप्ति योग्य राशियाँ को दावों की अभिस्वीकृति के साथ ही स्वीकार किया गया है।

10. प्रबंधन व्ययः

- 10.1 निगम के अन्य व्यवसाय से संबंधित सीधे व्यय को छोड़कर निगम दवारा वहन किए गए प्रबंधन के हर प्रकार के व्यय को बीमा कारोबार से संबंधित व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है और इसीलिए इसे राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निवेशों से संबंधित व्ययों को महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 10.2 में उल्लिखित अनुपात के अनुसार राजस्व तथा लाभ व हानि खाते में प्रभाजित किया गया है।
- 10.2 निवेश आय को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारक निधि एवं पॉलिसीधारक निधियों के अनुपात में लाभ हानि खाता एवं राजस्व खातों में विभाजित किया गया है। शेयर धारक निधियों में शेयर पूंजी, साधारण आरक्षितों एवं पूंजी आरक्षितों को शामिल किया गया है। पॉलिसीधारक निधियों में असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षितों, बकाया दावों के लिए आरक्षितों आदि को शामिल किया गया है।
- 10.3 छपाई और लेखन सामग्री की वस्तुओं को जिस वर्ष खरीदा जाता है उनके बारे में यह मान लिया जाता है कि उनका उपयोग कर लिया गया है।

11. कर्मचारी सुविधाएँः

- 11.1 निगम में उपदान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि सभी पात्र कर्मचारियों के लिए सुविधा योजना है। इस योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय अथवा उनकी सेवा समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन व निगम में उनकी सेवा अवधि के आधार पर एक मुश्त राशि अदा की जाती है। निगम बीमा कंपनी के रखरखाव वाली निधि में अपना अंशदान करता है । अंशदान की राशि वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 11.2 तुलन पत्र की तारीख को परियोजित इकाई ऋण पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन तथा बीमा कंपनी के पास शेष निधि के बीच की कमी की भरपाई के लिए प्रावधान किया गया है।
- 11.3 निगम की नीति के अनुसार निगम के कर्मचारी निबंधनों व शर्तों के

- 9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.
- 9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.
- 9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

- 10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Corporation, incurred by the Corporation are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.
- 10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Funds consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Funds consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims, etc.
 - ratio Funds year. Peneral Funds re for hed in
- 10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS:

- 11.1 The Corporation provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Corporation. The Corporation contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.
- 11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.
- 11.3 As per Corporation's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation / retirement subject to terms

अधीन अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में शेष छुटि्टयों का नकदीकरण करवाने के लिए पात्र हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में शेष छुट्टी का उपयोग करने के अनुमान के आधार पर अल्पावधि प्रतिपूरित अनुपस्थिति के लिए प्रावधान किया गया है। तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्धावधि प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान किया गया है।

- 11.4 भविष्य निधि परिभाषित सुविधा योजना है। निधि में किया जानेवाला निगम का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि के अर्जन विधि सम्मत निर्धारित न्यूनतम से कम हों तो निगम को उस कमी की भरपाई करनी होगी।
- 11.5 कर्मचारी भविष्य निधि सुविधाओं का लाभ एक निर्धारित सुविधा योजना के ज़रिए उठा सकते हैं जिसमें कर्मचारी योजना में कर्मचारी के मूलवेतन के 10% के हिसाब से अपना अंशदान करते हैं। निगम पात्र कर्मचारियों जिन्होंने पेंशन का विकल्प नहीं चुना है व जो दिनांक 31.03.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम की सेवाएँ ग्रहण की हैं। निगम ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की हे जिसमें प्रत्येक माह भविष्य निधि के लिए अंशदान किए जाते हैं। निगम अवधिक आधार पर किए जाने वाले इस प्रकार के अंशदानों पर अर्जन के दर की गारंटी देता है। निगम अर्जन में होने वाली कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई करेगा।
- 11.6 कर्मचारी निर्धारित सुविधा योजना के ज़रिए पेंशन सुविधाएँ पाने के लिए पात्र हैं जिसमें निगम कर्मचारी के मूलवेतन के 10% के हिसाब से अपना अंशदान देगा। कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 31/03/2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में सेवा ग्रहण की है और पेंशन सुविधा का विकल्प चुना है, वे पेंशन योजना के अंतर्गत रक्षित है। निगम ने पेंशन फ़ंड ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें पेंशन निधि में किए जानेवाले अंशदान को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। निगम अर्जनों में होनेवाली किसी भी प्रकार की कमी यदि कोई हो तो, की भरपाई करेगा जिसका प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की गई है।
- 11.7 दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद निगम में नियुक्त कर्मचारी परिभाषित अंशवान योजना नई पेंशन योजना के सदस्य होने के पात्र होंगे। इस योजना में कर्मचारियों द्वारा अपने मूल वेतन और मंहगाई भत्ता के @10% की दर से मासिक अंशवान दिया जाएगा। पात्र कर्मचारियों के बारे में इसी के बराबर निगम अंशवान करेगा। निगम का अंशवान वास्तविक आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाएगा।

and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

- 11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Corporation's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Corporation will have to fund the shortfall.
- 11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Corporation has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Corporation will meet the shortfall in the return, if any.
- 11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Corporation contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Corporation has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.
- 11.7 Those employees who have joined the Corporation on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Corporation's contribution's are charged to the Revenue Account on an accrual basis

- 11.8 सभी दीर्घावधिक लाभ उपचयित आधार पर लिए गए हैं।
- 11.9 कर्मियों की सुविधा पर उपचयित लाभ / हानि तत्काल राजस्व खाते में लिए गए हैं।

12. आय करः

- 12.1 आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार : कर कानूनों के अनुसार न्यूनतम विकल्प कर का भुगतान किया गया है जो भावी आयकर देयता पर कर क्रेडिट के रूप में भावी आर्थिक लाभ को बढ़ा देता है, को तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है यदि वहाँ ठोस सबूत है कि निगम भावी वर्षों में सामान्य कर अदा करेगा और जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति को विश्वास से मापा जा सकता है, को चालू लेखा अवधि के लिए गणना किए गए कर योग्य लाभ के आधार पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।
- 12.2 प्रावधान तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित कर दरों तथा कानून के आधार पर आस्थगित कर की गणना की गई है और एक अवधि में उत्पन्न समय अंतर को पहचाना गया है तथा तत्पश्चात एक अथवा अधिक अवधियों के लिए उसे पलटा जा सकता है। जहाँ कहीं भी आगे लाए गए अनवशोषित कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास है, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तब ही निर्धारित किया गया है जब ऐसी परिसंपत्तियों को केवल तब ही निर्धारित किया गया है जब ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली की निश्चितता का पूर्वाभास हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण केवल तभी किया जाता है जब भविष्य में उनकी उगाही की समुचित निश्चितता हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँः

- 13.1 प्रावधान का निर्धारण तब किया जाता है जब पिछली घटना के परिणाम के रूप में किसी उद्यम को वर्तमान में दायित्वों का निपटान करना होता है और यह संभव है कि दायित्वों के निर्वाह में स्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। प्रावधान उसके वर्तमान मूल्य पर नहीं भुनाए जाते तथा उनका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के वर्तमान अनुमानों को परिलक्षित करने हेतु समायोजित किया गया है।
- 13.2 आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब निगम की देयता संभावित या वर्तमान देयता हो और इस बात की संभावना हो कि दायित्वों के निपटान हेतु नकद बहिर्गमन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसम्पत्तियों का न तो निर्धारण किया गया न ही उनकी घोषणा की गई है।

- 11.8 All other Long Term Benefits are provided for on actuarial basis.
- 11.9 The actuarial gains / losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX:

- 12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Corporation will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.
- 12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS:

- 13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.
- 13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Corporation has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.
- 13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. <u>फ</u>ैक्टरिंगः

- 14.1 फ़ैक्टरिंग सेवा प्रभारों में ब्याज को जब भी वह उपचयित होता है तब ही उसकी गणना की जाती है।
- 14.2 फ़ैक्टर किए गए उधारों को विविध देनदारों के रुप में चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष में शामिल किया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर सक्रिय तथा निष्क्रिय परिसम्पत्तियों के रुप में विभक्त किया गया है। आई आर डी ए द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के मानदंड़ों के आधार पर सक्रिय देनदारों को मानक परिसम्पत्ति तथा निष्क्रिय देनदारों को उप मानक, संदिग्ध तथा हानि रुपी परिसम्पत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
- 14.3 फ़ैक्टर किए गए उधारों के मूल्य के तथा वसूली पर ग्राहकों को देय अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है व उन्हें फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते के रुप में दर्शाया गया है।
- 14.4 मुद्रागत परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के निपटान / लेनदेन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण उत्पच्च लाभ तथा हानि की वसूली ग्राहकों से की गई है।
- 14.5 उधारों की फ़ैक्टरिंग के लिए प्रावधान समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए के मानदंड़ों के अनुसार ही किया गया है। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसम्पत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। एन पी ए के लिए विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही प्रावधान किए गए हैं जो कि निम्नानुसार आई आर डी ए द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

उप मानक परिसम्पत्ति	1. 10% का सामान्य प्रावधान	
	2. आरंभ से ही अरक्षित अपावरण	
	के लिए 10% का अतिरिक्त	
	प्रावधान (जहाँ वसूली योग्य	
	प्रतिभूति आरंभिक 10% से	
	अधिक न हो)	
संदिग्ध परिसम्पत्ति -		
रक्षित भाग	1. एक वर्ष तक - 20%	
	2. एक से तीन वर्ष तक - 30%	
	3. तीन से अधिक वर्षों तक - 100%	
अरक्षित भाग	100%	
हानि युक्त परिसम्पत्ति	100%	

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता :

सम्पूर्ण रक्षा की अवधि के दौरान एन ई आई ए से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को समान रुप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा लेनदेन

16.1 आरंभिक निर्धारण : लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा व विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा दर को लागू करते

14. FACTORING:

- 14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.
- 14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, non-performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA
- 14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.
- 14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients
- 14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA :

Sub-standard	i.	A general provision of 10%
Assets:	ii.	Additional provision of 10%
		for exposures which are
		unsecured ab-initio (where
		realisable value of security is
		not more than 10% ab-initio)
Doubtful Assets:		
- Secured portion:	i. Upto one year - 20%	
	ii.	One to three years - 30%
	iii.	More than three years - 100%
- Unsecured portion:	1009	%
Loss Assets:	1009	%

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS:

16.1 Initial Recognition - Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the

हुए विदेशी मुद्रा लेनदेनों को रिपोर्टिंग मुद्रा में रिकॉर्ड किया गया है।

- 16.2 परिवर्तन : अंतिम दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को रिपोर्ट किया जाता है। गैर मुद्रागत वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में परंपरागत लागत के रुप में होती है को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।
- 16.3 विनिमय अंतर : मुद्रागत वस्तुओं के परिवर्तन अथवा निपटान के समय उत्पच्च विनिमय अंतर को उस अवधि में आय अथवा व्यय के रुप में गिना गया है जिस अवधि के दौरान वे उत्पच्च हुए हैं तथा उन्हें राजस्व खाते में डाला गया है।

foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

- 16.2 Conversion Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- 16.3 Exchange Differences Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

अनुसूची - 17

लेखे के भाग के रूप में व उससे संलग्न टिप्पणियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरण की तैयारी) विनियमन, 2002 व कंपनी अधिनियम 1956 के अन्य लागू प्रावधानों तथा बीमा अधिनियम 1938 तथा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिसूचित व लागू योग्य सीमा तक) के प्रावधानों के अनुसरण में बीमा विनियम एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा निगम को प्रदान की गई अनुमति के अनुसरण में सह वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2. स्वीकृत राशि की वसूली क्षमता :

प्रबंधन के विचार से कारोबार की सामान्य स्थिति में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों की मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होता है जितना उन्होंने तुलन पत्र तथा सभी ज्ञात व संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान में बताया गया है।

3. अचल परिसंपत्तियाँ :

- 3.1 "भवन" के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों में ₹6,50.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹6,50.76 हज़ार) मूल्य की कुछ संपत्ति शामिल है जहाँ पंजीकरण की औपचारिकताएँ लंबित है। आगे ₹5,76,51.06 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,75,11.06 हज़ार) की संपत्ति जिसके करार लापता हो गए हैं / वर्तमान में जिसके करार निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि निगम के पास इन संपत्तियों से संबंधित को ऑपरेटिव संस्थानों से प्राप्त शेयर प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- 3.2 स्थिर सम्पत्तियों के अधीन "अमूर्त परिसम्पत्तियों" में खरीदे गए बे मियादी सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए लाईसेंस शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस प्रकार के लाईसेंसों की खरीद के लिए कुल ₹1,62.20 हजार (पिछले वर्ष कुछ नहीं) पूंजीकरण किया गया। आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार इस प्रकार के लाईसेंसों का स्वामित्व लाईसेंसों के लिए पूर्ण अदायगी कर दिए जाने के पश्चात कंपनी के नाम हो जाएगा। हालांकि निगम ने इस प्रकार के लाईसेंसों का खार्नसेंसों का 'उपयोग'' आरंभ कर दिया है, इस प्रकार के लाईसेंसों के कुल मूल्य को अमूर्त शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है तथा वह पाँच (5) वर्षों के पश्चात परिशोधित किया जाएगा।

4. अनर्जन

 दिनांक 31/03/2014 तक शेष अनर्जक हानि ₹2.22 हजार है (पिछले वर्ष ₹2.22 हजार)।

SCHEDULE - 17

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002: Companies Act, 1956 and the provisions of Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable) and the Insurance Act, 1938.

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. FIXED ASSETS:

- 3.1 "Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹6,50.76 thousands (previous year ₹6,50.76 thousands) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹5,76,51.06 thousands (previous year ₹5,76,51.06 thousands) where stamped agreements are lost / presently not available with the Corporation. However, the Corporation is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.
- 3.2 "Intangibles" under Fixed Assets include perpetual licences purchased for use of software. Amount capitalised during the year in relation to acquisition of such licenses is ₹1,62.20 thousands (previous year ₹ NIL). As per the terms of agreement with the supplier, the ownership of such licences would pass to the Corporation on payment for such licences. Since the Corporation has "put to use" such licenses, the total value of such licenses has been capitalised under the head "Intangibles" and the same would be amortised over a period of five (5) years from the date the asset is first put to use.

4. IMPAIRMENT

- The balance of impairment loss as on 31/03/2014 is
 ₹2.22 thousands (previous year ₹2.22 thousands)
- On sale of the impaired assets, the Corporation has reversed Impairment loss of ₹ NIL (previous year ₹36.95 thousands).

 ii. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की बिक्री पर निगम को कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹36.95 हजार) की विपर्यस्त अनर्जक हानि हुई।
 प्रबंधन की दृष्टि में अनर्जन की हानि के लिए आगे प्रावधान आवश्यक नहीं है।

5. अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ

- 5.1 अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित शामिल है :
 - (क) निगम द्वारा अदा किए गए / देय दावों से ₹7,39,45.69 हज़ार (पिछले वर्ष ₹15,62,79.34 हज़ार) (पुनर्बीमा को घटाकर) की अनुमानित वसूली का अनुमान किया जा रहा है जिसका निर्धारण कंपनी द्वारा इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा प्रथा के अनुसार प्रत्येक मूल्यांकन / अनुमान के आधार पर किया गया है।
 - (ख) न्यायालय के आदेश पर निगम के खिलाफ दायर दावों के मामलों के जिनपर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, के लिए ₹1,16,04.73 हज़ार (पिछले वर्ष ₹1,16,04.73 हज़ार) की राशि को जमा कर दिया गया है। जिसे विविध वस्तु जमाओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 5.2 कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गई है। यदि कोई समायोजन आवश्यक है उसे अंतिम निपटान के समय किया जाता है।
- 5.3 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के प्रावधानों की शर्तों में जमाओं को ₹10,00,00 हज़ार के अंकित मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को [लागत व अंकित मूल्य ₹9,95,25 हज़ार) (पिछले वर्ष ₹9,95,25 हज़ार)] जिसे केनरा बैंक के ग्राहक सहायक सामान्य बही खाते (कॉन्स्टीट्यूयेंट सबसाईडरी जनरल लेजर अकाउंट) (सी एस जी एल) में रखा गया है। इन जमाओं को उनकी परिपक्वता अवधि तक रखे जाने का आशय है अतः बाजार मूल्य में ढ्रास हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. चालू देयताएँ :

- 6.1 चालू देयताओं में, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा रेटिंग के लिए लंबित, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31.03.2014 को निगम की अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि (पी एल एल आई) के लिए ₹1,74,80 हज़ार (पिछले वर्ष ₹78.30 हज़ार) की गणना की गई है, अंतिम रेटिंग की जानकारी मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।
- 6.2 निगम ने उद्योगवार कार्यप्रणाली के आधार पर वेतन संशोधन हेतु अपने कर्मचारियों के लिए ₹8,13,70 हजार का प्रावधान किया है, जो कि वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित होने पर कर्मचारियों को देय होगा।
- 6.3 निगम द्वारा अपनाई गई लेखा प्रथानुसार, अधिमानित दावों व बकायों की देयता के लिए वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के

In the opinion of the management, no further provision for impairment loss is considered necessary.

5. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

- 5.1 Advances and other assets include:
 - ₹7,39,45.69 thousands (previous year ₹15,62,79.34 thousands) (net of re-insurance) being the estimated amount of recovery expected out of the claims paid / payable by the Corporation, which has been recognized on individual assessment/estimate basis as per the accounting practice followed by the Corporation.
 - An amount of ₹1,16,04.73 thousands (previous year ₹1,16,04.73 thousands) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Corporation and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.
- 5.2 Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.
- 5.3 Deposit in terms of the provisions of Section 7 of the Insurance Act, 1938 invested in the Government Securities of face value ₹10,00,00 thousands, [Cost & Book value ₹9,95,25 thousands (previous year ₹9,95,25 thousands)] are kept in Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) Account with Canara Bank. These deposits are intended to be held till maturity and therefore no provision for diminution in the market value, if any, is considered.

6. CURRENT LIABILITIES:

- 6.1 Current Liabilities include ₹1,74,80 thousands (previous year ₹78,30 thousands) towards Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Corporation as on 31st March, 2014 under the annual Memorandum of Understanding (MoU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.
- 6.2 The Corporation has made a provision of ₹8,13,70 thousands towards wage revision due to its employees on the basis of industry wide practice, which will be payable to the employees upon approval from Ministry of Commerce, Government of India.
- 6.3 As per the Accounting practice followed by the Corporation, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of

आधार पर इस प्रकार के दावों पर व्यक्तिगत दावों, देयताओं का निर्धारण कर उनके मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के विचार से इसका यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो उस पर वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए व पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन इ आर) दावों के समग्र प्रावधान तथा अशोधित हानियों जिसकी गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बकाया हानि के मूल्यांकन के समय विचार किया जाएगा। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए दावों (आई बी एन आर व आई बी एन इ आर) के लिए अनुमानित देयता को निर्धारित करते हुए ₹2150,00,00 हज़ार की राशि (पिछले वर्ष ₹1700,00,00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है।

7. पुनर्बीमा

निगम ने वर्ष के दौरान कुल अध्यपर्ण में आई आर डी ए दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यक बाध्यकारक अध्यपर्ण के अधीन निगम के संपूर्ण कारोबार के 5% (पिछले वर्ष 10%) (अल्पावधि, मध्यावधि व दीर्घावधि के कारोबार) को भारतीय साधारण बीमा निगम को सौंप दिया है। भारतीय साधारण बीमा निगम, स्विस रे (एस आर), ज्यूरिक एवं एशिया केपीटल रिइंश्योरेंस ग्रुप (ए सी आर), सिंगापुर के साथ कोटा शेयर अध्यपर्ण 15% (पिछले वर्ष 12%) किया है। निगम ने अतिरिक्त हानि (एक्स ओ एल) जी.आई. सी, एस आर एवं ए सी आर के साथ अल्पावधि कारोबार कवर के लिए संधि अध्यपर्ण को दर्ज किया है।

पहले के वर्षों के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्न रूप से था :

	कोटा	शेयर	एक्स ओ एल
वित्तीय वर्ष	बाध्यकारक	संधि (अल्पावधि)	(अल्पावधि)
2007-08	15%	20%	एक्स ओ एल
(केवल अल्पावधि)			उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल
			उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल
			उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	एक्स ओ एल
			उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल
			उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्स ओ एल
			उपलब्ध

वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण करार (ए आर टी)

निगम ने भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ कोटा शेयर के आधार पर मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) रक्षाओं के अंतर्गत कुछ उच्च मूल्य के अपावरणों हेतु जोखिम सहभागिता व्यवस्था की है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल individual claims, liabilities towards such claims has been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹2150,00,00 thousands (previous year ₹1700,00,00 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

7 REINSURANCE

The Corporation has ceded obligatory cession of 5% (previous year 10%) of the entire business of the Corporation (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDA guidelines to General Insurance Corporation of India. Quota share cession is 15% (previous year 12%) with General Insurance Corporation of India (GIC), Swiss Re (SR), Zurich and Asia Capital Reinsurance Group (ACR), Singapore. The Corporation has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for Short Terms (ST) covers with GIC, SR and ACR.

The re-insurance programme for the earlier years was as under:

Financial	Quot	a Share	XOL (ST)
Year	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	Nil	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available

8. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The Corporation has risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with NEIA Trust set up by Government of India on quota share basis. The total premium amortised for FY 2013-14 is ₹11,00.50 thousands (previous year ₹1,20,66.17 thousands). The Corporation has obtained guarantee from NEIA Trust for 2 MLT covers on payment

8

परिशोधित प्रीमियम ₹11,00.50 हजार (पिछले वर्ष ₹1,20,66.17 हजार) है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निगम ने 2 एम एल टी रक्षाओं हेतु शुल्क का भुगतान कर एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने एन ई आई ए ट्रस्ट को ₹16,43.80 हजार (पिछले वर्ष ₹1,03,68.55 हजार) के गारंटी शुल्क का भुगतान किया है।

9. फ़ैक्टरिंग

निगम ने आई आर डी ए के मानदंडों का पालन करते हुए उपमानक आस्तियों के लिए कुछ नहीं (पिछल वर्ष कुछ नहीं) तथा संदिग्ध फैक्टरिंग आस्तियों के लिए ₹7,04,26.80 हजार (पिछले वर्ष ₹7,04,26.80 हजार) का प्रावधान किया है।

10. एन ई आई ए ट्रस्ट

एन ई आई ए ट्रस्ट से निगम को प्राप्त प्रशासनिक शुल्क ₹60,26.52 हजार (पिछले वर्ष ₹1,14,29.63 हजार) को अन्य आय में शामिल किया गया है। अग्रिम में प्राप्त प्रशासनिक शुल्क ₹2,33,61.26 हजार (पिछले वर्ष ₹2,77,42.75 हजार) को चालू देयताओं-अन्य-एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

11. प्रीमियम आयः

प्रीमियम आय की गणना जोखिम के पूर्वानुमान से की गई है। निगम द्वारा किए गए पोतलदानों / मंजूर अग्रिमों से संबंधित उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर माह मार्च 2014 में ₹58,44,42.37 हजार की प्रीमियम आय का अनुमान लगाया था एवं तदनुरूप मार्च 2013 में यह आंकड़े ₹58,54,74.62 हजार थे। आई आर डी ए द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2014 को जारी पत्र क्रं. एफ.एन.ए/जीईसी/एल. आर/001/2013-14/12 के तहत प्रीमियम गणनी की पति का निगम द्वारा आरंभ से ही निरंतर पालन किया जा रहा है।

निगम ने उन पॉलिसी धारकों के दावों को निरस्त कर दिया 12 (क) है जिनके विरुध्द पॉलिसी धारकों (पॉ.धा.) ने संविदा के निष्पादन के लिए निगम के विरूध्द याचिका दायर की है और 31/03/2014 तक मामला न्यायाधीन है। अनुसूची-13 के अंतर्गत अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम- वर्तमान देयताओं में शामिल ₹2,32,44.55 हजार की प्रीमियम राशि को समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि पॉलिसी धारकों से घोषणा प्राप्त नहीं हुई है। निगम द्वारा जारी पॉलिसी की अवधि 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो चुकी है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉ.धा. निगम को ₹2,40,00 हजार न्यूनतम प्रीमियम देने के लिए प्रतिबध्द था तथा शेष का उपयोग न किए जाने की दशा में उसे लौटाना होगा। चूंकि, पॉलिसी के दस्तावेज रिफंड या प्रीमियम के समायोजन का विकल्प प्रदान करते हैं और मामला न्यायाधीन है अतः संपूर्ण राशि ₹2,32,44.55 हजार (न्यूनतम प्रीमियम से of a fee for FY 2013-14. During the current FY, the Corporation paid guarantee fees of ₹16,43.80 thousands (previous year ₹1,03,68.55 thousands) to NEIA Trust.

9. FACTORING

The Corporation has made a provision of ₹ NIL (previous year ₹ NIL) on account of sub-standard assets and ₹7,04,26.80 thousands (previous year ₹7,04,26.80 thousands) on account of doubtful assets factoring dues in line with the IRDA norms.

10. NEIA TRUST

The administrative charges received by the Corporation from NEIA Trust of ₹60,26.52 thousands (previous year ₹1,14,29.63 thousands) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹2,33,61.26 thousands (previous year ₹2,77,42.75 thousands), are included in Current Liabilities - Others - NEIA Trust.

11. PREMIUM INCOME

12

Premium income is recognised on assumption of risk. The Corporation has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March, 2014 at ₹58,44,42.37 thousands and the corresponding figure for March, 2013 at ₹58,54,74.62 thousands. IRDA vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Corporation since inception.

The Corporation has rejected the claim of a Policy (a) holder against which the Policy holder (PH) has filed a suit against the Corporation for performance of the contract and as on 31/03/2014 the matter is sub-judice. Premium received in advance under Schedule 13 - Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Corporation has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH had committed ₹2,40,00 thousands as the minimum premium to the Corporation and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousands (including amount of ₹30,00 thousands being over and above the minimum

अधिक या ऊपर राशि ₹30,00 हजार सहित) को विविध लेनदार- अनुसूची 13 के अंतर्गत परिलक्षित किया गया है।

(ख) आगे, बैंकों द्वारा निर्यातक - उधारकर्ता को दी गई गारंटियों के मामलों में निगम द्वारा विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली विस्तार सुरक्षा हेतु विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम ₹3,42,64.07 हजार की राशि को 'विविध लेनदार' 'अनुसूची 13 - चालू देयताओं' में शामिल किया गया है। निगम ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है एवं सुरक्षा के विस्तार में अपनी असमर्थता के बारे में बैंकों को सूचित कर दिया गया। निगम द्वारा उक्त प्रीमियम राशि को बैंकरों को वापस किया गया, उन्होंने इस धन वापसी को स्वीकार नहीं किया है। तद्नुसार निगम यह यह राशि 'विविध लेनदारों' के मद में परिलक्षित की गई है।

13. लंदन, यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) में प्रतिनिधि कार्यालय :-

- 13.1 निगम ने आई आर डी ए के पत्र क्र. आई आर डी ए/एन एल/ ईसीजीसी-एल ओ-यू के / 12-13 दिनांक 4 मार्च 2013 के तहत स्वीकृत मंजूरी के अनुसार सितंबर 2013 में संपर्क कार्य हेतु लंदन, यू.के में प्रतिनिधि कार्यालय खोला है।
- 13.2 कार्यालय के व्यय एवं परिसंपत्तियों को प्रधान कार्यालय (प्र.का) के बहीखातों में दर्ज किया गया है।
- 13.3 प्रका द्वारा निधि अग्रेषित करने से संबंधित विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं वास्तविक व्यय लेन- देन के दिनांक को परिवर्तित प्रचलित विनिमय दरों पर होता है। परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में प्रका के बही खातों में दर्ज किया गया है ।
- 13.4 प्रतिनिधि कार्यालय में स्थित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को प्रका के बही खातों में दर्ज किया गया है।
- 14. शेष, विविध लेनदार, विविध देनदार तथा जमा, अन्य देयताएँ, ऋण, अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ जिसके अंतर्गत वसूलीयोग्य राशि, बीमाकृत शेषों की व्यक्तिगत खाता बहियाँ, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाता सहित विविध जमा शामिल हैं, पुष्टिकरण, मिलान व परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो के अधीन हैं।
- 15. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441ए के प्रावधानों के अनुसरण में, निगम ने ₹6,51.86 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,78.62 हज़ार) की राशि केंद्र सरकार को देय कर के रूप में अदा की। उसका वास्तविक भुगतान ऐसे भुगतान के लिए संबद्ध नियमों की घोषणा के बाद किया जाएगा।
- 16. निगम द्वारा अपनाई गई मानक प्रथा के अनुसार निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा जिसमें निदेशक मंडल भी शामिल है, अधिमानित दावे में विभिन्न चूकों की माफी के विवेकाधिकार का

premium) is shown under the head Sundry Creditors - Schedule 13.

(b) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 -Current Liabilities' includes an amount of ₹3,42,64.07 thousands on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Corporation to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter borrower. The Corporation has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Corporation has refunded the said premium amount to the bankers who have not accepted the refund. Accordingly, the Corporation has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

13. REPRESENTATIVE OFFICE AT LONDON, UNITED KINGDOM (UK):

- 13.1 The Corporation has opened a Representative Office at London, UK in September, 2013 for liasoning work as per permission granted vide IRDA Letter No. IRDA/NL/ECGC-LO-UK/12-13 dated 4th March, 2013.
- 13.2 The expenses and assets of the office are recorded in Head Office (HO) books.
- 13.3 Foreign exchange transactions relating to remittances of funds from HO and actual expenses are converted at the exchange rates prevailing as on the date of transaction. The resultant foreign exchange gain/loss is booked at the end of each month in HO books.
- 13.4 Depreciation has been provided in HO books on the assets located at Representative Office.
- 14. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including Amount Recoverable, Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium accounts, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.
- 15. Pursuant to the provisions of Section 441A of the Companies Act, 1956, the Corporation has provided an amount of ₹6,51.86 thousands (previous year ₹5,78.62 thousands) towards cess payable to the Central Government. The actual payment thereof shall be made once the relevant rules for such payment are announced.
- 16. As per Standard practice followed by the Corporation, claims are settled by the various officials of the Corporation including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred.

उपयोग कर दावे निपटाए जाते हैं। ये सभी निपटाए गए दावे कंपनी के कारोबार के सामान्य तरीके से निपटाए गए माने गए।

- 17. निगम डेटा के प्रवाह के संबंध में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को व्यवस्थित करने की कार्रवाही कर रहा है ताकि कारोबार अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हो सके।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के वेतन एवं भत्ते नीचे दिए गए अनुसार हैः

श्री एन.शंकर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

		(< 000)
विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं भत्ते	26,92.67	21,48.55

19. पूर्वावधि के समायोजन में शामिल :

नामेः		(₹ '000)
विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	4,94.90	12,11.85
यात्रा व्यय	-	8.61
अन्य	9,89.02	1,18.37
ऋण पर ब्याज	8.38	-
मूल्यह्रास	-	70.92
किराया	-	51.10
वेतन- भत्ते	5.58	-
इलेक्ट्रिसिटी	16.99	4.14
कुल	15,14.87	14,64.99

जमा :		(₹ '000)
विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य	1,56.11	-
इलेक्ट्रिसिटी	-	33.91
कुल	1,56.11	33.91
शुद्ध नामे / (जमा) पूर्व अवधि समायोजन	13,58.76	14,31.08

20. विदेशी मुद्रा में अर्जन व व्यय :

		(< 000)
अर्जन	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किए गए दावे	11,19,78.80	9,61,70.45

All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Corporation.

- 17. The Corporation is in the process of streamlining the Information Technology System regarding the flow of data so that precise data is available for business applications.
- 18. The salary and allowance of Chairman-cum-Managing Director is as under:

Shri N. Shankar

 $(= (\circ \circ \circ)$

 $(\mp i \circ \circ \circ)$

Chairman-cum-Managing Director

		((000)
Particulars	Current Year	Previous Year
Salary and allowances	26,92.67	21,48.55

19. Prior Period Adjustments include:

Debits:		(₹'000)
Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	4,94.90	12,11.85
Travel exp	-	8.61
Others	9,89.02	1,18.37
Interest on Loan	8.38	-
Depreciation	-	70.92
Rent	-	51.10
Salary Allowances	5.58	-
Electricity	16.99	4.14
Total	15,14.87	14,64.99

Credits:		(₹'000)
Particulars	Current Year	Previous Year
Others	1,56.11	-
Electricity	-	33.91
Total	1,56.11	33.91
Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	13,58.76	14,31.08

20. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

₹	'000
	000

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	11,19,78.80	9,61,70.45

(₹ '000)

		(₹ '000)
व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क और अन्य	74,78.16	19,63.12
व्यय		
यात्रा व्यय	30,46.01	26,10.26
हैसियत जाँच शुल्क	1,63,41.73	1,90,65.02
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	3,43.45	3,91.87
फैक्टरिंग सेवा प्रभार	-	-
पुनर्बीमा	44,40,03.72	18,43.24
लंदन, यूके में प्रतिनिधि	78,38.80	-
कार्यालय		
कुल	47,90,51.87	2,58,73.51

 खंडीय रिपोर्ट, संलग्न अनुबंध - 1 में उल्लिखित है - इसके साथ संलग्न।

22. संबंधित पार्टी प्रकटन, लेखा मानक संख्या 18 के अनुसार है।

- क. मुख्य प्रबंधन कर्मी ः
 - i) श्री एन.शंकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- ख. निगम की संबंधित पार्टियाँ :
 - i) सहयोगी
 - क) एन ई आई ए ट्रस्ट
 - ii) इकाईयाँ जिन पर नियंत्रण चलता है
 - क) ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड
- ग. प्रमुख प्रबंधन कर्मी को अदा की गईं परिलब्धियाँ :

श्री एन.शंकर,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(₹ '000

विवरण *	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं भत्ते	26,92.67	21,48.55

घ. संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन

				(₹ '000)
क्र. सं.	लेनदेन की प्रकृति	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट	ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड	कुल
1	वर्ष के लिए प्राप्त	60,26.52	-	60,26.52
	प्रशासनिक शुल्क	(1,14,29.63)	(-)	(1,14,29.63)
2	अग्रिम रुप में प्राप्त	2,33,61.26	-	2,33,61.26
	प्रशासनिक शुल्क	(2,77,42.75)	(-)	(2,77,42.75)

		((000)
Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	74,78.16	19,63.12
Travelling expenses	30,46.01	26,10.26
Status Enquiry Fees	1,63,41.73	1,90,65.02
Books and periodicals	3,43.45	3,91.87
Factoring Service Charges	-	-
Re-insurance	44,40,03.72	18,43.24
Representative Office at London, UK	78,38.80	-
Total	47,90,51.87	2,58,73.51

- 21. Segmental Reporting is given in Annexure 1 attached.
- 22. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard no. 18:
 - a. Key Management Personnel:
 - i) Shri N. Shankar Chairman-cum-Managing Director
 - b. Corporation's related parties:
 - i) Associates
 - a) NEIA Trust
 - ii) Entities over which control exists
 - a) The ECGC Employees Pension Fund
 - c. Remuneration paid to Key Management Personnel:

Shri N. Shankar

Chairman-cum-Managing Director

(₹	(000)
1	000)

 $(\pm (a a a))$

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Salary and allowances	26,92.67	21,48.55

d. Transactions during the year with related parties:

				(₹ 1000)
Sr. No.	Nature of Transactions	NEIA Trust	The ECGC Employees' Pension Fund	Total
1	Administrative Charges Received for the Year	60,26.52 (1,14,29.63)	- (-)	60,26.52 (1,14,29.63)
2	Administrative Charges received in advance	2,33,61.26 (2,77,42.75)	(-)	2,33,61.26 (2,77,42.75)

				(₹ '000)
क्र. सं.	लेनदेन की प्रकृति	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट	ई सी जी सी कर्मचारी पेंशन फ़ंड	कुल
3	प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत अदा किए गए दावों के कारण वसूली	- (-)	- (-)	- (-)
4	एनईआईए ट्रस्ट को पुनर्बीमा प्रीमियम सौंपा	11,00.50 (1,20,66.17)	- (-)	11,00.50 (1,20,66.17)
5	वर्ष के अंत तक बकाया देय राशियाँ	42,88.07 (2,59,35.73)	- (-)	42,88.07 (2,59,35.73)
6	कर्मचारी के हिस्से का अंशदान	- (-)	25,74,86.72 (22,64,35.26)	25,74,86.72 (22,64,35.26)
7	गारंटी फीस का भुगतान	16,43.80 (1,03,68.55)	- (-)	16,43.80 (1,03,68.55)

नोट : कोष्टक में दर्शाए गए अंक पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।

23. आस्थगित कर लेखा

वर्ष के दौरान निगम लेखा मानक 22 के अनुसरण में आस्थगित कर के लिए उत्तरदायी है। जिसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान शुद्ध आस्थगित कर ₹2,94,17.82 हज़ार (पिछले वर्ष ₹13,63,75.94 हज़ार लाख डेबिट) जमा किया गया है। वर्ष के अंत तक शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹9,66,82.78 हज़ार (पिछले वर्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹9,66,82.78 हज़ार (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता ₹6,72,67.96 हज़ार) थी। आस्थगित परिसंपत्तियों व आस्थगित कर देयताओं का विवरण निम्न अनुसार है:

			(₹ ′000)
विवरण	1.4.2013 को	वर्ष के दौरान	31.3.2014
וממלט	प्रारंभिक शेष	प्रभारित/जमा	को अंत शेष
देयता			
मूल्यह्रास	4,28,41.83	7,44.22	4,35,86.05
कुल	4,28,41.83	7,44.22	4,35,86.05
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान	7,31,78.99	2,56,12.87	9,87,91.86
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	2,61,34.18	12,40.79	2,73,74.97
उपदान के लिए प्रावधान	61,57.00	(1,448.13)	4,708.87
पी एल एल आई	25,40.44	34,01.01	59,41.45
दीर्घावधिक सेवा देयता	13,85.13	(15,43.07)	(1,57.94)
कंपनी अधिनियम की 441 ए धारा के अंतर्गत उपकर	7,14.05	4,03.76	11,17.81
प्रीमियम कमी के लिए प्रावधान	-	-	-
वेतन संशोधन (पी.एफ. एवं छुट्टी के बदले नकद भुगतान)	-	24,91.81	24,91.81
कुल	11,01,09.79	3,01,59.04	14,02,68.83
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयता)	6,72,67.96	2,94,14.82	9,66,82.78

				(₹ '000)
Sr. No.	Nature of Transactions	NEIA Trust	The ECGC Employees' Pension Fund	Total
3	Recovery made on a/c of claims paid under stimulus package	(-)	- (-)	- (-)
4	Reinsurance premium ceded to NEIA Trust	11,00.50 (1,20,66.17)	(-)	11,00.50 (1,20,66.17)
5	Outstanding Dues as at year end - Debit Balance	42,88.07 (2,59,35.73)	(-)	42,88.07 (2,59,35.73)
6	Contribution of Employer's share	- (-)	25,74,86.72 (22,64,35.26)	25,74,86.72 (22,64,35.26)
7	Guarantee Fees paid	16,43.80 (1,03,68.55)	- (-)	16,43.80 (1,03,68.55)

Note: Figures in bracket represents previous year's amount.

23. DEFERRED TAX ACCOUNTING

During the year the Corporation has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax credit during the year amounting to ₹2,94,14.82 thousands (previous year debit ₹13,63,75.94 thousands). The Net Deferred Tax Asset at the end of the year amounts to ₹9,66,82.78 thousands (previous year Deferred Tax Asset ₹6,72,67.96 thousands). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

			(₹'000)
Particulars	Opening at	Charge/Credit	Closing at
Particulars	01/04/2013	during the year	31/03/2014
Liability			
Depreciation	4,28,41.83	7,44.22	4,35,86.05
Total	4,28,41.83	7,44.22	4,35,86.05
Assets			
Provision for leave	7,31,78.99	2,56,12.87	9,87,91.86
encashment			
Provision for doubtful	2,61,34.18	12,40.79	2,73,74.97
debts			
Provision for gratuity	61,57.00	(1,448.13)	4,708.87
PLLI	25,40.44	34,01.01	59,41.45
Long Service liability	13,85.13	(15,43.07)	(1,57.94)
Cess u/s. 441A of	7,14.05	4,03.76	11,17.81
Companies Act			
Provision for	-	-	-
Premium Deficiency			
Wage Revision (PF &	-	24,91.81	24,91.81
leave encashment)			
Total	11,01,09.79	3,01,59.04	14,02,68.83
Deferred Tax Asset/	6,72,67.96	2,94,14.82	9,66,82.78
(Liability)			

24. प्रति शेयर अर्जनों की गणना निम्न के अनुसार है :

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क)	अंश :	360,69,60.63	24,27,879.83
	लाभ व हानि खाते के अनुसार		
	शुद्ध लाभ (₹ '000 में)		
ख)	हर :	103,86,30.13	93,89,04.11
	वर्ष के दौरान भारित औसत		
	बकाया शेयरों की संख्या		
ग)	प्रति शेयर अर्जन ः मूल (₹)	34.73	25.86
घ)	शेयरों का सांकेतिक मूल्य (₹)	100	100

निगम की शेयरों को कम करने की कोई भी संभावना नहीं है। परिणाम स्वरुप निगम की आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के फ़लस्वरुप हुए अर्जन एक समान हैं।

25. आकस्मिक देयताएँ

			(₹ '000)
क्र.सं	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से अदा किया गया निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसी से संबंधित दावों को छोड़कर अन्य जिसे निगम द्वारा ऋण के रूप में नहीं माना गया	4,73.32	6,71.73
3.	निगम के विरुद्ध पॉलिसी व ई सी आई बी से संबंधित दावे जिन्हें निगम द्वारा ऋणों के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	1129,42.78	1054,35,01.47
4.	निगम द्वारा दी गई अथवा उसकी ओर से दी गई गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	201,75.55	206,91.32
6.	आयकर	383,75,94.39	212,65,87.70

26. आई आर डी ए द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसरण में दिनांक 31.03.2013 तक कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) प्रीमियम में कमी आंकी गई।

			((000)
विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
खंड		विविध	
संबंधित प्रीमियम	1	492,08,28.35	415,26,31.48
अपेक्षित दावा लागत और संबंधित व्यय	2	427,13,00.00	345,92,13.89
अपेक्षित अनुरक्षण लागत	3	55,07,03.04	49,12,57.28
प्रीमियम में कमी		कुछ नही	कुछ नही

(₹ '000)

24. Earnings Per Share is calculated as under:

	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	360,69,60.63	24,27,879.83
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	103,86,30.13	93,89,04.11
C)	Earnings per share: Basic (₹)	34.73	25.86
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100	100

The Corporation does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Corporation remain the same.

25. CONTINGENT LIABILITIES

			(₹ '000)
Sr. No.	Particulars	Current year	Previous Year
1.	Partly paid up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Corporation	4,73.32	6,71.73
3.	Policies and ECIB claims against the Corporation not acknowledged as debt and not provided for	1129,42.78	1054,35,01.47
4.	Guarantees given by or on behalf of the Corporation	NİI	Nil
5.	Capital Commitments	201,75.55	206,91.32
6.	Income Tax	383,75,94.39	212,65,87.70

26. Premium Deficiency has been identified as on 31/03/2014 of ₹ NIL (previous year ₹ NIL) as per IRDA requirements.

(₹ '000)

Particulars		Current Year	Previous Year
Segment	Miscellaneous		
Relevant Premium	1	492,08,28.35	415,26,31.48
Expected Claim Cost and related expenses	2	427,13,00.00	345,92,13.89
Expected Maintenance cost	3	55,07,03.04	49,12,57.28
Premium Deficiency		NIL	NIL

104

27. निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित निधि

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई) द्वारा जारी संशोधित सी.एस. आर दिशा निर्देशों को निगम ने अपनाया है। प्रारंभिक प्रारक्षित निधि, किए गए भुगतान एवं शेष प्रारक्षित निधि का विवरण निम्न के अनुसार हैः

		(₹ '000)
विवरण		राशि
सी एस आर गतिविधियों के लिए प्रारंभिक		8,77,94.50
प्रारक्षित निधि	(क)	
जोड़ें : सी एस आर हेतु वर्ष के दौरान आबंटित बज	ाट (ख)	5,00,00.00
कुल उपलब्ध राशि (ग	= क + ख)	13,77,94.50
वर्ष के दौरान कुल व्यय	(घ)	8,72,63.79
सी एस आर के अंतर्गत व्यय नहीं की		5,05,30.71
गई / शेष कुल राशि	(ड़)	

वर्तमान वर्ष के लाभ में से राशि ₹1,08,38.60 हजार को विनियोजित किया जाएगा एवं शेष प्रारक्षित निधियां (पिछले वर्षों सहित) ₹5,05,30.71 हजार होंगी।

- 28. बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार प्रकटन, इसके साथ अनुबंध - 2क व 2ख के अनुसार संलग्न है।
- 29. अनुसूचित बैंकों के पास दीर्घावधिक जमाओं (अनुसूची 11) में ₹90,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹40,18.47 हज़ार) शामिल हैं जिसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास नकद मार्जिन के रुप में बंधक रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधिक जमाओं (अनुसूची 11) में ₹40,18.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹68,93.29 हज़ार) प्रत्येक के चार जमा शामिल हैं जिसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास नकद मार्जिन के रुप में बंधक रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधिक जमाओं (अनुसूची 11) में ₹45,00,00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹40,00,00 हज़ार) शामिल हैं जिसे कॉर्पोरेशन बैंक के पास बंधक रखा गया है।

- केंद्र सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों (अनुसूची 8) में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i. निगम द्वारा प्रवेश किए गए गौण बाज़ार लेनदेन के लिए मार्जिन के रुप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के प्रभार को समाप्त करने के लिए ₹4,99,25 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हज़ार, 8.24% वाले 2018 के भारत सरकार के बांड) के अंकित मूल्य वाले 7.16% वाले 2023 के भारत सरकार के बांड प्रभारित किए गए।
 - ii. निगम के संपार्श्विक उधार लेने व उधार देने के लिए मार्जिन के रुप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के प्रभार को समाप्त करने के लिए ₹93,17 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17 हज़ार 8.24% वाले 2027, के भारत सरकार के बांड) के अंकित मूल्य वाले 8.24% वाले 2027 के भारत सरकार के बांड प्रभारित किए गए।

27. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Corporation has adopted revised CSR guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE). The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

		(₹ '000)
Particulars		Amount
Opening Reserve for CSR activities	(A)	8,77,94.50
Add: Budget allocated for CSR		5,00,00.00
activities during the year	(B)	
Total available amount	(C= A + B)	13,77,94.50
Total Expenditure during the year	(D)	8,72,63.79
Total unspent amount / balance		5,05,30.71
under CSR activities	(E)	

An amount of ₹1,08,38.60 thousands will be appropriated from profits of the current year and the closing reserves (including for earlier year) will be ₹5,05,30.71 thousands.

- Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure-2A & 2B.
- 29. Long Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) includes deposits of ₹90,00 thousands (previous year deposits of ₹40,18.47 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Short Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) includes deposits of ₹40,18.47 thousands (previous year ₹68,93.29 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange of India as a cash margin.

Short Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) includes ₹45,00,00 thousands (previous year ₹40,00,00 thousands) pledged with Corporation Bank.

- 30. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:
 - 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25 thousands (previous year ₹5,00,00 thousands 8.24% 2018 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Corporation.
 - 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17 thousands (previous year ₹93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Corporation.

31. कर्मचारी सुविधाएँः

- 31.1 निगम में दिनांक 31/03/2010 को अथवा उससे पहले भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल करने के लिए योजना को विस्तारित किया गया है। दिनांक 01/04/2010 को अथवा उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को निगम द्वारा तैयार किए गए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अधीन लाया जाएगा।
- 31.2 निगम प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% का भुगतान करता है।
- 31.3 यदि कोई कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना हेतु पात्र है, तो निगम अंशदान पेंशन फंड ट्रस्ट को अग्रेषित करता है। वे कर्मचारी, जो कि परिभाषित लाभ पेंशन योजना या परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, के लिए निगम अपना भाग भविष्य निधि ट्रस्ट को अग्रेषित करता है।
- 31.4 आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस 15 (संशोधित 2005) को कार्यान्वित करने के लिए नोट में उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि जिसे ब्याज की आवश्यकता है, में होने वाली कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा की जाएगी; को निर्धारित सुविधा योजना समझा जाए।
- 31.5 भविष्य निधि की आधारभूत निधि तथा उस पर प्राप्त होने वाले अर्जन भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, उसके लिए अलग से किसी भी प्रकार प्रावधान व खाते के संबंध में विशेष प्रकटन नहीं किया गया है।
- 31.6 अवधि के दौरान उपदान अधिवर्षितता, जिसके लिए निर्धारित कर्मचारी सुविधा योजना द्वारा निधि जमा की जाती है के लिए कर्मचारी सुविधा विवरण निम्नानुसार हैं:

पेंशन

क्र. सं.	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित सुविधा दायित्व	186,81,72.49	160,81,96.93
	ब्याज लागत	14,94,53.80	13,66,96.74
	वर्तमान सेवा लागत	6,50,94.66	5,33,45.67
	पूर्व सेवा लागत - निहित लाभ	-	-
	प्रदत्त सुविधाएँ	(15,88,44.78)	(10,09,40.23)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	21,69,58.07	17,08,73.88
	वर्ष के अंत तक परियोजित सुविधा दायित्व	214,08,34.24	186,81,72.49

31. EMPLOYEE BENEFITS:

- 31.1 The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Corporation on or after 01/04/2010 are covered by New Pension Scheme (NPS) under Defined Contribution Scheme.
- 31.2 The Corporation pays 10% of basic salary & dearness allowance to a Pension Fund administrator for each employee.
- 31.3 In case of employees who are eligible for Defined Benefit Pension Scheme, the Corporation remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Corporation remits the Corporation's share to the Provident Fund Trust.
- 31.4 The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.
- 31.5 As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the Provident Fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.
- 31.6 The details of employee benefits for the period on account of gratuity superannuation which are funded defined employee benefit plans are as under.

Pension

(₹ '000)

			()
Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Change in Benefit Obligations		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	186,81,72.49	160,81,96.93
	Interest Cost	14,94,53.80	13,66,96.74
	Current Service Cost	6,50,94.66	5,33,45.67
	Liability Transferred in	-	-
	Benefits paid	(15,88,44.78)	(10,09,40.23)
	Actuarial (Gain) / Loss	21,69,58.07	17,08,73.88
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	214,08,34.24	186,81,72.49

(₹ '000)
56th Annual Report 2013-14 **ई सी जी सी E C G C**

			(₹ '000	
क्र. सं.	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	
2	योजना परिसम्पत्तियों में संश	ना परिसम्पत्तियों में संशोधन		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	166,13,88.27	138,38,29.00	
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	14,45,40.78	11,90,09.29	
	अंशदान	22,75,87.49	24,40,28.35	
	अंतरित परिसंपत्तियां	-	-	
	प्रदत्त सुविधाएँ	(15,88,44.78)	(10,09,40.23)	
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	2,94,79.03	1,54,61.86	
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	190,41,50.79	166,13,88.27	
3	नियत सुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य	214,08,34.24	186,81,72.49	
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	190,41,50.79	166,13,88.27	
	तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताएँ	(23,66,83.45)	(20,67,84.22)	
4	वर्ष के लिए लागत	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	वर्तमान सेवा लागत	6,50,94.66	5,33,45.67	
	ब्याज लागत	14,94,53.80	13,66,96.74	
	योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित प्राप्तियाँ	(14,45,40.78)	(11,90,09.29)	
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	18,74,79.04	15,54,11.52	
	राजस्व खाते में दर्शाए गए व्यय	25,74,86.72	22,64,44.64	

उपदान

૩પલ	H		(₹ '000)
क्र. सं	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.	सुविधा दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित सुविधा दायित्व	30,09,66.51	26,88,72.09
	ब्याज लागत	2,40,77.32	2,28,54.13
	वर्तमान सेवा लागत	81,44.30	1,14,49.96
	प्रदत्त सुविधाएँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(1,96,73.90)	(1,40,70.16)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	(1,32,87.07)	1,18,60.49

			(000	
Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year	
2	Change in Plan Assets			
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	166,13,88.27	138,38,29.00	
	Expected return on Plan Assets	14,45,40.78	11,90,09.29	
	Contributions	22,75,87.49	24,40,28.35	
	Assets Transferred in	-	-	
	Benefits paid	(15,88,44.78)	(10,09,40.23)	
	Actuarial Gain / (Loss)	2,94,79.03	1,54,61.86	
	Plan Assets at the end of the year at fair value	190,41,50.79	166,13,88.27	
3	Present Value of the Defined Benefit Obligation	214,08,34.24	186,81,72.49	
	Plan Assets at the end of the year at fair value	190,41,50.79	166,13,88.27	
	Liability recognised in the Balance Sheet	(23,66,83.45)	(20,67,84.22)	
4	Cost for the year			
	Current Service Cost	6,50,94.66	5,33,45.67	
	Interest Cost	14,94,53.80	13,66,96.74	
	Expected return on Plan Assets	(14,45,40.78)	(11,90,09.29)	
	Acturial (Gain) / Loss	18,74,79.04	15,54,11.52	
	Expense recognised in the Revenue account	25,74,86.72	22,64,44.64	

Gratuity

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Change in Benefit Obligatio	ns	
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	30,09,66.51	26,88,72.09
	Interest Cost	2,40,77.32	2,28,54.13
	Current Service Cost	81,44.30	1,14,49.96
	Past Service Cost - Vested Benefit	-	-
	Benefits paid	(1,96,73.90)	(1,40,70.16)
	Actuarial (Gain) / Loss	(1,32,87.07)	1,18,60.49

(₹ '000)

(₹ '000)

क्र. सं	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष		
	वर्ष के अंत तक परियोजित सुविधा दायित्व	30,02,27.16	30,09,66.51		
2	योजना परिसम्पत्तियों में संशोधन				
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	28,19,89.79	25,78,54.47		
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	2,45,33.11	2,21,75.48		
	अंशदान	-	1,34,03.65		
	प्रदत्त सुविधाएँ	(1,96,73.90)	(1,40,70.16)		
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	(4,75.54)	26,26.35		
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	28,63,73.46	28,19,89.79		
3	नियत सुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,02,27.16	30,09,66.51		
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसम्पत्तियाँ	28,63,73.46	28,19,89.79		
	तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताएँ	(1,38,53.70)	(1,89,76.22)		
4	वर्ष के लिए लागत				
	वर्तमान सेवा लागत	81,44.30	1,14,49.96		
	ब्याज लागत	2,40,77.32	2,28,54.13		
	योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित प्राप्तियाँ	(2,45,33.11)	(2,21,75.48)		
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	(1,28,11.53)	92,34.14		
	पिछली सेवा लागत - संबंधित लाभ	-			
	राजस्व खाते में दर्शाए गए व्यय	(51,23.02)	2,13,62.75		
	श्रेणी	पेंशन	उपदान		
5	अनुमान				
	भुनाई हेतु ब्याज दर	9.27% (8.00%)	9.36% (8.00%)		
	योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्राप्तियाँ	8.70% (8.60%)	8.70% (8.70%)		
	वेतन वृद्धि	5.00% (5.00%)	5.00% (5.00%)		

			(
Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	30,02,27.16	30,09,66.51
2	Change in Plan Assets		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	28,19,89.79	25,78,54.47
	Expected return on Plan Assets	2,45,33.11	2,21,75.48
	Contributions	-	1,34,03.65
	Benefits paid	(1,96,73.90)	(1,40,70.16)
	Actuarial Gain / (Loss)	(4,75.54)	26,26.35
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	28,63,73.46	28,19,89.79
3	Present Value of the Defined Benefit Obligation	30,02,27.16	30,09,66.51
	Plan Assets at the end of the year at fair value	28,63,73.46	28,19,89.79
	Liability recognised in the Balance Sheet	(1,38,53.70)	(1,89,76.22)
4	Cost for the year		
	Current Service Cost	81,44.30	1,14,49.96
	Interest Cost	2,40,77.32	2,28,54.13
	Expected return on Plan Assets	(2,45,33.11)	(2,21,75.48)
	Actuarial (Gain) / Loss	(1,28,11.53)	92,34.14
	Past Service Cost - Vested Benefit	-	
	Expense Recognised in the Revenue account	(51,23.02)	2,13,62.75
	Category	Pension	Gratuity
5	Assumptions		
	Interest rate for Discounting	9.27% (8.00%)	9.36% (8.00%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	8.70% (8.60%)	8.70% (8.70%)

5.00%

(5.00%)

5.00%

(5.00%)

Salary Escalation

(₹ '000)

(₹ '000)

वित्तीय विवरण

6	मूल्यांकन की पद्धति	पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि
	नियोजित परिसम्पत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए आधार	नियोजित परिसम्पत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर, परिसम्पत्तियों के वर्तमान पोर्टफोलियो निवेश नीति तथा मार्केट परिदृश्य पर आधारित होते हैं ताकि पूंजी को संरक्षित किया जा सके तथा स्वीकृत जोखिम मानदंडों के भीतर अर्जनों का वर्धन किया जा सके; नियोजित परिसम्पत्तियों को उचित रुप से विविधीकृत किया गया है।

32. परिचालन पट्टे

निगम के पास विभिन्न स्थानों में कार्यालय परिसरों व आवासीय फ़्लैटों के लिए परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जा सकता है अथवा 1 महीने से 6 महीनों तक की अवधि की नोटिस देते हुए रद्द किया जा सकता है। किराया बढ़ाने से संबंधित शर्त अलग अलग करार के लिए अलग अलग हो सकती है।

किराया व्ययों को परिचालन पट्टे में राजस्व खाते में रखा गया है जो कि ₹9,52,79.27 हज़ार (पिछले वर्ष ₹7,92,23.54 हज़ार) रहा।

- 33. निगम को यौगिक संविदाओं अथवा वायदा संविदाओं में किसी प्रकार का अपावरण नहीं है। निगम को विदेशी मुद्रा में अपावरण है (बिना दबाव के वायदा)।
 - (क) अपने फुल फ्लेज्ड फैक्टरिंग योजना के लिए आई डी बी आई बैंक से लिया गया ऋण कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) है।
 - (ख) विविध लेनदारों से ऋण कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)
 है।

34. लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन

वर्तमान वर्ष में निगम ने बकाया दावों के लिए अपनी प्राक्कलन प्रावधान विधि को परिवर्तित किया है। संशोधित पॉलिसी को अनुसूची 16 'महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी' पैरा सं 8.1 में दर्शाया गया है। इस परिवर्तन के प्रभाव से प्राक्कलन कम होकर ₹425,26,44.60 हजार होता है।

35. एम. एस. एम.ई.डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार :

- बकाया राशि कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)
- ii. वर्ष के दौरान देरी से किए गए भुगतान कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)
- iii. बकाया मूल राशि का देय दिनांक के बाद समायोजन करने पर देय ब्याज कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)
- 36. आई आर डी ए के परिपत्र संख्या 067/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि/ मार्च -08 दिनांक 28/03/2008 के ज़रिए दिए गए निर्देशों के आधार पर विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त

6	Method of Valuation	Projected Unit Credit Method		
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.		

32. OPERATING LEASES

The Corporation has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract.

Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹9,52,79.27 thousands (previous year ₹7,92,23.54 thousands)

- The Corporation does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Corporation has no exposure in foreign currency (un-hedged).
 - (a) In the form of loan from IDBI Bank for its fullfledged Factoring Scheme ₹ NIL (previous year ₹ NIL).
 - (b) In the form of Sundry Creditors ₹ NIL (previous year ₹ NIL).

34. Changes in Accounting Estimates

The Corporation has changed its method of estimating provision for outstanding claims in the current year. The revised policy is mentioned at para no 8.1 in Schedule 16 'Significant Accounting Policies'. The impact of such change in estimates is lower by ₹425,26,44.60 thousands.

35. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

- i. Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- Delayed Payments made through-out the year
 ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- iii. Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- Pursuant to the regulatory requirement vide IRDA circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the

प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

क्र.	विवरण	वर्तमान वर्ष में	पिछले वर्ष व्यय
सं		व्यय (₹ '000)	(₹ 1000)
i	आउट सोर्सिंग	1,40,99.80	1,66,49.03
ii	कारोबार विकास	1,33,28.35	1,08,63.84
iii	बाज़ार समर्थन	7,11,65.97	7,62,69.76

37. पूर्व के वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) को निगम द्वारा नियमित रुप से पालन की जानेवाली प्रथा के अनुसार इस प्रकार की वसूलियों पर हुए व्यय को वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि को शुद्ध व्यय के रुप में लेखाबद्ध किया गया है.

वर्ष के दौरान की गई वसूलियाँ व उसके लिए किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

		(₹'000)
विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कुल वसूली	168,56,86.33	129,47,07.08
वसूली कमीशन, सेवा कर आदि सहित	10,25,68.77	8,93,27.88
वसूली के लिए किया गया व्यय		
लेखा बहियों में दर्शायी गई शुद्ध	158,31,17.56	120,53,79.20
वसूली		

38. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी को अनुबंध - 3 के रुप में संलग्न किया गया है.

39. प्रतिधारित जोखिम तथा पुनर्बीमा को निम्नानुसार दर्शाया गया है (इसमें हानि की अधिकता तथा व्यापक आपत्ति संबंधी पुनर्बीमा शामिल नहीं है)

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिए प्रीमियम सांख्यिकीय आंकडे							
	प्रीमियम						
वि. वर्ष	प्रीमियम प्रतिधारण % पुनर्बीमा कमीशन %						
2013-14	1303,72,59.69	984,16,56.70	75.49	319,56,02.99	24.51		
2012-13	1157,25,49.45	830,52,62.96	71.77	326,72,86.49	28.23		

- 40. अनुबंध 4 में दिए गए आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एंड आई/परि/सीएमपी/174/11/2010 दिनांक 04/11/2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों के अदावी राशि के आयु-वार विश्लेषण को दर्शाता हुआ विवरण।
- 41. आई आर डी ए के परिपत्र संख्या 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि/ मई - 09 दिनांक 07/05/2009 के ज़रिए दिए गए निर्देशों के आधार पर विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

					(₹ 1000)
				राशि	
क्र.		गैर अनुपालन /	दिया	<u>ه</u> ــــ	माफ/ कम
सं.	प्राधिकरण	उल्लंघन	गया	दंड की	किया
			दंड	अदायगी	गया दंड
1.	बीमा विनियामक व		कुछ न	हीं	
	विकास प्राधिकरण				
2	सेवा कर प्राधिकारी		कुछ न	<u>ह</u> ीं	

additional disclosure is given as under:

Sr. No	Particulars	Expenses in Current Year (₹ '000)	Expenses in Previous Year (₹ '000)
i	Outsourcing Expenses	1,40,99.80	1,66,49.03
ii	Business Development	1,33,28.35	1,08,63.84
iii	Marketing Support	7,11,65.97	7,62,69.76

37. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses such as recovery commission, bank charges, service tax, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Corporation.

The details of recoveries made during the year and the expenses incurred are as under: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total recovery	168,56,86.33	129,47,07.08
Expenses incurred on such	10,25,68.77	8,93,27.88
recovery including Recovery		
Commission, service tax, etc.		
Net recovery shown in the	158,31,17.56	120,53,79.20
books of accounts		

38. RATIOS FOR NON - LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure - 3 attached.

39. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

					(1 000
P	remium Statistic	s for the Period	l April 20	13 to March 2014	
		Pre	mium		
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2013-14	1303,72,59.69	984,16,56.70	75.49	319,56,02.99	24.51
2012-13	1157,25,49.45	830,52,62.96	71.77	326,72,86.49	28.23

(₹ '000)

(₹ '∩∩∩)

- Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDA Circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 is given in Annexure 4.
- **41.** Pursuant to the regulatory requirement vide IRDA circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

					(000)
		Non-		Amount	
Sr. No.	Authority	Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority		NIL		

56th Annual Report 2013-14 ई सी जी सी E C G C

	1				(₹ '000)
क्र. सं.	प्राधिकरण	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	राशि दंड की अदायगी	माफ/ कम किया गया दंड
3	आय कर प्राधिकारी		कुछ न	हीं	
4	अन्य कर प्राधिकारी		कुछ न	हीं	
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकारी / फेमा के अधीन ट्रिब्युनल अथवा कोई अन्य प्राधिकारी		কুন্ত ন	हीं	
6	कंपनियों का रजिस्ट्रार/ एन सी एल टी / सी एल बी / कंपनी मामले विभाग अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कोई अन्य प्राधिकारी		कुछ न	हीं	
7	प्रतिपूर्ति के अलावा दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए कोई न्यायालय / ट्रिब्युनल	(शपथ पत्र/दस्तावे	30.5 ाज प्रस्तुत	•) के कारण)
8	भारतीय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड*	लागू नहीं क्यों वि	के निगम र	नूचीबद्ध इका	ई नहीं है।
9	कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया		कुछ न	हीं	
10	कोई केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकारी / सांविधिक प्राधिकारी		কুछ न	हों	

अंतिम वर्ष में उपरोक्त सभी मामलों में दंड कुछ नहीं था * प्रबंधन द्वारा प्रमाणित।

42. फैक्टरिंग सेवाओं के लिए प्रारक्षित निधि

वर्तमान वर्ष से लाभ में से ₹60,00,00 हजार की राशि को फैक्टरिंग सेवाओं हेतु प्रारक्षित निधि में रखा गया है। इस राशि का प्रयोग विशेष रूप से फैक्टरिंग सेवा के परिचालनों के संबंध में कम-वसूली होने पर किया जाएगा।

43. आय एवं व्यय का विनियोजन

निवेश व्यय का पॉलिसीधारक निधि एवं शेयरधारक निधि के आरंभिक शेष के आधार पर राजस्व खाते एवं लाभ व हानि खाते के बीच समानुपातिक विनियोजन किया गया है, व इसी प्रथा को अपनाना जारी रखा है। यह आई आर डी ए द्वारा जारी इसके

					(₹ '000)
		Non-		Amount	
Sr. No.	Authority	Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
2	Service Tax Authorities		NIL		
3	Income Tax Authorities		NIL		
4	Any other Tax Authorities		NIL		
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		NIL		
6	Registrar of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956		NIL		
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	(Delay in	30.50 filing affida		ments)
8	Securities and Exchange Board of India*	Not Applical	ble as the a Listed I		ion is not
9	Competition Commission of India		NIL		
10	Any other Central/ State/Local Government / Statutory Authority		NIL		

Last Year penalty in all above cases was Nil * As certified by the management

42. FACTORING SERVICES RESERVE

An amount of ₹60,00,00 thousands has been earmarked towards Factoring Services Reserve from the current year's profits. This reserve will be exclusively utilised for the purposes of meeting any under-recovery in respect of Factoring service operations.

43. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Funds मास्टर परिपत्र सं. आई आर डी ए/एफ एंड ए/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं दिनांक 3 जुलाई 2013 को जारी शुध्दिपत्र सं. आई आर डी ए/एफ एंड ए/126/07/2013 जो कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावित है के तहत निश्चित किए गए प्रकटन नियमों का अनुपालन करता है।

44. निम्नलिखित मामलों में पिछले वर्षों से संबंधित आंकड़ों को संलग्न परिशिष्ट 5 के अनुसार पुनः समूहित / पुनःवर्गीकृत किया गया है। and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDA by its master circular No IRDA/F&I/ CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

44. Figures relating to previous year have been re-grouped / re-classified in the cases as mentioned in Annexure 5.

अनुसूची 1 से 17 के हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Schedule 1 to 17

(एन.शंकर) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (N. Shankar) Chairman-cum-Managing Director **(अरविंद मेहता)** निदेशक **(Arvind Mehta)** Director (पी.के.मिश्रा) निदेशक (P.K. Mishra) Director

(यदुवेंद्र माथुर) निदेशक **(Yaduvendra Mathur)** Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे) निदेशक (Ajay Muralidhar Ponkshe) Director

(**स्मिता पंडित)** कंपनी सचिव (**Smita Pandit)** Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू For P. M. Dalvi & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 102065W

> (माधव नांदगावंकर) भागीदार (Madhav Nandgaonkar) Partner

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई 2014 Dated : 13th May, 2014

कृते आरएसवीए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू For RSVA & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 110504W

(बी. एन. राव)

भागीदार (**B. N. Rao**) Partner

SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD - 17 लेखा मानक - 17 के अनुसरण में खंडवार प्रकटन

अनुसूची 17 का अनुबंध - 1 / Annexure - 1 to Schedule 17

प्राथमिक कारोबार के खंड PRIMARY BUSINESS SEGMENT ह राजरूव / Segment Revenue												
भाषांत्रक का खड PRIMARY BUSINESS SEGMENT हर राजस्व / Segment Revenue			वर्तमान वर्ष / Current Yea	Current Year				पिछले	ਧਿछले वर्ष / Previous Year	Year		
खंड राजस्व / Seament Revenue	पॉलिसी / 🛛	ई सी आई बी / ECIB	्फ्रैक्टरिंग / Factoring	ਦन ई आई ए / । NEIA	डी सी आई ई/ DCIE	कुल / Total	पॉलिस्ती / Policy	ई सी आई बी / ECIB	फ़ैक्टर िंग / Factoring	ਦਜ ई आई ए / NEIA	डी सी आई ई/ DCIE	कुल / Total
बाहरी ग्राहकों से प्रीमियम आप (वापसी का शुद्ध / पुनर्बीमा प्रीमियम) Premium Income from external customers (Net of Refund / Reinsurance Premium)	326,78,41.77	657,38,14.94		•		984,16,56.71	292 ,21 ,70.40	538,23,80.07		•	7,12.50	830,52,62.97
्र शुल्क एवं अन्य प्राप्तियाँ / Fees & other receipts	1,47,31.03	13,18.47			5.00	1,60,54.50	1,18,01.84	13,76.60				1,31,78.44
ब्याज और दावें और प्रीमियम एवं अन्य प्राप्तियाँ Interest & Claims & oremium & Other receipts	•	2,61,37.43	•	•	•	2,61,37.43	2,07.28	2,56,52.50	•	•	•	2,58,59.78
एन ई आई ए प्रशासनिक आय NEIA Adminstrative Income				60,26.52		60,26.52				1,14,29.63		1,14,29.63
सीडिंग कमीश्रान / Ceding Commission	18,27,02.37	41,67,60.04	•	•	•	59,94,62.41	18,56,87.64	38,41,81.32	•	•		56,98,68.96
अंतर खंडीय राजस्व / Inter segment Revenue	•	•	•	•	•	•						
फ़ैक्टरि ग आय / Factoring income	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन # Change in Reserve for Unexpired Risks	(17,28,35.68)	(59,57,17.44)			3,56.25	(76,81,96.87)	1,95,46.18	(36,94,81.43)			51,03.24	(34,48,32.01)
कुल खंड राजस्व / Total Segment Revenue	329,24,39.49	642,23,13.44	•	60,26.52	3,61.25	972,11,40.70	313,94,13.34	542,41,09.06	•	1,14,29.63	58,15.74	858,07,67.77
खंड व्यय / Segment Expenditure												
दावे (वसूलियों को घटाकर)*												
Claims (Net of Recoveries)*	102,50,39.59	643,57,14.66	•	•	(81.38)	746,06,72.87	247,24,40.19	565,28,58.62	•	•	27,36.22	812,80,35.03
<u>फ़ेक्टरिंग</u> व्यय / Factoring expenses	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
मानक, निम्न मानक, व संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard, Sub Standard, Doubtful Assets	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
प्रोमियम कमी के लिए प्रावधान Provision for Premium Deficiency							(17,33,85.17)	(29,52,23.39)				(46,86,08.56)
सीधे अदा किया गया कमीश्रान Commission Paid Direct	2,02,21.05	·	•	•	•	2,02,21.05	1,94,24.63	•	•			1,94,24.63
कुल / Total	104,52,60.64	643,57,14.66		•	(81.38)	748,08,93.92	231,84,79.65	535,76,35.23	•	•	27,36.22	767,88,51.10
खंड परिणाम / Segment Result	224,71,78.85	(1,34,01.22)	•	60,26.52	4,42.63	224,02,46.78	82,09,33.69	6,64,73.83	•	1,14,29.63	30,79.52	90,19,16.67
(ब्याज, पूर्व लाभ, कर तथा अपवादासक वस्तुएँ) (Profit before Interest, Tax and Exceptional Items)												
जोड़ें: अविनियोज्य व्यय को घटाकर अविनियोज्य आय Add : Unallocable Income net of Unallocable Expenditure						315,09,48.11						260,01,96.26
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less :Provision for Doubtful Debts						•						
घटाएँ: ब्याज व वित्त चार्ज/Less : Interest & Finance charges						7,02.33						6,88.42

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरण

लेखा मानक - 17 के अनुसरण में खंडवार प्रकटन SEGMENT DISCLOSURES PURSUANT TO ACCOUNTING STANDARD - 17

अनुसूची 17 का अनुबंध - 1 / Annexure - 1 to Schedule 17 (₹ in '000)

			वर्तमान वर्ष / Current Yea	Current Year				पिछले	पिछले वर्ष / Previous Yeaı	s Year		
प्राथानक काराबार के खड PRIMARY BUSINESS SEGMENT	पॉलिसी / Policy	ई सी आई बी / ECIB	फ़ैक्टर िंग / Factoring	ਦन ई आई ए / NEIA	डी सी आई ई/ DCIE	कुल / Total	पॉलिसी / Policy	ई सी आई बी / ECIB	फ़ैक्टरिं ग / Factoring	ਦਜ ई आई ए / NEIA	डी सी आईई/ DCIE	कुल / Total
						539,04,92.56						350,14,24.51
यूवे अवांधे समायोजन व पूर्व के वर्षों का कर समायोजन Prior period Adjustments & Tax Adjustments earlier years						4,29,46.78						(2,28,31.26)
						•						•
						(2,94,14.82)						13,63,75.94
						177,00,00.00						96,00,00.00
घटाएँ : न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण समयंजन (प्रास्तियाँ) Less : MAT Credit Set off (Receivable)						r						
						360,69,60.60						242,78,79.83
	26,72.16	7,12,72.13		•	1.40	7,39,45.69	8,54.56	15,54,23.28		•	1.50	15,62,79.34
स्थिर परिसम्पत्तियों सहित अविनियोज्य परिसम्पत्तियाँ (किसी खंड विशेष के लिए विनियोजन योग्य नहीं) Unallocated Assets including Fixed Assets (Not allocable to any specific segment)						6814,33,59.59						5826,99,31.76
						6821,73,05.28						5842,62,11.10
खंड देयताओं की आवतीं राशि Carrying Amount of Segment Liablities	851,74,87.84	2339,02,55.41	•	1,63,92.13	4,01.02	3192,45,36.40	654,99,41.87	1976,58,57.52		2,77,42.75		4,06.02 2634,39,48.16
अविनियोज्य देयताएँ (किसी खंड विशेष के लिए विनियोज्य योग्य नहीं) Unallocated Liablities Not allocable to any specific segment)						800,47,72.30						771 ,23,04.41
						3992,93,08.70						3405,62,52.57
						1100,00,00.00						1000,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / Reserve & Surplus						1674,40,63.63						1417,74,97.64
उचित मूल्य परिवर्तन खाता / Fair value Change Account						54,39,32.95						19,24,60.89
						6821,73,05.28						5842,62,11.10

					(000, ui ≩)
गौण खंड - लागू नहीं / Secondary Segment - Not Applicable	t - Not Applicable				-
प्रत्येक कारोबार खंड में उत्पादों / सेवाओं के प्रकार / Types of Products /	कार / Types of Products	/ Services in each Business Segment	nent		
अल्पावधि के अंतर्गत निर्यातकों के लिए पॉलिसियां: Policies for exporters under Short Term:	मध्यम एवं दीघर्तिबधि के अंतर्गत निर्यातकों के लिए पॉलिसियां Policies for exporters under Medium and Long Term	अल्पान्नधि के लिए बैंकों (ई.सी.आई.वी.) हेतु योजनाएं Schemes for Banks (ECIB) for Short Term:	ਜਞਤਸ ਦਰਂ ਕੀਬਰੀਵੀ कੇ लिए ਫ਼ੈਂकोਂ (ई.सी.आई.बी.) ਲੇਰੂ योजनाएं Schemes for Banks (ECIB) for Medium and Long Term:	विश्रेष य ोजनाएँ Special Schemes	फैक्टर िंग Factoring
फोतलदान व्यापक जोखिम पॉलिसी (एस.सी.आर.) Shipments Comprehensive Risks Policy (SCR)	विशिष्ट पोतलबान Specific Shipments	व्यक्तिगत पैकिंग ऋण (आई.एन.पी.सी.) Individual Packing Credit (INPC)	व्यक्तिगत पैंकिंग ऋण (आई. एन. पी. सी.) Individual Packing Credit (INPC)	ॠणः व्यवस्था Lines of Credit	
लघु निर्यातक पॉलिसी (एस.ई.सी.) Small Exporters Policy (SEC)	विशिष्ट निविदा Specific Contract	व्यक्तिगत पोतलदानोत्तर (आई. एन. पी. एस.) Individual Post Shipment (INPS)	व्यक्तिगत पोतलवानोत्तर (आई.एन.पी.एस.) Individual Post Shipment (INPS)	खरीतार ऋण Buyers' Credit	
निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी (ई.टी.पी.) Exports Turnover Policy (ETP)	निर्माण कार्य Construction Works	संपूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण (इब्ल्यू टी.पी.सी.) Whole Tumover Packing Credit (WTPC)	नकदी प्रवाह कमी वित Cash flow Deficit Financing	कस्टमाइज्ड योजनाएं (निर्यातक एवं बैंकों के लिए) Customized Schemes (for exporters &	
				banks)	
सेवा व्यापक जोखिम पॉलिसी (एस. आर.सी.) Services Comprehensive Risks Policy (SRC)	विशिष्ट सेवा Specific Services	संपूर्ण पण्यावर्तपोतलदानोत्तर (डब्ल्यू.टी.पी.एस.) Whole Tumover Post Shipment (WTPS)	ई.सी.आई.बी प्रतिभूति सुरक्षा ECIB - Surety Cover	विदेशी निवेश बीमा सुरक्षा Overseas Investment Insurance Covers	
परेषण-स्टॉकधारक एजेंट पॉलिसी (सी-एस.एच.ए.) Consignment - Stockholding Agents Policy (C-SHA)		शाखावार व्यक्तिगत पैकिंग ऋण (बी.आई.पी.सी.) Branch-wise Individual Packing Credit (BIPC)			
परेषण- विश्ववद्यापी कंपनी पॉलिसी (सी-जी.ई) Consignment - Global Entity Policy (C-GE)		क्षेत्रवार व्यक्तिगत पैकिंग ऋण (एस.आई.पी.सी.) Sectoral Individual Packing Credit (SIPC)			
विशिष्ट पोतलबान पॉलिसी (एस.एस.पी.) Specific Shipment Policy (SSP)		निर्यात उत्पादन वित्त (ई.पी.एफ) Export Production Finance (EPF)			
खरीदारवार पॉलिसी (बी.डब्ल्यू.पी.) Buyer wise Policy (BWP)		निर्यात वित्त (ई.एफ.) Export Finance (EF)			
एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी (एस.बी.ई.पी.) Single Buyer Exposure Policy (SBEP)		ई. सी.आई.बी प्रतिभूति सुरक्षा ECIB - Surety Cover		घरेलु ऋण बीमा Domestic Credit Insurance	
बहुखरीदार जोखिम पॉलिसी (एम.बी.ई.पी.) Multi Buyer Exposure Policy (MBEP)				निर्यातकों के लिए घरेलू ऋण बीमा Domestic Credit Insurance for exporters	
एकल खरीदार-सू.प्रौ.समर्थित सेवा पॉलिसी (एस.आई.टी.ई.एस.)				बैंकों के लिए घरेलू ऋण बीमा Domestic Credit Insurance for Banks	
Single Buyer - II Eritabled Service Policy (SITES) बहु खरीदार-सू ग्री. समर्थित सेवा पॉलिसी (एम.आई.टी.ई.एस.) Multi Buyer - IT Enabled Services policy (MITES)					
सॉफ्टवेयर परियोजना पॉलिसी (एस.पी.पी) Software Projects Policy (SPP)					
माइक्रो निर्यातक पॉलिसी (एम.ई.पी.) Misso Eventer Paliay (MED)					

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक (2) क / Annexure - 2 (a) of Schedule 17

(₹'000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year
 निगम की परिसम्पत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं. The details of encumbrances to the assets of the corporation are as under : 		
क) भारत में a) In India	9,95,25.00	9,95,25.00
ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
 बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकडों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management) 		
क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ख) स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए की प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	201,75,55.00	206,91,32.00
3. दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
क) भारत में a) In India	495,71,64.03	409,20,89.27
ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
 जहाँ भी दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है, किसी भी प्रकार की दावों की देयता नहीं है There are no claim liabilities where claim payment period exceeds four years 	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
5. छः महीनों से अधिक के लिए बकाया दावे (कुल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
दावों की संख्या Number of Claims	21	17
राशि Amount	82,77,33.97	184,04,95.03
छः महीनों से कम के लिए बकाया दावे (कुल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
दावों की संख्या Number of Claims	362	313
राशि Amount	938,25,04.53	1049,99,75.51
बकाया दावों की कुल संख्या (कुल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	383	330
राशि Amount	1021,02,38.50	1234,04,70.54

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक (2) क / Annexure - 2 (a) of Schedule 17

		अनुलग्नक (2) क / Allilexu	(₹ ′000)
	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year
6.	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम , पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	984,16,56.70	830,52,62.96
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
7.	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय को रूप में स्वीकार किया गया है. शुद्ध प्रीमियम के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है. Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	492,08,28.35	415,26,31.48
8.	निवेशों के संबंध में संविदा के विवरण Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित हो a) Purchase where deliveries are pending	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हों b) Sales where payments are due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
9.	ऋण बीमा कारोबार संबंधित सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10.	घोषित लेखागत नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11.	सीमांत पारिश्रमिक की गणनाः निगम को सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम यू / एल 620 के जी एस आर 235,दिनांक 31 जनवरी 1978 के जरिए निगम को इससे छूट प्रदान की गई है. Computation of Managerial Remuneration: The Corporation is exempted vide notification: GSR 235, dated 31st January 1978 u/s 620 of the Companies Act, being a Government Company.		
12.	निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान Basis of amortisation of debt securities Provision for diminution in the value of the investments	8,65.91	कुछ नहीं Nil
13.	 क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है. a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c 	54,39,32.95	19,24,60.89
	 ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ, ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं. b) Pending realisation,credit balance in Fair value change a/c not available for distribution. 	54,39,32.95	19,24,60.89

विवरण / Particulars

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन **DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS**

अनुसूची 17 का अनुलग्नक (2) क / Annexure - 2 (a) of Schedule 17

कुछ नहीं

कुछ नहीं

9,95,25.00

कुछ नहीं

4614,37,01.80

4614,37,01.80

कुछ नहीं

Nil

(अनुबंध 2 ख) के अनुसार (अनुबंध 2 ख) के अनुसार (As per Annexure 2 b) (As per Annexure 2 b)

Nil

Nil

Nil

वर्तमान वर्ष /

Current year

(₹ '000)

कुछ नहीं

कुछ नहीं

9,95,25.00

कुछ नहीं

3937,94,47.51

3937,94,47.51

कुछ नहीं

Nil

Nil

Nil

Nil

पिछले वर्ष /

Previous year

	14.	The	म ने रियल ईस्टेट निवेश सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है. e Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment perty.'
	15.	क)	तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे
		A)	Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under
			दावों की कुल संख्या Number of claims
			राशि Amount
		ख)	वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गईं हैं.
रण		B)	All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.
वित्तीय विवरण		ग) C)	 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं : Deposits made in accordance with statutory requirements are as under:
वित्ती			क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000 लाख)
			a) In India - under Section 7 of the Insurance Act 1938 (Face Value 1000 lacs)
			ख) भारत के बाहर b) Outside India
			 निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under
			अर्जक (मानक) निवेश Derforming (Ctandard) Investments

Performing (Standard) Investments अनर्जक निवेश Non Performing Investments

कुल अंकित मूल्य (अंतिम मूल्य) Total Book Value (Closing Value)

- 3. क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है. Percentage of business sectorwise- As the corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable
- 4. 5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है. A summary of financial statements for 5 years is enclosed.

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक (2) क / Annexure - 2 (a) of Schedule 17

			(₹ '000)
विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year	वृद्धि % / Growth %
5. विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन द्वारा अनुपालित अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपातों की अनुपस्थिति में, कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है.) (वर्ष के अंत तक, जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management)(In the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given) (year end unless otherwise stated)			
सकल प्रीमियम Gross Premium	1303,72,59.69	1157,25,49.45	12.66
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	984,16,56.70	830,52,62.96	18.50
शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/ सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/ Gross Premium)	75.49%	71.77%	5.19
शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	49.00	35.01	39.96
शुद्ध सम्पत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Networth (%)	19.43	14.48	34.19
शुद्ध सम्पत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit after Tax to Networth (%)	13.00	10.04	29.48
सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	12.62	12.75	-1.02
कुल रोज़गार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	90,45.90	60,82.29	48.73
शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
असमाप्त जोखिम प्रारक्षण Unexpired Risks Reserve	492,08,28.35	415,26,31.48	18.50
बकाया दावे Outstanding Claims	2963,93,24.35	2588,17,02.65	14.52
कुल तकनीकी प्रारक्षण Total Technical Reserves	3456,01,52.70	3003,43,34.13	15.07
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	984,16,56.70	830,52,62.96	18.50
अनुपात Ratio	3.51	3.62	-2.89

FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों के रूप में प्रकटीकरण DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(ख) / Annexure - 2(b) of Schedule 17

(₹	(000)

						(₹ '000)
क्र.सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
	परिचालन परिणाम Operating Results					
1.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1303,72,59.69	1157,25,49.45	1004,83,31.67	885,46,69.25	812,99,64.48
2.	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	984,16,56.70	830,52,62.96	761,55,98.94	770,94,50.96	578,77,98.05
3.	निवेशों (शुद्ध) से आय Income from Investments (Net)	262,79,35.49	218,88,80.99	190,94,19.43	140,08,72.83	119,28,67.22
4.	अन्य आय (शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ) Other Income (Fee & Other Receipts)	4,31,57.70	5,69,11.48	5,00,01.83	6,00,90.77	14,63,82.17
5.	कुल आय Total Income	1251,27,49.89	1055,10,55.43	957,50,20.20	917,04,14.56	712,70,47.44
6.	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	(57,92,41.35)	(55,04,44.34)	(57,92,01.69)	(9,53,21.04)	(31,56,94.54)
7.	परिचालन व्यय Operating Expenses	157,34,37.25	138,24,89.30	126,69,46.07	151,47,54.19	103,59,87.56
8.	शुद्ध उपगत दावा Net Incurred Claim	746,06,72.89	812,80,35.03	679,61,20.57	757,43,86.81	675,17,59.95
9.	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	(76,81,96.87)	12,37,76.55	(42,16,82.55)	(47,88,45.51)	(50,98,29.92)
10.	परिचालन लाभ / हानि Operating Profit / (Loss)	328,96,84.23	171,47,51.99	166,94,72.70	(30,22,50.91)	(85,48,35.46)
	गैर परिचालन परिणाम Non Operating Results					
11.	शेयरधारकों के खाते के तहत कुल आय Total Income under Shareholders' account	210,08,08.33	178,66,72.52	160,77,66.18	147,85,14.34	150,96,27.45
12.	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	539,04,92.56	350,14,24.51	327,72,38.88	117,62,63.43	65,47,91.99
13.	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	178,35,31.96	107,35,44.68	102,51,40.04	31,96,17.73	11,74,44.89
14.	कर पश्चात लाभ / (हानि) Profit / (Loss) after tax	360,69,60.60	242,78,79.83	225,20,98.84	85,66,45.70	53,73,47.10

वित्तीय विवरणों के रूप में प्रकटीकरण Disclosures forming part of financial statements

अनुसूची 17 का अनुबंध - 2(ख) / Annexure - 2(b) of Schedule 17

(₹	(000)

						(₹ 1000)
क्र.सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
	विविध MISCELLANEOUS					
15.	पॉलिसीधारक का खाता Policyholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	3724,49,47.17	3148,97,12.60	2642,76,82.58	2254,17,83.40	1701,68,36.65
	कुल निवेश Total Investments [#]	3215,80,11.35	2773,75,77.59	2311,81,71.87	2013,20,15.25	1458,28,70.79
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	8.92	8.85	8.69	7.78	8.62
16.	शेयरधारक का खाता Shareholders Account' *					
	कुल निधियाँ Total Funds	2926,38,87.07	2576,43,10.31	2251,24,70.34	2254,17,83.40	2255,72,02.08
	कुल निवेश Total Investments [#]	2526,70,08.92	2269,43,81.67	1969,32,57.51	2013,20,15.25	1933,07,82.21
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	8.92	8.85	8.69	7.78	8.62
17.	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	1100,00,00.00	1000,00,00.00	900,00,00.00	900,00,00.00	900,00,00.00
18.	निवल मालियत Net Worth	2774,40,63.63	2417,74,97.64	2167,74,62.74	2062,22,27.75	1958,94,26.87
19.	कुल परिसम्पत्तियाँ Total Assets	6821,73,05.28	5842,62,11.10	4965,14,32.60	4631,49,54.11	3948,50,54.27
20.	कुल निवेशों पर अर्जन (%) Yield on total Investments (%)	8.92	8.85	8.69	7.78	8.62
21.	प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	34.73	25.86	25.02	9.52	5.97
22.	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) Book Value per share (₹)	257.16	243.70	240.86	229.14	217.66
23.	कुल लाभांश Total Dividend	88,00,00.00	60,00,00.00	54,00,00.00	26,10,00.00	10,74,69.42
24.	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend per share (₹)	8.00	6.00	6.00	2.90	1.19

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियाँ व कुल निवेश वर्ष के अंत तक के हैं। पॉ धा व शे धा शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल निधियों के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है।

Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders (PH) & Shareholders (SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

निवेशों में नकद व बैंक शेषों के अधीन सावधि जमा शामिल हैं अनुसूर्यी-11। Investments includes Fixed Deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात

Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2014

अनुसूची 17 का अनुबंध - 3 / Annexure - 3 of Schedule 17

(₹'000)

			(< 000)
क्र.सं.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
Sr.No.		31 st March, 2014	31 st March, 2013
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर		
	Gross Direct Premium growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1303,72,59.69	1157,25,49.45
	Gross Direct Premium		
	वृद्धि	12.66%	15.17%
	Growth		
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	Gross Direct Premium to Net Worth ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1303,72,59.69	1157,25,49.45
	Total Gross Direct Premium		
	निवल मालियत (समापन)	2774,40,63.63	2417,74,97.64
	Net Worth (Closing)		
	अनुपात	0.47	0.48
	Ratio (times)		
3	निवल मालियत का वृद्धि दर		
	Growth rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक)	2774,40,63.63	2417,74,97.64
	Net Worth (Opening)		
	निवल मालियत (समापन)	2774,40,63.63	2417,74,97.64
	Net Worth (Closing)		
	निवल मालियत की वृद्धि दर	14.75%	12.71%
	Growth rate of Net Worth		
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात		
	Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम	984,16,56.70	830,52,62.96
	Net Premium		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1303,72,59.69	1157,25,49.45
	Gross Direct Premium		
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	75.49%	71.77%
	Net Retention Ratio		
5	शुद्ध कमीशन अनुपात		
	Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन	(57,92,41.35)	(55,04,44.34)
	Net Commission		
	शुद्ध प्रीमियम	984,16,56.70	830,52,62.96
	Net Premium		
	अनुपात	-5.89%	-6.63%
	Ratio		

अनुसूची 17 का अनुबंध - 3 / Annexure - 3 of Schedule 17

(₹'000)

			(₹ 000)
क्र.सं.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
Sr.No.		31 st March, 2014	31 st March, 2013
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय	164,50,96.73	147,50,64.13
	Expenses of Management		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1303,72,59.69	1157,25,49.45
	अनुपात Ratio	12.62%	12.75%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	164,50,96.73	147,50,64.13
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम Net Written Premium	984,16,56.70	830,52,62.96
	अनुपात Ratio	16.72%	17.76%
8	शुध्द अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुध्द उपगत दावे		
	Net Incurred Claims to Net Earned Premium शुध्द उपगत दावे	746,06,72.89	812,80,35.03
	Net Incurred Claims	140,00,12.03	012,00,00.00
	शुध्द अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	907,34,59.83	796,04,30.95
	अनुपात Ratio	82.23%	102.11%
9	सम्मिलित अनुपात Combined ratio		
	शुध्द उपगत दावे Net Incurred Claims	746,06,72.89	812,80,35.03
	शुध्द अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	907,34,59.83	796,04,30.95
	अनुपात (क)	82.23%	102.11%
	Ratio (a) प्रबंधन व्यय	104,56,34.32	90,51,95.16
	Expenses of Management शुद्ध प्राप्त प्रीमियम	984,16,56.70	830,52,62.96
	Net Written Premium अनुपात (ख)	10.62%	10.90%
	Ratio (b)		
	सम्मिलित अनुपात (क +ख) Combined Ratio (a + b)	92.85%	113.00%

अनुसूची 17 का अनुबंध - 3 / Annexure - 3 of Schedule 17

(₹'000)

			(< 000)
क्र.सं.		31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
Sr.No.	विवरण / Particulars	31 st March, 2014	31 st March, 2013
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि Reserve for Outstanding Claims	2963,93,24.35	2588,17,02.65
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि Reserve For Un-expired Risks	492,08,28.35	415,26,31.48
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधियाँ Reserve for Premium Deficiency	-	-
	कुल Total	3456,01,52.70	3003,43,34.13
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	984,16,56.70	830,52,62.96
	अनुपात Ratio (Times)	3.51	3.62
11	बीमाकंन शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio		
	बीमाकंन लाभ Underwriting Profit	61,85,91.04	(99,96,49.04)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	907,34,59.83	796,04,30.95
	अनुपात Ratio	6.82%	-12.56%
12	परिचालन लाभ अनुपात Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	61,85,91.04	(99,96,49.04)
	निवेश आय Investment Income	262,79,35.49	218,88,80.99
	राजस्व खाते में अन्य आय Other Income in Revenue account	4,31,57.70	5,69,11.48
	परिचालन लाभ Operating Profit	328,96,84.23	124,61,43.43
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	907,34,59.83	796,04,30.95
	अनुपात Ratio	36.26%	15.65%

अनुसूची 17 का अनुबंध - 3 / Annexure - 3 of Schedule 17

(₹ '000)

		-	(₹ 000)
क्र.सं.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
Sr.No.		31 st March, 2014	31 st March, 2013
13	चल परिसम्पत्तियों की तुलना में देयता अनुपात (बीमाकृत की चल परिसम्पत्तियाँ		
	भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना)		
	Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by		
	the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसम्पत्तियाँ	1503,47,01.40	1328,27,01.13
	Liquid Assets		
	पॉलिसीधारकों की देयताएँ	3456,01,52.70	3003,43,34.13
	Policy Holder Liabilities		
	अनुपात (गुना)	0.44	0.44
	Ratio (Times)		
14	शुद्ध अर्जन अनुपात		
	Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ	360,69,60.60	242,78,79.83
	Profit After Tax	500,09,00.00	242,70,79.00
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	984,16,56.70	830,52,62.96
	अनुपात	36.65%	29.23%
	Ratio		
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति		
	Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ	360,69,60.60	242,78,79.83
	Profit After Tax		
	शुद्ध मालियत	2774,40,63.63	2417,74,97.64
	Net Worth		
	अनुपात	13.00%	10.04%
	Ratio		
16	आवश्यक शोधक्षमता मार्जिन अनुपात की तुलना में उपलब्ध शोधक्षमता (गुना)		
	Available Solvency to Required Solvency Margin Ratio (Times)		
	। उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन	2624,84,85.00	23,50,67.47
	Available Solency Margin	2024,04,05.00	23,30,07.47
	, , ,		0 40 04 44
	आवश्यक शोधक्षमता मार्जिन Required Solvency Margin	238,23,82.10	2,43,84.11
	अनुपात (गुना)	11.02	9.64
	Ratio (Times)		

अनुसूची 17 का अनुबंध - 3 / Annexure - 3 of Schedule 17

(₹'000)

क्र.सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2014 31 st March , 2014	31 मार्च 2013 31 st March, 2013
17	अनर्जक खाता अनुपात		
	NPA Ratio		
	निवेश	0%	0%
	Investment:		
	फैक्टरिंग	100%*	100%
	Factoring		

* अप्रैल 2010 से कोई नया व्यवसाय नहीं किया गया।

* No fresh business done since April 2010.

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए अनुपातों की गणना आई.आर.डी.ए. के दिनांक 5 अक्टूबर 2012 के मास्टर परिपत्र सं आई.आर.डी.ए./ एफ.एंड आई./परि./एफ.एंड ए/231/10/2012 एवं 3 जुलाई 2013 को जारी एवं वि.व 2013-14 से प्रभावी शुध्दिपत्र सं आई.आर.डी.ए./एफ एंड ए/परि./एफ.ए./126/07/2013 के अनुसार की गई है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

(अरविंद मेहता)

(एन. शंकर) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (N. Shankar) Chairman-cum-Managing Director

निदेशक (Arvind Mehta) Director ाथुर) (पी.के.मिआ) निदेशक (P.K. Mishra) Director

(**यदुवेंद्र माथुर)** निदेशक (**Yaduvendra Mathur)** Director (अजय मुरलीधर पोंक्षे) निदेशक (Ajay Muralidhar Ponkshe) Director

(स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (Smita Pandit) Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू For P. M. Dalvi & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 102065w

(माधव नांदगावंकर) भागीदार (Madhav Nandgaonkar) Partner

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई 2014 Dated : 13th May, 2014

कृते आरएसवीए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू For RSVA & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 110504w

(बी. एन. राव)

भागीदार (**B. N. Rao)** Partner दिनांक ३१ ०३ २०१४ तक अदावी - बीमा धारकों को देय Due to Insured - Unclaimed as on 31 03 2014

अनुसूची 17 का अनुबंध - 4 / Annexure - 4 of Schedule 17

				(r.	भवधिवार विश्व	अत्रियतार तिञ्चलेषण / AGF-WISF ANAI YSIS	ISF ANALYSI		(000. <u>メ</u>)
क्रमांक SI. No	विवरण Particulars	कुल राशि Total Amount	1-6 माह 1-6 months	7-12 माह 7-12 months	13-18 माह 13-18 माह 13-18 months	19-24 माह 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 ਸਾ <u></u> 31-36 months	36 माह से अधिक Beyond 36 months
-	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/ पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्ही कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/ बीमाधारकों को नहीं किया गया। Claims settled but not paid to the policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured policyholders	7.34	1		1	4.62	2.72	1	1
5	परिपक्कता पर या अन्य के लिए बीमा/ पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise	1	1	1		1	1	1	
m	प्रीमियम/ कर अथवा कोई भी अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शतौं अथवा कानून अथवा प्राधिकरण निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटाना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है। Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	1,67,62.64	18,29.05	17,32.96	32,30.01	10,40.40	17,88.23	34,54.47	36,87.52
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/ बीमाधारकों द्वारा भुनाएं नहीं गए है। Cheques issued but not encashed by the policyholder/ insured	15,66.84	1,89.51	3,79.55	3,51.67	2,05.10	30.16	2,39.07	1,71.78
	कुल / Total	1,83,36.82	20,18.56	21,12.51	35,81.68	12,50.12	18,21.11	36,93.54	38,59.30
मोट :	उपरोक्त मद संख्या 4 के तहत चेक जारी किए गए है परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तद्नुसार ऐसे चेक की राशि को अदावी रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।	हीं गया है जिन 5 किसी भी स	समें केवल वैधत मय चेक भुनाने	ता समाप्त जार 1 के लिए कानू	री चेकों की रा नी रूप से पात्र	शि शामिल है। है। तद्नुसार रे	अन्य जारी कि ट्रेसे चेक की रा	ए गए लेकिन i शि को अदावी	ौर समाशोधित रूप में वर्गीकृत
Note :	Cheques issued but not encashed under point no 4 about cheques issued but not cleared, the management is of	ides only the ion that the	e amount on policyholder	account of is legally er	cheques issu ntiltled to enc	we includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other the opinion that the policyholder is legally entitled to encash the cheque anytime till the validity of cheque.	alidity has ex que anytime	pired. In res till the validit	pect of other y of cheque.

Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

אט
ווט
ldd

अनुसूची 17 का अनुबंध - 5 / Annexure - 5 of Schedule 17

निम्नलिखित मामलों में पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है : Figures relating to previous years have been regrouped / reclassified in the following cases:

	कारण / Reason	सही स्थिति दर्शाने के लिए To indicate correct position
पिछले वर्ष / Previous Year	राशि / Amount (₹ ′000)	3,42,64.07
पिछले वर्ष / PI	अनुसूची Schedule	13
Current Year	राशि / Amount (₹ '000)	3,42,64.07
वर्तमान वर्ष / Curren	अनुसूची Schedule	13
	विवरण / Particulars	वर्तमान देयता Current Liabilities

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा / (नकद प्रवाह) विवरण Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2014

				(₹ ′000)
		विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	पिछले वर्ष / Previous year
क. A.		ग्रालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह H FLOW FROM OPERATING ACTIVITY		
	1	अग्रिम प्राप्तियों सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	1339,00,52.19	1187,28,86.83
	2	अन्य प्राप्तियाँ / वसूलियाँ / शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	164,40,29.58	125,72,88.80
	3	पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान - कमीशन व दावों को घटा कर Payments to reinsurers net of commission and claims	(103,93,14.41)	(116,19,15.79)
	4	सह-बीमाकर्ताओं को भुगतान - दावा वसूली को घटा कर Payment to co-insurers, net of claims recovery	-	-
	5	दावों की अदायगी Payments of claims	(897,79,70.24)	(548,50,41.55)
	6	कमीशन व ब्रोकरेज की अदायगी Payments of commission & brokerage	(2,02,21.05)	(1,94,24.63)
	7	अन्य परिचालन व्ययों की अदायगी Payments of other operating expenses	(131,93,43.01)	(127,09,67.55)
	8	प्रारंभिक एवं परिचालन पूर्व खर्च Preliminary and Pre operative expenses	-	-
	9	जमा, अग्रिम व कर्मी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	(2,06,41.44)	61,15.21
	10	अदा किया गया आय कर (शुद्ध) Income Tax Paid (Net)	(170,26,95.42)	(176,07,93.89)
	11	अदा किया गया सेवा कर Service Tax Paid	(2,15,50.52)	(2,32,00.38)
	12	अन्य अदायगियाँ / एकत्रण (शुद्ध) Other Payments / Collection (net)	38,38,69.64	(15,69.39)
	13	असाधारण मदों के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	231,62,15.32	341,33,77.66
	14	असाधारण परिचालन के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations	-	-
	15	परिचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	231,62,15.32	341,33,77.66

FINANCIAL STATEMENTS

(₹ ′000)

			C	(< 000)
		विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	দিগুল বর্ষ / Previous year
ख.		श क्रिया कलापों से नकद प्रवाह		
Β.	CAS	H FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	1	स्थिर परिसम्पत्तियों में सम्मिलन (प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	(54,41,75.59)	(12,49,04.71)
	2	अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	1,20,33.55	39,52.79
	3	निवेश की खरीद Purchase of Investments	(1031,90,99.02)	(902,91,43.99)
	4	ऋण का संवितरण Loan Disbursed	-	-
	5	प्राप्त चुकौती Repayment Received	-	-
	6	निवेशों की बिक्री Sale of Investment	2728,02,77.46	2256,08,64.26
	7	प्राप्त किराया / ब्याज / लाभांश Rent / Interest / Dividends Received	436,33,32.31	364,07,15.34
	8	मुद्रा बाजार के उपकरणों और नकदी म्यूच्युअल फंडों में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	(2373,98,09.36)	(2023,64,99.03)
	9	निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(81,80.62)	(55,30.09)
	10	निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(295,56,21.27)	(319,05,45.43)
ग. C		ीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह H FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	1	शेयर पूंजी जारी करने से आय Proceeds from issuance of share capital	100,00,00.00	100,00,00.00
	2	उधारी से प्राप्त आय Proceeds from borrowings	-	-
	3	उधारी की चुकौती Repayment of borrowings		
	4	ब्याज / लाभांश प्रदत्त Interest / Dividend paid	(60,00,00.00)	(27,00,00.00)
	5	वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	40,00,00.00	73,00,00.00
घ. D.		द और नकद समकक्ष पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव, शुद्ध (घ) ct of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net (D)	34,81.11	18,98.34

(₹ ′000)

			((000)
	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current year	দিন্তল বর্ষ / Previous year
	शुद्ध नकद प्रवाह (क + ख + ग + घ) Net Cash Flow (A + B + C + D)	(23,59,24.83)	95,47,30.57
ਤ. E.	नकद व नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धिः Net increase in Cash and Cash equivalents:		
	1 - वर्ष के आरंभ में at the beginning of the year	997,91,98.26	902,44,67.50
	2 - वर्ष के अंत में at the end of the year	974,32,73.42	997,91,98.26
	नकदी व नकद समकक्ष में परिवर्तन Change in Cash and Cash equivalent	23,59,24.83	(95,47,30.76)

(एन.शंकर) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **(N. Shankar)** Chairman-cum-Managing Director

> **(यदुवेंद्र माथुर)** निदेशक **(Yaduvendra Mathur)** Director

(अरविंद मेहता) निदेशक **(Arvind Mehta)** Director **(पी.के.मिश्रा)** निदेशक **(P.K. Mishra)** Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे) निदेशक (Ajay Muralidhar Ponkshe) Director

(स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (Smita Pandit) Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू For P. M. Dalvi & Co. Chartered Accountants Firm Regn. No. 102065W

> (माधव नांदगावंकर) भागीदार (Madhav Nandgaonkar) Partner

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई, 2014 Dated : 13th May, 2014

कृते आरएसवीए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू For RSVA & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 110504W

> (बी. एन. राव) भागीदार (B. N. Rao) Partner

प्रबंधन रिपोर्ट MANAGEMENT REPORT

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों व बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रस्तुति) विनियमन 2002 की अनुसूची ''ख'' के भाग IV में अपेक्षित प्रबंधन रिपोर्ट।

- हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2013-14 के लिए प्रमाण पत्र संख्या 449 दिनांक 08/02/2013 के जरिए नवीनीकृत किया गया है।
- हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले सभी देयों का भुगतान / प्रावधान किया जा चुका है।
- हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारकों का स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी की गई पॉलिसियों के धारकों की निधियों को भारत के बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवेश नहीं किया गया है।
- 5. हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता सीमा को बनाए रखा गया है।
- 6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गई है व हमारी उत्तम जानकारी के अनुसार तुलन पत्र में विविध शीर्षों - '' ऋण'', ''निवेश'', ''विविध लेनदार'', ''नकद'' व ''कुछ मदों को वर्तमान परिसंपत्तियों'' के अधीन दर्शाई गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य उनकी पुनः बिक्री अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं है।
- 7. वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के द्वारा निगम का समग्र ऋण जोखिम ₹75879,94,00.00 हजार से ₹100000,00,00.00 हजार की अधिकतम देयता तक बढ़ाया है। निगम का ऋण जोखिम इस संबंध में साधारण बीमा कंपनियों के लिए आई. आर. डी. ए. द्वारा अनुबध्द सीमा के भीतर है।
- हमारा कोई भी विदेशी परिचालन नहीं है। सितंबर 2013 से संपर्क कार्य के लिए लंदन, यू.के. में हमारा प्रतिनिधि कार्यालय है।

(₹ '000)

9. पिछले पाँच वर्षों से बकाया दावों का विवरण निम्नानुसार है :

दिनांक 31/03/2014 को वित्तीय वर्ष 2013-14 तक लंबित दावे

						(* 000)
अवधि	ई	.सी.आई.बी.	पॉलिसी		कुल	
ઝવાધ	. सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	. सं.	निहित राशि
30 दिन	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70
30 दिन से 6 माह	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83
6 माह से 1 वर्ष तक	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	192	916,39,00.98	191	104,63,37.52	383	1021,02,38.50

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

- 1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority is valid during the year. The same was renewed for the year 2013-14, vide their certificate no: 449 dated 08/02/2013.
- 2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
- 3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
- 4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
- 5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
- 6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings -'Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.
- 7. The overall exposure of the Corporation is ₹75879,94,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Corporation is well within the relevant limits stipulated by IRDA in this regard for general insurance companies.
- 8. We do not have any overseas operations. We have a representative office in London, UK since September, 2013 for liaisoning work.
- 9. Ageing of claims outstanding during the preceding 5 years is as per details below:

Claims Pending as on 31/03/2014, Financial Year 2013-14 (₹ '000)

						(* 000)	
		ECIB		Policy		Total	
Period	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	
30 Days	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70	
30 Days to 6 Months	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83	
6 Months to 1 Year	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40	
1 year to 5 years	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57	
5 years & above	-	-	-	-	-	-	
Total	192	916,39,00.98	191	104,63,37.52	383	1021,02,38.50	

प्रबंधन रिपोर्ट

No.

108

68

10

-

186

Policy

Amount

Involved

75,82,88.94

32,23,25.20

152,18,20.48

260,24,34.62

Claims Pending as on 31/03/2013, Financial Year 2012-13

ECIB

No.

60

67

7

-

-

134

Amount

Involved

481,23,31.70

460,70,29.67

31,86,74.55

973,80,35.92

Claims Pending as on 31/03/2012, Financial Year 2011-12

--

Period

30 Days to 6 Months

6 Months to 1 Year

1 year to 5 years

5 years & above

Total

30 Days

दिनांक 31/03/2013 तक लंबित दावे, वित्तीय वर्ष 2012-13

						(₹ '000)	
अवधि	ई	.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
ઝવાધ	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	
30 दिन	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64	
30 दिन से 6 माह	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87	
6 माह से 1 वर्ष तक	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03	
१ वर्ष से ५ वर्ष तक	-	-	-	-	-	-	
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-	
कुल	134	973,80,35.92	186	260,24,34.62	320	1234,04,70.54	

दिनांक ३१/०३/२०१२ तक लंबित दावे, वित्तीय वर्ष २०११-१२

						(1 000)
अवधि	ई.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
अवाध		निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 दिन से 6 माह	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 माह से 1 वर्ष तक	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	178	739,34,17.38	148	123,09,28.24	326	862,43,45.62

(₹ '000)

						(₹ '000)
		ECIB	Policy		Total	
Period	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 Days to 6 Months	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 Months to 1 Year	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	178	739,34,17.38	148	123,09,28.24	326	862,43,45.62

दिनांक ३१/०३/२०११ तक लंबित दावे, वित्तीय वर्ष २०१०-११

	ई.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
अवधि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81
30 दिन से 6 माह	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81
6 माह से 1 वर्ष तक	65	394,56,69.16	-	-	65	394,56,69.16
१ वर्ष से ५ वर्ष तक	26	139,42,65.73	-	-	26	139,42,65.73
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	249	1489,86,27.45	156	77,33,61.06	405	1567,19,88.51

दिनांक 31/03/2010 तक लंबित दावे, वित्तीय वर्ष 2009-10

(₹ '000)

(₹ '000)

अवधि	ई	ई.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
अवाध	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	
30 दिन	70	144,93,59.43	122	59,20,43.04	192	204,14,02.47	
30 दिन से 6 माह	96	457,39,34.69	70	29,46,87.52	166	486,86,22.21	
6 माह से 1 वर्ष तक	-	-	22	89,81,33.51	22	89,81,33.51	
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	9	48,48,27.18	9	48,48,27.18	
५ वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-	
कुल	166	602,32,94.12	223	226,99,91.25	389	829,29,85.37	

Claims Pending as on 31/03/2011, Financial Year 2010-11

51,49.78	
-	В
-	EP
43,45.62	E
	F
	믤
(7	E
(₹ '000)	Ă
	AN
ount	\geq

		ECIB		Policy		Total	
Period	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	
30 Days	52	212,06,55.05	125	50,23,32.76	177	262,29,87.81	
30 Days to 6 Months	106	743,80,37.51	31	27,10,28.30	137	770,90,65.81	
6 Months to 1 Year	65	394,56,69.16	-	-	65	394,56,69.16	
1 year to 5 years	26	139,42,65.73	-	-	26	139,42,65.73	
5 years & above	-	-	-	-	-	-	
Total	249	1489,86,27.45	156	77,33,61.06	405	1567,19,88.51	

Claims Pending as on 31/03/2010, Financial Year 2009-10

(₹ '000)

	ECIB			Policy		Total	
Period	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	
30 Days	70	144,93,59.43	122	59,20,43.04	192	204,14,02.47	
30 Days to 6 Months	96	457,39,34.69	70	29,46,87.52	166	486,86,22.21	
6 Months to 1 Year	-	-	22	89,81,33.51	22	89,81,33.51	
1 year to 5 years	-		9	48,48,27.18	9	48,48,27.18	
5 years & above	-		-	-	-	-	
Total	166	602,32,94.12	223	226,99,91.25	389	829,29,85.37	

(₹ '000)

Total

No.

168

135

17

-

-

320

Amount

Involved

557,06,20.64

492,93,54.87

184,04,95.03

1234,04,70.54

-

-

 दावों की अवधि जो कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान दावों के औसत निपटान समय की प्रवृत्ति को दर्शाता है, निम्नवत है :

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान दावा निपटान करने की अवधि

						(000)	
अवधि	ई	.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
ઝવાય	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	
30 दिन	52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56	
30 दिन से 6 माह	104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51	
6 माह से 1 वर्ष तक	19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55	
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11	
५ वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-	
कुल	175	639,54,51.11	383	257,94,57.62	558	897,49,08.73	

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दावा निपटान करने की अवधि

	ई.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
अवधि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 दिन से 6 माह	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 माह से 1 वर्ष तक	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
१ वर्ष से ५ वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	197	434,80,79.50	477	113,69,62.05	674	548,50,41.55

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान दावा निपटान करने की अवधि

-					
(₹	1	0	n	N	1

(₹ '000)

(₹ '000)

अवधि	ई	ई.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
अवाध	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	
30 दिन	64	36,01,56.99	297	38,45,50.06	361	74,47,07.05	
30 दिन से 6 माह	151	434,93,81.69	194	48,41,09.18	345	483,34,90.87	
6 माह से 1 वर्ष तक	22	155,04,33.52	1	5,06.23	23	155,09,39.75	
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	-	-	8	3,98.72	8	3,98.72	
5 वर्ष व अधिक	-	-	1	7,86.31	1	7,86.31	
कुल	237	625,99,72.20	501	87,03,50.50	738	713,03,22.70	

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान दावा निपटान करने की अवधि

(₹ '000)

अवधि	ई	.सी.आई.बी.	पॉलिसी		कुल	
अवाध	.सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	61	17,09,64.96	382	57,01,52.03	443	74,11,16.99
30 दिन से 6 माह	180	361,76,89.18	247	103,54,26.08	427	465,31,15.26
6 माह से 1 वर्ष तक	17	80,76,36.64	3	34,02.71	20	81,10,39.35
१ वर्ष से ५ वर्ष तक	-	-	-	-	-	-
५ वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	258	459,62,90.78	632	160,89,80.82	890	620,52,71.60

10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per details below :

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2013-14

					(₹ 1000)	
	ECIB		Policy		Total	
No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	
52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56	
104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51	
19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55	
-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11	
-	-	-	-	-	-	
175	639,54,51.11	383	257,94,57.62	558	897,49,08.73	
	52 104 19 -	Amount Involved 52 24,31,30.17 104 480,51,56.02 19 134,71,64.92 - - - -	Amount Involved No. 52 24,31,30.17 157 104 480,51,56.02 211 19 134,71,64.92 13 - - 2 - - 2	No. Amount involved No. Amount involved 52 24,31,30.17 157 23,90,01.39 104 480,51,56.02 211 77,23,78.49 19 134,71,64.92 13 8,15,34.63 - - 2 148,65,43.11 - - - -	Amount Involved No. Amount Involved No. 52 24,31,30.17 157 23,90,01.39 209 104 480,51,56.02 211 77,23,78.49 315 19 134,71,64.92 13 8,15,34.63 32 - - 2 148,65,43.11 2 - - - - -	

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2012-13

(₹	(000)
· ·	/

		ECIB	Policy		Total	
Period	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 Days to 6 Months	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 Months to 1 Year	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	
Total	197	434,80,79.50	477	113,69,62.05	674	548,50,41.55

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2011-12

(₹ '000)

	ECIB		Policy		Total	
Period	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	64	36,01,56.99	297	38,45,50.06	361	74,47,07.05
30 Days to 6 Months	151	434,93,81.69	194	48,41,09.18	345	483,34,90.87
6 Months to 1 Year	22	155,04,33.52	1	5,06.23	23	155,09,39.75
1 year to 5 years	-	-	8	3,98.72	8	3,98.72
5 years & above	-	-	1	7,86.31	1	7,86.31
Total	237	625,99,72.20	501	87,03,50.50	738	713,03,22.70

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2010-11

(₹ '000)

	ECIB		Policy		Total	
Period	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	61	17,09,64.96	382	57,01,52.03	443	74,11,16.99
30 Days to 6 Months	180	361,76,89.18	247	103,54,26.08	427	465,31,15.26
6 Months to 1 Year	17	80,76,36.64	3	34,02.71	20	81,10,39.35
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	258	459,62,90.78	632	160,89,80.82	890	620,52,71.60

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दावा निपटान करने की अवधि

						(₹ '000)
अवधि	ई.सी.आई.बी.		पॉलिसी		कुल	
	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि	सं.	निहित राशि
30 दिन	91	53,71,71.35	535	89,26,26.46	626	142,97,97.81
30 दिन से 6 माह	156	292,50,94.73	328	180,68,86.00	484	473,19,80.73
6 माह से 1 वर्ष तक	4	25,35,58.69	1	7,50.00	5	25,43,08.69
१ वर्ष से ५ वर्ष तक	2	11,92.42	-	-	2	11,92.42
5 वर्ष व अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	253	371,70,17.19	864	270,02,62.46	1117	641,72,79.65

 हम प्रमाणित करते हैं कि निवेशों को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही मूल्यांकित किया गया है।

- 12. सभी निवेश परिसंपत्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा हम यह भी पुष्टि करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी भी प्रकार की अनर्जक परिसंपत्तियां नहीं हैं।
- 13. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि :
 - क. वित्तीय विवरण तैयार करते समय लेखागत मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।
 - ख. प्रबंधन ने लेखागत नीतियों को अपनाया है, तथा आई. आर.डी.ए. विनियमों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के अलावा नियमित रूप से उनका अनुपालन किया गया है तथा युक्तसंगत व विवेकशील निर्णय व अनुमान किए गए ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कारोबार व वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा शुध्द लाभ की स्थिति के संबंध में सही व उचित तथ्य उजागर हो सकें।
 - ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा एवं अन्य अनियमितताओं को टालने के लिए बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 के 1) अनुसार लेखागत रिकॉर्डों के पर्याप्त रखरखाव के लिए सही तथा समुचित सावधानी बरती है।
 - घ. यह कि प्रबंधन ने चालू आधार पर वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं।
 - ङ. यह कि प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है व यह प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित हो रही है।

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2009-10

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	91	53,71,71.35	535	89,26,26.46	626	142,97,97.81
30 Days to 6 Months	156	292,50,94.73	328	180,68,86.00	484	473,19,80.73
6 Months to 1 Year	4	25,35,58.69	1	7,50.00	5	25,43,08.69
1 year to 5 years	2	11,92.42	-	-	2	11,92.42
5 years & above	-		-		-	-
Total	253	371,70,17.19	864	270,02,62.46	1117	641,72,79.65

- 11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority.
- All Investment assets are reviewed periodically and we confirm that there are no non-performing assets as per Reserve Bank of India Prudential Norms.
- 13. We hereby confirm:
 - That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.
 - b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDA Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.
 - c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 1956 (1 of 1956) for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
 - d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.
 - e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

14. ऐसी किसी भी कंपनी, व्यक्तिगत फर्मों तथा संगठन को अदायगी नहीं की गई है जिनमें कंपनी के निदेशकों का कोई हित है सिवाय उन सौदों के जो कि कारोबार के सामान्य प्रक्रिया के दौरान किए गए हों।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

(यदुवेंद्र माथुर)

निदेशक

(Yaduvendra Mathur) Director 14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For Export Credit Guarantee Corporation of India Limited

(एन.शंकर) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (N. Shankar) Chairman-cum-Managing Director (अरविंद मेहता) निदेशक (Arvind Mehta) Director (पी.के.मिश्रा) निदेशक (P.K. Mishra) Director

(अजय मुरलीधर पोंक्षे) निदेशक (Ajay Muralidhar Ponkshe) Director

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई 2014 Dated : 13th May, 2014

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पी एम दलवी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 26, लक्ष्मी नारायण बाग, बाल गोविंद दास रोड, माहिम (पश्चिम), मुंबई - 400 016 **आरएसवीए एंड कंपनी** सनदी लेखाकार Block 1, 3rd Floor, खैतान चेंबर्स,, 143-145 मोदी स्ट्रिट, फोर्ट, मुंबई - 400 001

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, मुंबई के सदस्यों के लिए

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने 31 मार्च 2014 तक के भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (निगम) के संलग्न तुलन पत्र तथा उसके साथ समाप्त वर्ष के लिए संलग्न राजस्व खाते, लाभ व हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्ति व भुगतान खाता) की लेखा परीक्षा की है जिसमें अन्य लेखा परीक्षक फर्मों द्वारा लेखा परीक्षित उसकी चौवन शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय में रिकार्ड किए गए लंदन प्रतिनिधि कार्यालय से संबंधित वित्तिय लेन देन के विवरण भी शामिल हैं। निम्न उल्लिखित के अलावा, तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा प्राप्ति व भूगतान खाता बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों के लेखा परिक्षकों के रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के साथ पढे जाने वाले, के अनुसार तैयार किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक एवं भारत में सामान्यतया स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांत (जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सिंतबर 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में प्रयोज्य होना जारी रहेंगे।)

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह (प्राप्ति व भुगतान खाता) बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों के लेखा परिक्षकों के रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के अनुसार तैयार किए गए है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक एवं अन्य लेखांकन सिद्धांत (जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सिंतबर 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 के संदर्भ में

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

P M Dalvi & Co.

Chartered Accountants 26, Laxmi Narayan Baug, Bal Govind Das Road, Mahim (W), Mumbai - 400 016 RSVA & Co. Chartered Accountants Block 1, 3rd Floor, Khaitan Chambers, 143-145 Modi Street, Fort, Mumbai - 400 001

To the Members of

Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Mumbai.

1 Report on the Financial Statements:

We have audited the attached Balance Sheet of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited (the Corporation) as at 31st March, 2014 and the Revenue Account, the Profit and Loss Account and also the Cash Flow Statement (Receipts & Payments Account) for the year ended on that date annexed thereto, which includes the returns of fifty four branches which are audited by other firms of auditors and also the financial transactions in respect of London Representative office recorded at Head Office. The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) have been drawn up in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 1956 ("the Act), Accounting Standards notified under the Act (which continues to be applicable in respect of section 133 of Companies Act, 2013 in terms of General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs) and other accounting principles generally accepted in India.

2 Management's Responsibility for the Financial Statements:

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow (Receipts and Payments Account) of Corporation in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 1956 ("the Act), Accounting Standards notified under the Act (which continues to be applicable in

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में प्रयोज्य होना जारी रहेंगे।) उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो वास्तविक तथा उचित चित्रण प्रस्तुत करते है तथा महत्वपूर्ण और मिथ्याकथन से मुक्त होते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी से हों या गलती से।

3. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :

हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा का मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों की अपेक्षा यह है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस तरह से करें कि इसके बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जाएं कि वित्तीय विवरण वास्तविक असत्य कथन से मुक्त हों।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच राशि के समर्थन में सबूत तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल होता है। वित्तीय विवरणों के वास्तविक असत्य कथन के जोखिम मूल्यांकन सहित चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों के लिए लेखा परीक्षक, निगम के तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन में वित्तीय विवरणों की सही प्रस्तुती पर विचार करते है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए लेखागत सिद्धांतों व महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन व साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुती का मूल्यांकन भी शामिल किया जाता है।

हम मानते हैं कि हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के निर्धारण हेतु हमें प्रदान किए गए लेखा परीक्षा प्रमाण, पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

4. मामले को महत्व देते हुए :

हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि :-

क. अनुसूची 17 के नोट संख्या 3 के अनुसार ₹650.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹650.76 हज़ार) की कुल सम्पत्ति है जहाँ उचित प्राधिकारियों के पास पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की गई है व ₹57,651.06 हज़ार (पिछले वर्ष ₹57,511.06 हज़ार) की कुल सम्पत्ति है जहाँ उसके लिए किए गए समझौते लापता हैं / निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि निगम के पास मूल शेयर प्रमाणपत्र है जिससे यह साबित होता है कि निगम इन संपत्तियों का विधिक स्वामी है। respect of section 133 of Companies Act, 2013 in terms of General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs). This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

3 Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

4 Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties costing ₹650.76 thousands (previous year ₹650.76 thousands) where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties costing ₹57,651.06 thousands (previous year ₹57,511.06 thousands), where agreements are lost/presently not available with the Corporation, though the Corporation is in possession of original share certificates which vests the Corporation with legal ownership of the properties;

- ख. 31 मार्च 2014 तक प्रदत्त परंतु रिपोर्ट न किए गए दावों (आई बी एन आर) तथा प्रदत्त परंतु पर्याप्त रुप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन ई आर) के संबंध में देयताओं के बीमांकित मूल्यांकन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वे निगम के परामर्श बीमांकक द्वारा प्रमाणित हैं तथा उनके द्वारा इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए किए गए पूर्वानुमान आई आर डी ए तथा आई आर डी ए की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्था द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों तथा मानदंडों के अनुसार हैं।
- ग. अनुसूची 17 के नोट संख्या 14 जो कि विविद देनदार, विविध लेनदार व जमा, व अन्य देयताएँ, ऋण, अग्रिम तथा वसूली योग्य राशि सहित आस्तियाँ तथा एकल बही खाता, बीमाकृत का शेष, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खाता सहित विविध जमा के अधीन कुछ शेषों का मिलान व तदुपरांत समायोजन लंबित है।
- ड. अनुसूची के 16 के परिच्छेद 8.1 पर लेखांकन नीति अल्पावधि रक्षाओं / पॉलिसियों के अंतर्गत 31.03.2014 को दावों के संबंध में लेखांकन अनुमान तरीके में परिवर्तन के कारण अनुसूची 17 की नोट संख्या 35 के साथ पठित "विशेष लेखांकन नीतियाँ" अभी भी संसाधित किया जाना है, बकाया दावों के लिए अनुमानित प्रावधान ₹425,26,44.60 हजार तक कम हैं जो पुनर्बीमा के प्रभाव को विचार किए बगैर है और वर्ष के लिए लाभ के परिणाम स्वरूप लेखा परीक्षा के अंतर्गत उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।
- च. वेतन संशोधन के संबंध में अनुसूची 17 के नोट 6.2, निगम ने वेतन संशोधन के कारण कर्मचारियों के भुगतान के लिए संवर्धित दायित्व के रूप में ₹81,370 हजार का प्रावधान किया है जो अनुमान के आधार पर है जिसमें से ₹29,854 हजार पूर्व अवधि के लिए है और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष का लाभ उसी राशि के बराबर कम दर्शाया गया है।
- छ. बीमा अधिनियम 1938 के अधीन निर्धारित जमा आवश्यकता संबंधी अनुपालन के लिए निगम ₹99,525 हज़ार (पिछले वर्ष ₹99,525 हज़ार) को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया है (अनुसूची 17 के नोट संख्या 5.3 का संदर्भ लें)। इस प्रकार के निवेशों के बकाया शेष को "अग्रिम व अन्य परिसम्पत्तियाँ" में वर्गीकृत किया गया है।

5. अभिमतः

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) अधिनियम 2002 (बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरण को तैयार करने) के लिए तथा कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के

- b. The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2014 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Corporation and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by him for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDA and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDA;
- c. Note no. 14 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;
- d. Accounting Policy at para no. 8.1 of schedule 16 "Significant Accounting Policies" read with note no. 35 to schedule 17 on account of change in method of accounting estimates in respect of claims yet to be processed as on 31.03.2014 under ST covers / policies, the estimated provision for outstanding claims is lower by an amount of ₹425,26,44.60 thousands without considering impact of reinsurance and as a result profit for the year under audit is overstated to the said extent;
- e. Note 6.2 to Schedule 17 regarding wage revision, the corporation has made a provision of ₹81,370 thousand towards incremental liability on account of payments to employees due to wage revision on estimate basis out of which ₹29,854 thousands pertains to prior period and as a result the profit for the year is understated by the corresponding amount;
- f. To comply with the deposit requirement stipulated under the Insurance Act, 1938, the Corporation has invested ₹99,525 thousands (Previous year ₹99,525 thousands) in the government securities (Refer note no. 5.3 to Schedule 17). The outstanding balance of such Investment is classified under "Advances and Other Assets".

5 Opinion:

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation

अनुसार तैयार किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक (जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सिंतबर 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में प्रयोज्य होना जारी रहेंगे।) जो लेखांकन नीतियों एवं उस पर नोट के साथ पठित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के दृष्टि से सही एवं स्वच्छ चित्र प्रस्तुत करती है।

- तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2014 तक के निगम के मामलों को शामिल किया गया है।
- ii. राजस्व खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिशेष को शामिल किया गया है।
- iii. लाभ व हानि खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ को शामिल किया गया है तथा ;
- iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्ति व भुगतान खाते) के मामले में, उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्राप्ति व भुगतान को शामिल किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

- 6.1 अधिनियम के खंड 227 (3) के आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि :
 - क. हमने हमारे उत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार हमारी लेखा
 परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व सभी
 स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं व उसे संतोषजनक पाया है।
 - ख. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र में राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्ति व भुगतान खाता) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक एवं अन्य लेखांकन सिद्धांत (जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 सिंतबर 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में प्रयोज्य होना जारी रहेंगे।) का पूर्ण अनुपालन किया गया है।
 - ग. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के अंतर्गत लेखा परीक्षित शाखा कार्यालय के लेखों की रिपोर्ट जो कंपनी के लेखा परीक्षकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षित है और धारा 228 के उपधारा 3 के खंड (ग) द्वारा यथाअपेक्षित हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा आवश्यक समझें गए तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार करने में लिया गया है।
 - घ. हमारी राय में उचित लेखा बहियों का रखरखाव जो कि एक वैधानिक आवश्यकता है, का निगम द्वारा पूरा पालन

of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 1956 ("the Act"), Accounting Standards notified under the Act (which continues to be applicable in respect of section 133 of Companies Act, 2013 in terms of General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs) read with the accounting policies and notes there on give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- i. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2014;
- ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the financial year ended on that date;
- iii. In the case of Profit & Loss Account, of the Profit for the financial year ended on that date; and
- iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payment during the financial year ended on that date.

6 Report on other Legal and Regulatory Requirements:

- 6.1 As required by section 227(3) of the Act, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and found them satisfactory;
 - b. The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement (Receipt and Payment Account) referred to in this report comply with the Accounting Standards notified under the Companies Act,1956 (which continues to be applicable in respect of section 133 of Companies Act,2013 in terms of General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs);
 - c. The report on the accounts of the branch offices audited under section 228 of the Companies Act, 1956 by a person other than the company's auditor has been forwarded to us as required by clause (c) of sub-section (3) of section 228 and have been dealt with in preparing our report in the manner considered necessary by us;
 - In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as appears from our examination of those books. The reports of the branch auditors on the returns of the branches audited by such auditors have

किया गया है जैसा कि उन बहियों की जाँच से ज्ञात होता है। शाखा के विवरणों की लेखा परीक्षा करने वाले शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को हमें उपलब्ध करवाया गया है तथा उन्हें हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाया गया है।

- इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह (प्राप्ति व भुगतान खाता) संबंधी विवरणों को लेखा व विवरणों के बहियों के अनुसार पाया गया।
- छ. कंपनी के निवेश बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 आईआरडीए के प्रावधानों (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) तथा विनियम 2002 के अनुसार ही हैं।
- ज. कंपनी मामले विभाग ने परिपत्र संख्या 8/2002 दिनांक 22.03.2002 के ज़रिए सरकारी कंपनियों के निवेशकों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 271(1) (जी) के प्रावधानों की अनुप्रयोज्यकता से मुक्त कर दिया है।
- 6.2 बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के विनियमन 3 के अनुसूची ग के अनुसार निपटारा किए जाने वाले मामले (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियमए 2002 की सूचना नहीं दी गई।
 - क. सिवाय उपर उल्लिखित पैरा 4 ख, में उल्लिखित के अलावा निगम द्वारा अपनाई गई सभी लेखागत नीतियाँ उचित हैं तथा वे कंपनी अधिनियम 1956, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में कंपनी कार्य मंत्रालय के 13 सितंबर 2013 के सामान्य परिपत्र सं 15/2013 के साथ है तथा इस संबंध में आई आर डी ए द्वारा निर्धारित विनियमों तथा आदेशों/निदेशों द्वारा निर्धारित लेखागत सिद्धातों के साथ पठनीय है।
 - ख. हमने शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर बने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन के रिपोर्ट की समीक्षा की है व पाया कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की गलती नहीं की गई है न ही वित्तीय विवरणों से संबंधित कोई तथ्यपरक असंगति पाई गई है।
 - ग. प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उपधारा 4 में निर्धारित पंजीकरण के निबंधनों व शर्तों का पूरा अनुपालन किया है।
 - घ. हमने नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहाँ लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है व नकद शेषों की

been made available to us and so far appears from our examination the same have been found to be adequate for the purpose of our audit;

- e. The Balance Sheet, Revenue Account, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this report are in agreement with the books of accounts maintained at Head Office and returns received from the branches;
- f. The Company has valued its investments in accordance with provisions of The Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002;
- g. Vide circular no. 8/2002 dated 22-03-2002 issued by the Department of Company Affairs, the directors of the government companies are exempted from applicability of the provisions of section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956;
- 6.2 Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and development authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere are as under:
 - a. The accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards notified under the Companies Act,1956 read with General Circular 15/2013 dated 13 September 2013 of Ministry of Company Affairs in respect of section 133 of Companies Act, 2013 and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/ directions prescribed by IRDA in this regard.
 - b. We have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there is no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;
 - As per the explanation given by the management, the Corporation has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;
 - d. We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors) and

पुष्टि संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।) तथा ऋणों व निगम द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित प्रतिभूतियों की वास्तविक जाँच करने अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने सिवाय उनके जो बैंकों के पास मौजूद हैं व जिनके विषय में बैंकों से पुष्टि प्राप्त हो गई है, का सत्यापन किया है।

- च. हमें दी गई उत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण के तथा निगम द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है;
- निगम ने पिछले तुलन पत्र के आधार पर मदों की प्रकृति छ के अनुसार शेयर धारकों की निधियों व पॉलिसीधारकों की निधियों का वर्गीकरण कर लिया है तथा तदनुसार आय को राजस्व काता तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत कर लिया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1बी) के अनुसार शेयर धारकों तथा पॉलिसी धारको लिए अलग से कोई खाता नहीं बनाया गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, जानकारी की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध रिकॉर्डों से इस प्रकार की निधियों के उपयोग की जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेखा बहियों के सत्यापन तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण व उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के अनुसार पॉलिसीधारोकों की निधियों के विनियोग तथा उनके निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत पॉलिसीधारकों की परिसम्पत्तियों का अथवा उनके किसी अंश का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रतिकूल उपयोग नहीं किया जा रहा है।

securities relating to the loans and investments made by the corporation by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

- e. To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Corporation, the Corporation is not a trustee of any trust; and
- f. The Corporation has segregated Shareholders' funds and Policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit & Loss Account. Since no separate accounts relating to Shareholders and Policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the accounts and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the Policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the Policyholders' funds.

कृते पी एम दलवी एंड कंपनी	कृते आरएसवीए एंड कंपनी	For P M Dalvi & Co.	For RSVA & Co.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	Chartered Accountants	Chartered Accountants
फर्म पंजीकरण संख्या 102065 डब्ल्यू	फर्म पंजीकरण संख्या 110504 डब्ल्यू	Firm Registration No. 102065W	Firm Registration No. 110504W
(माधव एन. नांदगांवकर)	(बी.एन.राव)	(Madhav N Nandgaonkar)	(B N Rao)
भागीदार	भागीदार	Partner	Partner
सदस्यता संख्या १०९४३८	सदस्यता संख्या 039555	Membership No. 017899	Membership No. 039555
स्थान ः नई दिल्ली दिनांक ः १३ मई २०१४		Place : New Delhi Dated : 13 th May, 2014	


MONITORING

जोखिम कम करने के उपाय

पहचान किस गस जोखिमों के अनुरूप प्रत्येक संगठन को जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपाय अपनाने चाहिये निर्यातों के लिस, इसमे बीमाकर्ताओ के साथ जोखिमों की हिस्सेदारी, प्रारक्षित निधि (स्वयं बीमा) का संचयन, अथवा हानि के जोखिमों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने हेतु संतुलित कारोबार रणनीति का चयन करना शामिल है। निर्यात सौदों में, मुद्रा जोखिमों की, वाणिज्यिक बैंकों के साथ वायदा विनिमय रक्षा करार के द्वारा बचाव हेतु प्रतिरक्षा की जा सकती है तथा समुद्री जोखिमों को साधारण बीमाकर्ताओ से संरक्षित किया जा सकता है । निर्यात ऋण बीमा रजेंसियों के साथ ऋण जोखिमों की भगीदारी, उधर शर्तों पर किस जाने वाले निर्यातों के लिस सक आदर्श प्रशामक है क्योंकि यह खरीदार / देशों की उधारपात्रता का सत्यापन करता है, ऋण वसूली हेतु सुविधा सेवा उपलब्ध कराता है व नस विश्व बाजारों / नस खरीदरों के साथ व्यापार की खोज करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

Risk Mitigation Measures

Every organisation needs to adopt effective risk mitigation measures in consonance with identified risks. For exports, these may include risk-sharing with Insurers, accumulation of a Reserve (self insurance), or opting for a conservative business strategy to minimise risks to acceptable levels. In export transactions, the currency risk can be hedged through forward exchange contracts with commercial banks and the marine risk can be insured with General Insurers. Sharing of credit risks with an Export Credit Insurance Agency is an ideal mitigant for exports on credit terms, as it enables verification of credit worthiness of the buyer/country, facilitates debt collection and encourages exploration of business with new buyers/in new global markets.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी COMMENTS OF CAG





भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -। मुम्बई.

गोपनीय जी ए /आर-1/ए/सी एस // ई सी जी सी/2013-14/101 17 जून 2014

प्रति,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुम्बई - 400 021.

विषयः वर्ष 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4)के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

इसके साथ वर्ष 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न हैं। टिप्पणियों को प्रिंट किए जानेवाले वार्षिक रिपोर्ट में विषय वस्तु में इंगित करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए।

प्रमाणित लेखों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को अपनाने के लिए आयोजित वार्षिक साधारण बैठक (ए जी एम) की कार्यवाही को वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति के तत्काल पश्चात इस कार्यालय को भेजें. प्रिंट किए गए वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियों को भी इस कार्यालय को भेजें।

इस पत्र तथा संलग्नकों की प्राप्ति सूचना से अवगत कराएँ।

भवदीय,

(वाय.एन. ठाकरे)

प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -।, मुम्बई.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-I MUMBAI

CONFIDENTIAL GA/R-I/A/CS/ ECGC/2013-14/101 17 JUN 2014

The Chairman-cum-Managing Director, Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Sub: Comments of the Comptroller And Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2014

Sir,

Please find enclosed the Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2014. The comments may be placed next to the Statutory Auditors' report with a proper indication in the list of contents in the Printed Annual Report.

A copy of the proceedings of the Annual General Meeting (AGM) adopting the certified accounts and Statutory Auditors' report and comments of the Comptroller and Auditor General of India may be forwarded to this office immediately after the conclusion of the AGM. Ten copies of the printed Annual Report may also be sent to this office.

Receipts of this letter and the enclosures may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Y.N. Thakare) Principal Director of Commercial Audit & ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Encl: As above

संलग्न ः यथोक्त

वर्ष 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2014

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों 2002 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रस्तुती) तथा कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढ़ांचे के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की व्यवसायिक इकाई भारतीय सदनी लेखाकारों की संस्था द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा व आश्वासनों के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का है। यह कार्य उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13 मई 2014 के ज़रिए किया जा चूका है।

मैंने भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेज़ों का संदर्भ लिए बिना स्वतंत्र रुप से की गई है तथा यह मुख्य रुप से सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी के कार्मिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा कुछ लेखा संबंधी रिकॉर्डों की चयनात्मक आधार पर जाँच तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षा के अनुसार The preparation of financial statements of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 13 May 2014.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Export Credit Guarantee Corporation of India Limited for the year ended 31 March, 2014. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective

56th Annual Report 2013-14 ई सी जी सी E C G C

examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

> For and on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(Y.N. Thakare) Principal Director of Commercial Audit & ex-officio member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai Date : 17 June, 2014

मेरे ध्यान में ऐसा कुछ उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके फलस्वरुप कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन कोई टिप्पणी की जाए अथवा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुपूरक प्रस्तुत किया जाए।

> कृते भारतीय नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की ओर से

(वाय.एन. ठाकरे) प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड -।, मुम्बई.

स्थान ः मुंबई दिनांक : 17 जून 2014







जोखिम कम करने के उपायों की समीक्षा/मॉनिटरिंग

जोखिमों के प्रबंधन की प्रक्रिया हेतु कम्पनियों को लचीलापन अपनाना होगा और वर्तमान जोखिमों का प्रबंध करते हुए नर जोखिमों की पहचान करनी होगी। अपने निर्यात सौतिपूर्ति, जोखिम होने के प्रतिकूल प्रभाव को नष्ट करता है। निर्यात ऋण बीमा सुएक्षा को प्रभारी बनाने हेतु, निर्यातक को चाहिये कि वह बीमाकर्ता से अपनी सभी सम्बंधित जानकारियों को देने में पारदर्शिता बरते, सतर्कतापूर्वक समय पर साख-सीमा प्राप्त करें, पोतलदानों की घोषणा करने व प्रीमियम का भुगतान करने में तत्पर रहे, अतिदेयों की नियमित सूचना दें, संगत जानकारी प्रदान करे, आवश्यक दस्तवेजों को सम्भाल कर रखे । निर्यातक को चाहिये कि हानि को कम करने हेतु बीमाकर्ता की सहमति से व्यवहारिक कदम उठार ।

MITIGATION

Reviewing / Monitoring of Risk Mitigation Measures

The process of managing risks requires Companies to be flexible and to continue to identify new emerging risks, while managing the existing ones. Taking appropriate credit insurance covers for export transactions ensure that the compensation from the insurer evens out the adverse impact of an occurring risk. For the export credit insurance cover to be effective, the exporter needs to be transparent in sharing all relevant information with the insurer, to meticulously obtain timely credit limits, be prompt in declaration of shipments and payment of premium, be regular in reporting overdues, share pertinent information, preserve required documents. The exporter needs to initiate pro-active steps with the concurrence of the insurer, to minimise loss. सेवा तंत्र SERVICE NETWORK



56th Annual Report 2013-14 **ई सी जी सी E C G C**

सेवा तंत्र SERVICE NETWORK

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय REGISTERED OFFICE भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Express Towers, 10 th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66590500 / 0510	webmaster@ecgc.in
लंदन कार्यालय LONDON OFFICE 9, देवनशिर स्क्वेअर, लंदन ईसी2एमएवायएफ. 9, Devonshire Square, London EC2MAYF.	+44(0) 20 36911471	crr.london@ecgc.in
राष्ट्रीय विपणन प्रभाग MARKETING & PR DEPT निर्मल, 5वीं मंजिल, 241/242, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Nirmal, 5 th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66590700 - 709	marketing@ecgc.in
परियोजना निर्यात शाखा PROJECT EXPORT BRANCH दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल,प्लॉट नं. सी-26/27, ''ई'' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7 th Floor, Plot No. C-26/27, ''E'' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	projectexport@ecgc.in
बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई LARGE EXPORTERS BRANCH, MUMBAI दलामल हाउस, 2री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Dalamal House, 2 nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8800-12	leb.mumbai@ecgc.in
बैंक कारोबार शाखा, मुंबई BANK BUSINESS BRANCH, MUMBAI दलामल हाउस, 3री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021 Dalamal House, 3 rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8600-24	bbb.mumbai@ecgc.in
पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION		
पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय WESTERN REGIONAL OFFICE दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, ''ई'' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7 th Floor, Plot No. C-26/27, ''E'' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	wro@ecgc.in
बांद्रा ल व म नि शाखा BANDRA SME BRANCH दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, ''ई'' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7 th Floor, Plot No.C-26/27, ''E'' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bandra.mumbai@ecgc.in
बांद्रा बैंक कारोबार शाखा BANDRA BANK BUSINESS BRANCH दि मेट्रोपोलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी-26/27, ''ई'' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7 th Floor, Plot No.C-26/27, ''E'' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8181 / 8110	bbb.bandra@ecgc.in
अंधेरी शाखा ANDHERI BRANCH 401, टाऊन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के आगे, मरोल, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059 401, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059	(022) 28593856 / 7614	andheri.mumbai@ecgc.in
चर्चगेट शाखा CHURCHGATE BRANCH दलामल हाउस, 2री मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021. फैक्स : (022) 22818859 2 nd Floor, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 22822214 / 2265 / 22832027	churchgate.mumbai@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
ठाणे शाखा THANE BRANCH कुसुमांजली, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे - 400 602 Kusumanjali, 1 st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane - 400 602	(022) 25347815	thane@ecgc.in
अहमदाबाद शाखा AHMEDABAD BRANCH नगीनदास चेम्बर्स, पहली मंजिल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1 st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 2754 4499 / 2925 / 0054	ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा PUNE BRANCH वास्तु चेम्बर्स, पहली मंजिल, 1202/39 शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1 st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 25531998 / 25512871	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा INDORE BRANCH 408, 4थी मंजिल, सिटी सेंटर, 570 एम. जी. रोड, इंदौर - 452 001 408, 4 th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544 215 / 2532 129	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा RAJKOT BRANCH निर्मल - 2री मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, म्युनिसिपल कमिशनर के बंगले के सामने, राजकोट - 360 001 Nirmal - 2 nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465162	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा VADODARA BRANCH 504, कॉनकोर्ड, 6ठीं मंजिल, आर सी दत्त मार्ग, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6 th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2354 728 / 2341615	vadodara@ecgc.in
नागपुर शाखा NAGPUR BRANCH एलॉट नं. 317 (66), 2री मंजिल, रवीन्द्र नाथ टागोर मार्ग, गुप्ता हाउस के सामने, एम.जी. हाउस के बाजू में, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 Plot No.317 (66), 2 nd Floor, Ravindra Nath Tagore Marg, Opp. Gupta House, Beside M.G. House, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 6558503	nagpur@ecgc.in
सूरत शाखा SURAT BRANCH 503, 21 सेंच्युरी बिझिनेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आगे, रिंग रोड, सूरत - 395 002 503, 21 st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 6530488 / 2364074	surat@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय / EASTERN REGIONAL OFFICE ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9 th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963 - 66	ero@ecgc.in
कोलकाता निर्यातक शाखा KOLKATA EXPORTERS BRANCH ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963 - 66	kolkata@ecgc.in
कोलकाता बैंक कारोबार शाखा KOLKATA BANK BUSINESS BRANCH ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9वीं मंजिल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963 - 66	bbb.kolkata@ecgc.in

सेवा तंत्र

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
वाराणसी शाखा VARANASI BRANCH पीसीएफ प्लाजा, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, 3री मंजिल, युनिट नं 1, नादेसार, वाराणसी - 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3 rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864 / 2502534	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा BHUBANESHWAR BRANCH प्लॉट नं. 611, 3री मंजिल, शहीद नगर, भुवनेश्वर - 751 007 Plot No. 611, 3 rd Floor, Sahid Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547772	bhubaneshwar@ecgc.in
गुवाहाटी उप-कार्यालय GUWAHATI SUB-OFFICE शर्मा बिल्डिंग, एचपी ब्रम्हचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रेहबारी, गुवाहाटी - 781 008 Sharma Building, H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635983	guwahati@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - I / SOUTHERN REGION - I		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I / SOUTHERN REGIONAL OFFICE - I देवा टॉवर्स, 7वीं मंजिल, 770-ए, अज्ञा सलाई, चेन्नई - 600 002 Dewa Towers, 7 th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 2849 1026-31	sro-I@ecgc.in
चेन्नई निर्यातक शाखा CHENNAI EXPORTERS BRANCH देवा टॉवर्स, 7वीं मंजिल, 770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002 Dewa Towers, 7 th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 28491026-31	chennai@ecgc.in
चेन्नई बैंक कारोबार शाखा CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH 3री मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, अच्चा सलाई, चेन्नई - 600 002 3 rd Floor,Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002	(044) 4228 4488 - 99	bbb.chennai@ecgc.in
पेरियामेट शाखा PERIAMET BRANCH लेदरसेंटर, 3री मंजिल, 43/53 राजा मुथिया रोड, पेरियामेट, चेन्नई - 600 003 Leather Centre, 2 nd Floor, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003	(044) 6521 0006 / 2561 5721	periamet.chennai@ecgc.in
कोयंबतूर शाखा COIMBATORE BRANCH चेरनप्लाजा, 2री मंजिल, 1090 त्रिची रोड, कोयंबतूर - 641 018 Cheran Plaza, 2 nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304 775 / 776	coimbatore@ecgc.in
मदुरै शाखा MADURAI BRANCH 1ली मंजिल, नं.12, कामराज नगर, दूसरा रास्ता, चिन्ना चोकिंकुलम, ओ सी पी एम स्कूल रोड, मदुराई - 625 002 1 st Floor, No. 12, Kamraj Nagar, Second Street, Chinna Chokkikulam, OCPM School Road, Madurai - 625 002	(0452) 2520340 / 2525521	madurai@ecgc.in
सेलम शाखा SALEM BRANCH 'शांति प्लाझा', 3री मंजिल, 1/5, वृंदावन रोड, फेयरलैंड्स, पुचस्वामी गौंडर तिरूमना मंडपम के सामने, सेलम - 636 004 Shanthi Plaza, 3 rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp.Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem - 636 004	(0427) 2442 275 / 2330 274	salem@ecgc.in
तिरुपुर निर्यातक शाखा TIRUPUR EXPORTERS BRANCH 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 1 st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232998 / 4354	ebb.tirupur@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, 2री मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 2 nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232998 / 3444	bbb.tirupur@ecgc.in
तुतीकोरिन शाखा TUTICORIN BRANCH 208/4ए, पहली मंजिल, वी ई रोड, तुतीकोरिन - 628 003 208/4A, 1 st Floor, V E Road, Tuticorin - 628 003	(046)12324351 / 52	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा KARUR BRANCH 3री मंजिल, के व्ही आर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगूंथपुरम, करूर - 639 002 3 rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233911 / 231725	karur@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - ॥ / SOUTHERN REGION - ॥		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - ॥ SOUTHERN REGIONAL OFFICE - ॥ रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Raheja Towers, 11 th Flr., West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25591139	sro-II@ecgc.in
बेंगलूर निर्यातक शाखा BANGALORE EXPORTERS BRANCH वायुदूत चेम्बर्स, 4थी मंजिल, 15-16 एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Vayudooth Chambers, 4 th Floor,15-16, M G Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25589775 / 25591729	bangalore@ecgc.in
बेंगलूर बैंक कारोबार शाखा BANGALORE BANK BUSINESS BRANCH रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, ईस्ट विंग, 26, एम. जी. रोड, बेंगलुरू - 560 001 Raheja Towers, 11 th Flr., East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25585375 / 8 25326181 / 6182	bbb.bangalore@ecgc.in
कोची शाखा KOCHI BRANCH एचड़ीएफ़सी हाउस, 2री मंजिल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोची - 682 015 H.D.F.C. House, 2 nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359437 / 457	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा KOLLUM BRANCH सेवेन्थ डे चर्च के पास, रेसिडेंसी रोड, कड़प्पकड़ा, कोल्लम - 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008		
<mark>हैदराबाद निर्यातक शाखा</mark> HYDERABAD EXPORTERS BRANCH हाका भवन, 2री मंजिल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद - 500 004 HACA Bhawan, 2 nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 2323 4334 / 2324 0833	ebb.hyderabad@ecgc.in
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH 6 वी मंजिल, एल.बी.भवन, 6-3-550, मेडीनोवा के सामने, एर्रा मंज़िल, सोमेजिगुड़ा, हैदराबाद - 500 082 6 th Floor, L.B. Bhawan, 6-3-550, Opposite Medinova, Erramanzil, Somejiguda, Hyderabad - 500 082	(040) 23296385 / 23296383	bbb.hyderabad@ecgc.in
विशाखापट्टनम शाखा VISHAKHAPATNAM BRANCH शंकर प्लाजा, पहली मंजिल, द्वारकनागर, शंकरमठम के सामने, शंकरमठम रोड, द्वारकानगर, विशाखापट्टनम - 530 016 Shankar Plaza, 1 st Floor, Dwarkanagar, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Road, Vishakhapattnam - 530 016	(0891) 2748653	visakhapatnam@ecgc.in

सेवा तंत्र

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
गुंदूर शाखा GUNTUR BRANCH कृष्ण प्लाजा, 2री मंजिल, 26-21-22 नागराम पालेम, जी टी रोड, गुंटूर - 522 004 Krishna Plaza, 2 nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337097 / 2337096	guntur@ecgc.in
मंगलूर शाखा MANGALORE BRANCH पहली मंजिल, एस्सेल टॉवर्स, बंटस होस्टेल सर्कल, मेंगलूर - 575 003 First Floor, Essel Towers, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	(0824) 2444288 / 89	mangalore@ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय NORTHERN REGIONAL OFFICE वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, 4थी मंजिल, बाराखंबा मार्ग, कॅनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 World Trade Tower, 4 th Floor, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi - 110 001	(011) 41529912 / 13	nro@ecgc.in
दिल्ली ल व म नि शाखा DELHI SME BRANCH एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4 th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284000 / 49284016-4030	metro.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH एनबीसीसी प्लेस, साउथ टॉवर, 4थी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4 th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 4928 4011	leb.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बैंक कारोबार शाखा DELHI BANK BUSINESS BRANCH 3री मंजिल, हंसालाया बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110 001 3 rd Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001	(011) 45333666	bbb.newdelhi@ecgc.in
पश्चिम दिल्ली शाखा WEST DELHI BRANCH 405, 4थी मंजिल, जीडीआईटीएल टॉवर, बी-08 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110 034 405, 4 th Floor, GDITL Tower, B-08, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142-44	west.delhi@ecgc.in
गुइगांव शाखा GURGAON BRANCH उरी मंजिल, 'उद्योग मीनार', वाणिज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज 5, गुड़गांव - 122 016 Third Floor, 'Udyog Minar', Vanijya Nikunj, Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon - 122 016	(0124) 430 0603 / 04	gurgaon@ecgc.in
लुधियाना शाखा LUDHIANA BRANCH 92, सुर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, 2री मंजिल, दि मॉल रोड, पी ओ बॉक्स नं. 281, लुधियाना - 141 001 92, Suryakiran Complex, 2 nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082 / 2403 349	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा JALANDHAR BRANCH 36 जी टी रोड, गोविंद निवास, 2री मंजिल, जालंधर - 144 001 36, G T Road, Gobind Niwas, 2 nd Floor, Jalandhar - 144 001	(0181) 2226 025 / 2226 035	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा KANPUR BRANCH 14/147 स्का य लार्क, 3री मंजिल, चुन्नीगंज, पी ओ बॉक्स नं. 116, कानपुर - 208 001 14/147, Sky Lark, 3 rd Floor, Chunniganj, P.O. No. 116, Kanpur - 208 001	(0512) 2533 280 / 2534 024	kanpur@ecgc.in

पता / Address	टेली. / Tel.	ई-मेल / E-mail
मुरादाबाद शाखा MORADABAD BRANCH शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद - 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415476 / 2435395	moradabad@ecgc.in
जयपुर शाखा JAIPUR BRANCH 2री मंजिल, आनंद भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर - 302 001 2 nd Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302 001	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा AGRA BRANCH दीपक वासन प्लाजा, 2री मंजिल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा - 282 002 Deepak Wasan Plaza, 2 nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002	(0562) 2524985 / 2520165	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा PANIPAT BRANCH मलिक प्लाजा, पहली मंजिल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत - 132 103 Malik Plaza, 1 st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634 933	panipat@ecgc.in
जोधपुर शाखा JODHPUR BRANCH 178, "नारायनम", 2री मंजिल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के पास, जोधपुर - 342 001 178, "Narayanam", 2 nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 5100531 / 5100534	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा CHANDIGARH BRANCH पीएचडी चेंबर हाउस, पहली मंजिल, सेक्टर 31- ए, चंडीगढ़ - 160 031 PHD Chambers House, 1 st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	(0172) 5003627 / 28	chandigarh@ecgc.in
नॉयडा शाखा NOIDA BRANCH पी-3, कृष्णा अपरा प्लाज़ा, 3री मंजिल, रूम नं. 312, सेक्टर 18, नॉयडा - 201 301 P-3 Krishna Apra Plaza, 3 rd Floor, Room No. 312, Sector 18, Noida - 201 301	(0120) 4249186 / 9182	noida@ecgc.in
<mark>श्रीनगर शाखा</mark> SRINAGAR BRANCH जेकेएसएफसी बिल्डिंग, 2री मंजिल, दुर्गा नग, दालगेट, श्रीनगर - 190 001 JKSFC Bldg., 2 nd Floor, Durga Nag, Dalgate, Srinagar - 190 001	(0194) 2500260	srinagar@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा FARIDABAD BRANCH एससीओ-149, दूसरी मंजिल, सेक्टर-21-सी, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 001 SCO-149, 2 [™] Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	0129-4315115	faridabad@ecgc.in

सेवा तंत्र





भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड Export Credit Guarantee Corporation of India Limited (भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise) पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई 400 021.

Registered Office : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021. वेबसाईट website : www.ecgc.in